खण्ड-163, अंक-3
बुधवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(21 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 163 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

LEGISLATURE LIBRARY
22 MAY 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरुप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमा शंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार,श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरंसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना,श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेवसिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर सहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

[बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्रमदान से निर्मित सड़कों को पक्का करने के लिये फैजाबाद नियोजन समिति को धन की स्वीकृति

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की नियोजन समिति ने क्या श्रमदान से बनी हुई सड़कों को पक्का करने के लिये डेवलपमेंट कमिश्नर के पास ९८,००० रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां ।

**२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री फूलसिंह—स्वीकृति प्रदान कर दी गई है

आजमगढ़ जिला जेल में भारतीय दन्ड विधान की धारा १०९ के कैदी

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला जेल में १० नवम्बर, सन् १९५५ तक कितने हवालाती कैदी भारतीय दण्ड विधान की धारा १०९ के अनुसार अलग-अलग कब से बन्द थे ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह सूचना किस तारीख से मांगी गई है । अतः खेद है कि उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

असिस्टेंट डेवलपमेन्ट आफिसर्स के चुनाव का परीक्षाफल घोषित करने में विलम्ब

**४—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत अक्तूबर, १९५५ में जो असिस्टेन्ट डेवलपमेंट आफिसर्स का चुनाव हुआ था उसका परीक्षाफल घोषित किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं । प्रशिक्षण व्यवस्था के विषय में कम्यूनिटी प्रोजक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है । परीक्षाफल अतिशीघ्र घोषित कर दिया जावेगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या मंत्री जी मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि जो लिखा-पढ़ी हो रही है उसका नतीजा कब तक शाया हो जायगा ?

श्री फूलसिंह—उसके नतीजे का इंतजार किये बिना ही रिजल्ट घोषित कर दिया जायगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि यह जो लिखा-पढ़ी हुई है उसका कोई जवाब अभी हाल में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से १५ दिन के अन्दर मिला है और अगर मिला है तो क्या ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री राज नारायण ने पूछे ।

श्री फूलसिंह—इतना ब्योरा तो मैं नहीं बता सकता लेकिन जो केन्द्र चलाएं जायंगे शायद उनका खर्च केन्द्रीय सरकार दिया करेगी, इस सम्बन्ध में बातचीत हो रही है लेकिन वगैर उसका इंतजार किए ही नतीजा घोषित कर दिया जायगा ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कुल कितने परीक्षार्थी हैं जिनका नतीजा घोषित नहीं किया गया है ।

श्री फूलसिंह—वह कई सौ हैं, सूची मेरे पास नहीं है ।

भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये नवीन पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का विचार

**५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि भ्रष्टाचार निरोध करने-हेतु वह किसी विशेष scheme को चलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जैसा कि सदन में पहले भी संकेत किया जा चुका है भ्रष्टाचार की विशेष रूप से रोकथाम करने के लिए हर जिले में एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की तैनाती की जायगी । यह अफसर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के मातहत काम करेगा लेकिन इसकी रिपोर्ट की एक प्रति सीधे रेन्ज डी० आई० जी० के पास भेज दी जायेगी । इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक पृथक डी० आई० जी० की भी नियुक्ति होगी जिसका पद डी० आई० जी० (प्रशासक) होगा । यह डी० एस० पी० (भ्रष्टाचार) के अतिरिक्त उन सब मामलों की भी जांच करेगा जिनमें पुलिस के विरुद्ध लोगों को तंग करने की शिकायत होगी ।

**६—श्री जोरावर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में उसने अभी तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श करके अधिकारियों का चुनाव कर लिया गया है । अब नियुक्ति शीघ्र ही होने वाली है ।

स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के हेल्थ कर्मचारियों के वेतन के संबंध में राजाज्ञा

**७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ मार्च, सन् १९४९ के गवर्नमेंट प्रस्ताव नं० २२६१/९-७१८-४८ के मुताबिक स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के हेल्थ कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय कमेटी का रिपोर्ट को कार्यन्वित करने के लिये १५ सितम्बर, सन् १९५५ को कोई जी० ओ० जारी हुआ है ? यदि हां, तो वेतन का संशोधित क्रम किस प्रकार है ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां, एल० एम० पी० (L. M. P.) और एल० सी० पी० एस० (L. C. P. S.) योग्यता रखने वाले मेडिकल आफिसरों के लिये १२०-४-१६०-द० प्र०-८-२०० का वेतन क्रम दिनांक १५ सितम्बर, १९५५ के राजादेश संख्या २८९४-पी/११-बी—२०४४-५४ द्वारा निर्धारित किया गया है ।

**८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह संशोधित वेतन क्रम का आदेश कुछ कर्मचारियों पर अप्रैल, सन् १९४९ और कुछ पर अप्रैल, सन् १९५५ से लागू होगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, उक्त जी० ओ० में जो वेतन क्रम निर्धारित हुआ है वह उस वर्ग के समस्त कर्मचारियों के लिये १ अप्रैल, १९५५ से ही लागू होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि एल० एम० पी० और एल० सी० पी० एस० मेडिकल अफसरों के अलावा स्वायत्त शासन विभाग में और किस योग्यता के अफसर काम करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—और भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लाइसेन्शिएट भी काम करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उस जी० ओ० में कुछ वेतन क्रम जो संशोधित हैं उसमें एक अप्रैल, ४९ से भी लागू करने के आदेश हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिनका प्रश्न है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि वह १ अप्रैल, ५५ से लागू होगा और जो पहले थे वह सन् ४९ से होंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इन तीनों योग्यताओं के मेडिकल अफसरों का संशोधित वेतन क्रम ४९ से विचाराधीन है तो इन एल० एम० पी० और एल० सी० पी० एस० अफसरों को भी वेतन क्रम ४९ से ही क्यों लागू नहीं किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बात स्पष्ट है कि वह जब से काम कर रहे थे और उनका कुछ वेतन इन नगरपालिकाओं की तरफ से निश्चित था उसी वेतन पर काम कर रहे थे। अब उनको यह सुविधा दी गयी कि इस वेतन पर वे काम करेंगे। वह इसी से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत से अर्थ के भी प्रश्न उठते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कुछ को १ अप्रैल, सन् ४९ से लागू किया गया उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—क्योंकि उस समय जो आदेश दिये गये थे जिनके सम्बन्ध में उस वक्त हो सकता था उनके लिये आदेश दिये गये थे। इसके बाद जो प्रश्न आये थे उस पर निर्णय हुआ और जब से वह निर्णय हुआ तब से वह लागू कर दिया गया।

वनस्पति तेल में मिलाने के लिये सरकार को भेजे गये विभिन्न रंग

**९—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वनस्पति तेल (डालडा आदि) रंगने के लिये उसके पास कितने-कितने रंग भेजे हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—वनस्पति तेल को रंगने के लिये बहुत से लोगों से प्राप्त सुझाव के अनुसार ५१ भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग तथा रंगीन पदार्थ जन विश्लेषक को इसलिये भेजे गये कि वह डालडा वनस्पति या अन्य जमाये हुये वेजीटेबिल तेल में मिलाने योग्य हैं या नहीं, परन्तु उन रंगों से कोई भी रंग वनस्पति में मिलाने के योग्य न साबित हुये क्योंकि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे जो सरकार ने लगाई थी जैसे रंग का हानिकारक न होना, रंग का न उड़ना, तथा अन्य आवश्यक विशेषतायें ।

रंगों के नाम तथा उन व्यक्तियों की सूची जिन्होंने कि यह रंग भेजे थे, संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२३–२२५ पर)

श्री रणंजयसिंह—क्या माननीय मंत्री जी महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने वर्धा से जो रंग माननीय पंत जी के पास भेजा था और जिसके लिये उन्होंने इनाम नहीं मांगा था, उसकी भी जांच की गयी थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यहां जितने रंग सरकार के पास या संचालक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के पास आये थे उन सब की जांच की गयी थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रंग वर्धा से आया था उसमें क्या खराबी पाई गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो शर्त सरकार ने रखी थी वह पूरी नहीं हुई, इसलिये वह रंग भी सही साबित नहीं हुआ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि यह रंग डालने पर विचार कितने दिनों से हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार ने सन् १९५० से इसके लिये इनाम की घोषणा की थी तभी से इसके लिये विचार हो रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्धा से जो रंग आया था उसमें कौन-सी शर्त पूरी नहीं हुई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उसके लिये जो शर्तें रखी गयी थीं वह इस प्रकार थीं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वह रंग हानिकारक न हो, वनस्पति में मिलाने से उसका रंग सुन्दर रहे तथा खाने में स्वादिष्ट हो। यह शर्त पूरी नहीं हुई। इसी तरह से दूसरी शर्तें पूरी नहीं हुईं जिसके कारण वह रंग अच्छा साबित नहीं हुआ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कौन-सी शर्तें थीं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो सुना दी गईं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कोई इस प्रकार का रंग बनाने का क्रम जारी ह जिससे कि डालडा का पार्थक्य मालूम हो सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार तो किसी रंग को बनाती नहीं। सरकार ने २५ हजार इनाम की घोषणा कर रक्खी है। जो भी वैज्ञानिक रंग तैयार करते हैं उनके लिये यह आदेश है कि वे सरकार के पास भेजें और सरकार के जो जन विश्लेषक है वह उसकी जांच करेंगे कि वह ठीक है या नहीं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि इस रंग के लिये विदेशी वैज्ञानिकों का भी सहारा लिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, ऐसी तो कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लेकिन अब तक जो रंग सरकार के पास आये हैं उनमें किसी विदेशी वैज्ञानिक का रंग नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या कोई विदेशी भी कोई ऐसा रंग भेजे, तो जो इनाम सरकार द्वारा घोषित हुआ है वह उसे भी प्राप्त होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रक्खा गया है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो २५ हजार के पुरस्कार की घोषणा हुई है तब से कुछ लोगों ने अपने रंग भेजे हैं और की जांच हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—५१ व्यक्तियों ने रंग भेजे थे और उन सबकी जांच हुई, लेकिन वे सही नहीं उतरे।

आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा निर्मित जहानागंज अस्पताल के निर्माण-कार्यों के विरुद्ध शिकायतें

**१०—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा निर्मित जहानागंज अस्पताल के निर्माण में किये गये अवैधानिक कार्यों के संबंध में शिकायतें सितम्बर, १९५५ में आई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, केवल एक शिकायत आई है।

**११—श्री विश्रामराय—यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे शिकायतें क्या हैं और अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—कहा जाता है कि जहानागंज में जिला बोर्ड, आजमगढ़ द्वारा बनवाई गई एक औषधालय की इमारत के हिसाब में गड़बड़ी की जांच करने के लिये बोर्ड ने एक जांच कमेटी नियुक्त की थी। शिकायत यह थी कि उस कमेटी की रिपोर्ट को बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के सदस्यों के सामने नहीं पेश किया।

इस विषय में शासन द्वारा आवश्यक जांच करवाई गई, जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त रिपोर्ट दिनांक १-५-५५ को हुई बोर्ड की मीटिंग में पेश की गई थी। यह भी ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त अस्पताल के भवन के निर्माण में बोर्ड को कोई रुपये तथा अन्य प्रकार से हानि नहीं हुई।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि शासन के किस कर्मचारी ने जांच की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच करने के लिये जिलाधीश को भेजा जाता है। वही कराते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलायेगी कि जिला बोर्ड ने जो कमेटी इन गड़बड़ी की जांच करने के लिये बनाई थी उसने जिला बोर्ड को कब रिपोर्ट दी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी तारीख तो याद नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो शिकायत उनके पास आई है उस शिकायत पर जिला बोर्ड के कितने सदस्यों के दस्तखत हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो शिकायत आई है वह माननीय सदस्यों ने भेजी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उस शिकायत में जिला बोर्ड के सदस्यों ने यह भी लिखा है कि जिला बोर्ड के एक सदस्य के परिवार के व्यक्ति को ठेका दिया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह जो शिकायत आई है यह तो इस भवन के माननीय सदस्यों ने भेजी है। जिला बोर्ड के किसी सदस्य की कोई शिकायत नहीं आई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। शिकायत की कापी इस भवन के सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के पास भेजी है और शिकायत जो है और मेरा ख्याल है कि फाइल में मौजूद है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस शिकायत में माननीय सदस्यों ने यह भी लिखा है कि जो भवन बनाने के लिये ईंट और सीमेंट दी गयी थी उसमें खर्च नहीं की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं निवेदन कर चुका, यहां जो शिकायत आयी है वह तो माननीय सदस्य ने भेजी है, और उसमें उन्होंने यह लिखा है कि वह रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नहीं उपस्थित की गई।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि माननीय सदस्य ने जो रिपोर्ट लिखी है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों की शिकायत के आधार पर लिखी है?

श्री कैलाश प्रकाश—संभव हो सकता है, यह तो आधार क्या है वही जान सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो शिकायत सरकार के पास गई है उस शिकायत के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आजमगढ़ ने जो इस अवैधानिक कार्य करने के लिये जिला बोर्ड को सदस्यों की कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट भी उसके साथ नत्थी थी?

श्री कैलाशप्रकाश—संभव है, मैं इस वक्त कह नहीं सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री उस रिपोर्ट को देखते हुये फिर से किसी दूसरे अफसर द्वारा जांच करायेंगे कि जो यह जांच हुई है वह नामुकम्मल है?

श्री कैलाशप्रकाश—वह रिपोर्ट तो जिला बोर्ड के समक्ष रखी जा चुकी है और वह उसके संबंध में प्रस्ताव पास कर चुका जिसका कि मैंने उत्तर दिया है।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत मझवारा निवासियों द्वारा अस्पताल खोलने के लिए एकत्रित धन

**१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के उपमंत्री श्री फूलसिंह जी को नवम्बर, सन् ५५ के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में घोसी, जिला आजमगढ़ में मझवारा ग्राम के निवासियों ने मझवारा मे अस्पताल खोलने के लिये ५१ सौ रुपये की थैली भेंट की थी? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसी दास)—जी हां। यह रुपया अतिरिक्त जिलाधीश के पास है। संचालक से रिपोर्ट आने पर अंतिम निर्णय होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी प्राजेक्ट आफिसर, घोसी ने इस तरह का कोई निर्णय किया था कि जिस गांव के लोग सात हजार रुपया जमा कर देंगे वहीं पर यह अस्पताल बनेगा?

श्री बनारसीदास—जी हां। यह सही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि मझवारा गांव के निवासियों ने सात हजार रुपया जमा कर दिया है?

श्री बनारसीदास—सात हजार रुपये की सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह सही है कि उपमंत्री महोदय को ५ हजार १ सौ रुपया भेंट किया गया और यह वादा किया गया कि बाकी १९ सौ रुपया बाद में जमा कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई डेपुटेशन माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में मिला था, और उस प्रार्थनापत्र पर माननीय श्रीनाथ, विश्रामराय और उमाशंकर आदि के दस्तखत थे कि मझवारा में अस्पताल खोला जाय?

श्री बनारसी दास—जी हां, स्वयं माननीय सदस्य ने १७ अक्टूबर को वहां के निवासियों का एक प्रार्थनापत्र भेजा था जिसमें कि उन्होंने यह लिखा था कि सरकार उस क्षेत्र में जो अस्पताल खोलना चाहती है, वह मझवारा के अन्दर इस अस्पताल को खोले।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री बनारसीदास---यह रिपोर्ट आशा है शीघ्र आ जायगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उसी क्षेत्र के दो गांवों, मझवारा और लुधवई के लोगों ने सात सात हजार रुपया दोनों गांवों से इकट्ठा कर दिया है ?

श्री बनारसीदास---यह सूचना तो मुझे नहीं है कि दोनों जगहों के लोगों ने जमा कर लिया है। हां, यह मालूम है कि मझवारा के लोगों ने ५१ सौ रुपया जमा कर दिया है और बाकी रुपया जमा करने का वादा किया है। लेकिन २६-११-५५ को घोसी विकास संघ के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों ने इस बात का आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के मझवारा में नहीं बनना चाहिये बल्कि लुधवई के अन्दर ही बनना चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि ग्राम लुधवई का एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिल चुका है इस संबंध में ।

श्री बनारसीदास---अभी मैंने निवेदन किया कि लुधवई के लोगों ने इस बात का अपना प्रार्थना पत्र भेजा है और वहां की १५,२० ग्रामसभाओं के लोगों ने प्रस्ताव भी पास करके भेजा है कि अस्पताल लुधवई के अन्दर ही बनना चाहिये।

देवरिया जिले के बाढ़ग्रास्त क्षेत्र की हड़ताल

**१३---श्री रामेश्वर लाल---क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले में खरीफ की फसल को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा गांववार सरकार के पास आ गया है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जी नहीं।

**१४---श्री रामेश्वरलाल---क्या माल मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की पड़ताल सन् १९५५ लेखपालों द्वारा करा ली गई और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं। यह पड़ताल अभी जारी है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पड़ताल फसल की खरीफ और रबी के बाद पटवारियों द्वारा होती है उसके लिये कोई अवधि मुकर्रर होती है जिसके अन्दर उनको पूरी कर देनी चाहिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, अवधि होती है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार लेखपालों को जो समय निर्धारित है पड़ताल के लिये यह समझकर कि उस समय में खेत खेत पर जाकर पड़ताल नहीं कर पाते, अधिक समय निश्चित करने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उम्मीद यह है कि समय के अन्दर हो जायगा लेकिन अगर जरूरत हुई और वहां के कलेक्टर ने लिखा तो मियाद बढ़ा दी जायगी।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही कि उसी अवधि के अन्दर जो सरकार द्वारा मुकर्रर है बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के साथ साथ देवरिया जिले के अन्य गांवों की भी पड़ताल लेखपालों द्वारा इस वक्त हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो बाढ़ के क्षेत्र हैं इनकी पड़ताल हो रही है और इसकी आखिरी तारीख ११ दिसम्बर, १९५५ मुकर्रर की गई है।

लगान तथा तकावी न अदा करने वालों को तहसील हवालातों में रखने पर आपत्ति

**१५— श्री रामेश्वर लाल— क्या माल मंत्री बतायेंगे कि लगान तकावी सरकारी मुतालबे के लिये उनके विभाग के कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कहां रखा जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को तहसीली हवालात में रखा जाता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि तहसीलों में जो हवालात होते हैं उनकी लम्बाई चौड़ाई बहुत थोड़ी होती है और उनमें कैदियों के लिये पेशाब और पाखाने की व्यवस्था नहीं होती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलग-अलग तहसीलों में अलग-अलग हवालात हैं और ऐसी शिकायत कहीं से नहीं आयी है कि वह हवालात बहुत छोटी है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न को सूचना समझकर प्रांत की तहसीलों की हवालातों में सुधार करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई ऐसी जरूरत तो नहीं मालूम होती है लेकिन अगर कहीं से शिकायत आयेगी तो उसमें जांच करा ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या यह सही है कि तहसील में जो हवालातें हैं उनमें पाखाना और पेशाबखाना नहीं बना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो सिविल इमप्रिजनमेंट होता है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वे बाहर न जा सकें। तहसील कम्पाउन्ड में वे जा सकते हैं अगर वहां के पाखाना और पेशाबखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर में विष देने से रोगी की मृत्यु

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर में हाल ही में एक व्यक्ति की इस लिये मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एक ऐसी दवा दी गई कि जिस में विष का अंश था ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री बनारसीदास—जी हां। मरीज की मृत्यु इस कारण हुई कि मालिश की दवा, जिसमें विष का अंश था भूल से पिला दी गई।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की जिम्मेदारी उक्त मृत्यु से संबंधित है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—अभी पुलिस द्वारा मामले में जांच हो रही है। कार्यवाही जांच की रिपोर्ट मिलने पर ही निश्चित की जा सकेगी। फिलहाल एक नर्स को मुअत्तल कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह किस मर्ज का मरीज था और किस तिथि को उसकी मृत्यु हुई ?

श्री बनारसीदास—वह एग्जीमा रोग से पीड़ित थे।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब पता चला कि गलत दवा पिलाई गई, मृत्यु के बाद या पहले ?

श्री बनारसीदास—यह ऐसा हुआ कि उसी समय जब कि यह दवा पिलाई गई तो उनको कुछ जलन होने लगी। लिहाजा उन्होंने फौरन डाक्टर को बुलाया। डाक्टर ने जाकर देखा। उसी वक्त उसका उपचार किया गया और उस दवा को निकाला भी गया और फौरन ही नर्स को भी सुबहा हो गया कि उसने गलती की इस दवा के पिलाने में। डाक्टर फिर दोबारा बुलाये गए। उन्होंने इंजेक्शन भी दिया, काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह बच नहीं पाये।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह दवा पिलाने की ड्यूटी किस कर्मचारी की थी?

श्री बनारसीदास—यह तो मैं उत्तर दे चुका हूं। वह तो नर्स ने दवा पिलायी थी, उसी की जिम्मेदारी थी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उस मरीज का नाम और गांव बताने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—जी हां। उस मरीज का नाम श्री राजकिशोर मिश्र था।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार मरे हुए व्यक्ति के परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे?

श्री बनारसीदास—यह पोस्टल विभाग के कर्मचारी थे। इस प्रकार का तो कोई विधान है नहीं कि जो इस प्रकार के मरीज अस्पताल में मरते हैं उनकी व्यवस्था सरकार करती है?

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह जानकारी है कि उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था?

श्री बनारसीदास—यह तो वैसे सभी मरीजों का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यह सूचना डेफिनिट रूप से तो मेरे पास पत्रावली में नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार के मरीज होते हैं उन सबका पोस्टमार्टम होता है और यह तो उसी समय मालूम हो गया था कि जो मालिश करने की दवा थी वह पिलाई गई, उसके दस-पन्द्रह मिनट बाद ही डाक्टर की नोटिस में भी है और उनकी स्त्री की नोटिस में भी है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि उनका पोस्टमार्टम कब हुआ और किसने किया?

श्री बनारसीदास—जी हां। यह जानकारी प्राप्त कर ली जायगी कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं, और बाकी तो इस सबकी तहकीकात एस० एस० पी० कर ही रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब नर्स को दोषी पाया गया तो और जांच किस बारे में वह कर रहे हैं?

श्री बनारसीदास—वह तो यह हो सकता है कि जांच तो सब इस बात की करनी पड़ती है कि जिम्मेदारी किसकी थी। हो सकता है कि किसी दूसरे की ड्यूटी हो या डाक्टर की ड्यूटी हो और नर्स ने यह किया हो, तो सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के सुपुर्द यह है। कानूनी दृष्टि से इन सब बातों पर विचार करना होगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब खत्म हो जायगी और इसकी रिपोर्ट कब आ जायगी?

श्री बनारसीदास---विभाग को एस० एस० पी० ने सूचना दी है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस को जांच करने के लिए किसने कहा? सम्बन्धियों ने या डाक्टर की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट की गयी?

श्री बनारसीदास---वैसे इस सम्बन्ध में १० सितम्बर को श्री राजकिशोर मिश्र की धर्मपत्नी का भी एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह मांग की थी कि उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह ज्ञात हो गया कि नर्स की गलती से उसकी मृत्यु हुई है तो पुलिस की जांच में देर लगने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष---यह तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पंचनामा होकर के ही जला दिया गया?

श्री बनारसीदास---इसका उत्तर दे चुका हूं। मेरे पास इसकी कोई और रिपोर्ट नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। अगर उनकी इत्तला सही है तो वह ठीक होगा।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो औषधियां इनसान को मार सकती हैं उनके अलावा ऐसी भी कोई अस्पताल में औषधि है जो मरे हुए को जिला सके।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

मेंहदावल इन्डस्ट्रियल सोसाइटी, जिला बस्ती को सहायता की आवश्यकता

*३---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या मेहदावल (बस्ती) में जूता बनाने वाले लोगों की कोई रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है? यदि हां, तो उसकी रजिस्ट्री कब हुई?

श्री बनारसीदास---(अ) जी हां।

(ब) ३१ जनवरी, सन् १९५५ ई० को।

*४---श्री राजाराम शर्मा---क्या मेंहदावल सोसाइटी की तरफ से सहायता या कर्ज की मांग आई है? यदि आई है तो कितने की और वह कब तक दी जायेगी?

श्री बनारसीदास---(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि यह सहायता कब तक मिल जायगी?

श्री बनारसीदास---यदि आवेदन-पत्र आया तो इसके लिये कमेटी के सामने पेश किया जायगा।

*५-६---श्री रामनारायण त्रिपाठी---[स्थगित किये गये।]

*७—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

सरकारी नौकरियों में खाद्य विभाग से अलग किये गये कर्मचारियों को प्राथमिकता

*८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि सरकारी नौकरियों के दिये जाने के समय सर्व प्रथम सरकारी आदेश के अनुसार खाद्य विभाग के निकले हुये कर्मचारियों को, दूसरे शरणार्थियों को, तीसरे हरिजनों को तर्जीह दी जाती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकारी नौकरियों के दिये जाने के समय खाद्य विभाग के निकाले हुये कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है, किन्तु शरणार्थियों अथवा हरिजनों को प्राथमिकता देने का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

*९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार खाद्य विभाग के निकाले हुये कर्मचारी, शरणार्थी और हरिजन के साथ-साथ उसी श्रेणी में राजनैतिक पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को भी रखने की कृपा करेगी? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निमित्त कोई सरकारी आदेश निकालेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ८ के उत्तर के कारण इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित— क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि साधारणतया हरिजनों तथा शरणार्थियों का ध्यान नौकरियां देते समय रखा जाता है तो राजनैतिक पीड़ितों का ध्यान रखा जायगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिस आदेश के तहत में खाद्य विभाग के निकाले हुए कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है उसमें राजनैतिक पीड़ित और शरणार्थियों को तरजीह देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें वे कर्मचारी हों, जिनको आज तक काम न दिया गया हो, खाद्य विभाग के?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*१०-१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किये गये।]

चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, मुरादाबाद की नरौली में चिकित्सालय खोलने के लिए सिफारिश

*१३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, मुरादाबाद ने कस्बा नरौली में चिकित्सालय खोलने की सिफारिश सरकार से की थी? यदि हां, तो कब?

श्री बनारसीदास—समिति ने सितम्बर, १९५४ में इस स्थान की सिफारिश की थी परन्तु फिर सुझाव किया कि चिकित्सालय नरौली के बजाय जोग्रा में खोला जाय, जो N.E.S. Block का केन्द्र है और अधिक उपयुक्त स्थान है, यहां एक भवन भी बनवाया गया है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नरौली से जोग्रा ५० मील की दूरी पर पड़ता है जिसकी वजह से जोग्रा में अस्पताल खोलने का कोई प्रभाव नरौली पर नहीं पड़ता ?

श्री बनारसी दास—इसकी सूचना मुझे तो नहीं है लेकिन वहां की परामर्शदात्री समिति ने पहले सिफारिश की थी कि नरौली में खोला जाय, बाद में उसी समिति का यह सुझाव आया कि जोग्रा के अन्दर खोला जाय, क्योंकि वहां एन० ई० एस० का केन्द्र भी है और भवन भी वहां पर उपलब्ध है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री को पता है कि जमींदारी विनाश से पहले नरौली में एक अस्पताल वहां के जमींदार साहबान चलाते थे जो कि सरकार की नीति के अनुसार उसी समय खुल जाना चाहिये था ?

श्री बनारसीदास—वहां अस्पताल होगा लेकिन कोई ऐसी सरकार की नीति तो थी नहीं कि सब जगह जितने अस्पताल हैं उन सबको सरकार चलाये और यह तो जमींदारों के ऊपर भी निर्भर था कि आया वे अपनी बिल्डिंग वगैरह देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जिलों में जितने नये अस्पताल खुलते हैं वे परामर्शदात्री समति की सिफारिश पर ही खुलते हैं और इसका उत्तर दिया जा चुका है कि पहले परामर्शदात्री समिति ने नरौली के लिये कहा और बाद में स्वयं जोग्रा के लिये कहा।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि परामर्शदात्री समिति ने यह प्रस्ताव नहीं किया था कि नरौली की जगह जोग्रा में अस्पताल खोला जाय बल्कि यह प्रस्ताव किया था कि नरौली के साथ-साथ एक अस्पताल जोग्रा में भी खोल दिया जाय ?

श्री बनारसीदास—यों तो परामर्शदात्री समिति जिले में जितनी जगहों के लिये सिफारिश करती है उसे तमाम प्रान्त की दृष्टि से देखना पड़ता है कि कहां पर अस्पताल खोला जाय, लेकिन उन्होंने उस स्थान को प्राथमिकता दी, इसलिये सरकार ने भी उसको प्राथमिकता दी।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय अपने अगले विचारणीय प्रश्नों में नरौली को प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—अभी तो जोग्रा के अन्दर ही अस्पताल नहीं खुला है। उसके लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में वहां पर विचार किया जाय। नरौली के प्रश्न पर भी सरकार विचार करेगी और अगर सम्भव हुआ तो वहां पर खोल देगी।

मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर अस्पताल को सहायता

*१४—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद में जो अस्पताल उस रियासत की ओर से चलता था अब वह किस दशा में है ?

श्री बनारसीदास—यहां एक स्त्री चिकित्सालय कोर्ट आफ वार्ड्स का था। वह अब जिला बोर्ड के अधीन कार्य कर रहा है। प्राप्त सूचना से लगता है कि उसकी दशा बिल्कुल ठीक है। गत वर्ष से उसे सरकार ने १,७०० रु० की आवर्त्तक सहायता दी है।

चन्दौसी नगरपालिका के चिकित्सालय

*१५—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चन्दौसी नगरपालिका में कुल कितने चिकित्सालय हैं ?

श्री बनारसीदास—यहां ४ चिकित्सालय हैं ।

(१) सिविल अस्पताल,
(२) जनाना अस्पताल,
(३) वैश्य चेरिटेबल अस्पताल,
(४) बारासेनी चेरिटेबल अस्पताल ।

*१६—श्री सुल्तान आलम खां—[स्थगित किया गया ।]

*१७—१८—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये ।]

महाराजगंज, जिला रायबरेली में प्लानिंग कमेटी द्वारा ब्लाक खोलने का विचार

*१९—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से खरेनी शहीद स्थान पर जो ब्लाक खोलने का सुझाव सरकार के पास भेजा है उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)— कमेटी ने अब महाराजगंज में ब्लाक खुलना तय किया है। वहां जनवरी, १९५६ में ब्लाक खोल दिया जायगा ।

बस्ती जिले के खादी केन्द्रों द्वारा उत्पादित सूत

*२०—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कुल कितने खादी केंद्र खुले हैं और कहां-कहां ?

श्री बनारसीदास—इस जिले में ११ राजकीय खादी केंद्र निम्नलिखित स्थानों में चल रहे हैं :—

१—बनकटवा
२—जीवा
३—महराजगंज
४—मदनपुर
५—तितरीबाजार
६—मेंहदावल
७—नागर
८—विशेश्वरगंज
९—कलवारी
१०—दिवाकरपुर
११—हैसरबाजार

*२१—श्री रामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के कुल खादी केंद्रों में १९५४ और १९५५ में अब तक कितना-कितना उत्पादन हुआ है ।

श्री बनारसीदास—इस जिले के खादी केंद्रों में अप्रैल, सन् १९५४ से मार्च, १९५५ तक १७७ मन ३४ सेर और अप्रैल, १९५५ से १५ नवम्बर, सन् १९५५ तक ८८ मन १४ सेर सूत उत्पादित हुआ ।

श्री रामलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में लालगंज बाजार में भी खादी केंद्र खुला था? यदि हां, तो कब?

श्री बनारसीदास—सन् ५३ के अन्दर ही कुछ केंद्र खोले गये थे उनमें लालगंज भी था। परन्तु पहली सितम्बर, सन् ५५ से इस केंद्र का निचलौल, जिला गोरखपुर को स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री रामलाल—क्या माननीय मंत्री जी लालगंज बाजार में खादी केंद्र खोलने पर विचार करेंगे?

श्री बनारसीदास—लालगंज में तो पहले था, लेकिन वह १ सितम्बर, १९५५ से गोरखपुर भेज दिया गया है, इसकी वजह यह थी कि वहां सूत का उत्पादन बहुत कम था।

नेत्र तथा क्षय रोग के चिकित्सालय

*२२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की करेंगे कि प्रदेश में क्षय और नेत्र रोग से पीड़ित रोगियों के लिये कहां-कहां कितनी शय्याओं की व्यवस्था है?

श्री बनारसीदास—क्षय तथा नेत्र रोग का प्रारम्भिक इलाज तो प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल तथा औषधालयों में होता है परन्तु इनके विशेष इलाज की व्यवस्था के स्थान संलग्न तालिका "अ" तथा "ब" में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२६-२२७ पर)

*२३—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—[स्थगित किया गया।]

*२४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया।]

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।]

भावर में कोआपरेटिव आधार पर डी क्लास की दियासलाई फैक्टरी की मांग

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने तराई भावर में कोआपरेटिव आधार पर डी क्लास की दियासलाई बनाने वाली फैक्ट्रियां खोलने का निश्चय किया है?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि तराई भावर में सेमल के पेड़ बहुत हैं जिनसे दियासलाई बनाई जाती है तो क्या सरकार वहां इसकी डी क्लास फैक्ट्री खोलने पर विचार करेगी?

श्री बनारसीदास—इस समय सरकार की ट्यूशन क्लास की योजना लखनऊ में चल रही है और वहां प्रोडक्शन सेंटर भी है और सरकार उसकी सफलता पर विचार कर रही है। यदि परीक्षण सफल हुआ तो सरकार इस क्षेत्र में तथा अन्य स्थानों में जहां संभव होगा डी क्लास फैक्ट्री खोलने के लिये विचार करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में केंद्रीय सरकार की सहायता से १६ डी क्लास फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं।

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है, कि इलाहाबाद में खोल दी गई है।

नोट—तारांकित प्रश्न २२ श्री रतनलाल जैन ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस आधार पर वहां खोल दी गई हैं उसी आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी खोलने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास—अभी इलाहाबाद में इनको खुले हुये ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिये नहीं कहा जा सकता कि आया वह लाभदायक सिद्ध होंगी। इसलिये सरकार ने जो लखनऊ में केंद्र खोला है उसकी रिपोर्ट आने पर निर्णय करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—वहां का सहकारी संघ दियासलाई का कारखाना खोलना चाहता है तो क्या सरकार उनको किसी प्रकार से मदद देने के लिये तैयार है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार से सभी उद्योगों के लिये जो छोटे हैं, यदि उनकी तरफ से मांग होती है तो अवश्य सरकार मदद देती है। १,५०० रुपया ऋण दे सकती है तथा ग्रांट इन एड दे सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि दियासलाई बनाने में सेमल की लकड़ी की जरूरत पड़ती है और वन विभाग देने से इंकार करता है ?

श्री बनारसीदास—पहले सवाल का उत्तर तो सही है लेकिन इसकी मुझे सूचना नहीं है कि लकड़ी मिलने में जंगलात विभाग से कठिनाई होती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि दियासलाई के उद्योग में फारिन कैपीटल बहुत अधिक संख्या में लगा हुआ है इसलिये इस व्यवसाय का देशीकरण करने के लिये इसको गृह-उद्योग में परिणत करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—यह तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है और डी क्लास फैक्ट्री में २५ प्रुस से कम बनती हैं इसलिये अगर लखनऊ में सफलता मिली तो जहां संभावना हो सकती है वहां पर यह कायम की जायंगी।

*२७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[स्थगित किया गया।]

मुजफ्फरनगर एन० ई० एस० ब्लाक के कार्य

*२८—**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक मुजफ्फरनगर में अब तक क्या-क्या कार्य हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—मुजफ्फरनगर जिले के दोनों एन० ई० एस० ब्लाकों में अक्टूबर, १९५५ तक किये गये कामों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२८–२२९ पर)

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों ब्लाकों में उद्योग कार्य जारी करना उचित समझते हैं ? यदि हां, तो सरकार के सामने कौन-सी ऐसी दिक्कत है, जिसके कारण उद्योग-धंधे जारी नहीं किये गये ?

श्री फूलसिंह—वह तो हर ब्लाक का एक बजट अलग से होता है और उसी सीमा के अन्दर हर ब्लाक को उक्त काम करने की सुविधा रहती है।

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सूची में उन्होंने कुयें निर्माण का हवाला दिया है उन ब्लाकों में, उनमें कितने कुयें और कितने खड़ंजे नालियां हरिजनों के लिये बनाई गई हैं ?

श्री फूलसिंह—यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मालूम करा लिया जायगा।

विलीन रामपुर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सीनियारिटी के सम्बन्ध में राजाज्ञा

*२९—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के राजकीय आदेश सं० ११७६ एम० जी०/ ३—८७१–१९५०, दिनांक १८ अक्टूबर, १९५४ के अनुसार विलीन रामपुर राज्य के डाक्टरों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारियों की दीर्घता (Seniority) अभी तक भी निश्चित नहीं की गई है ?

श्री बनारसीदास—अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है।

*३०—श्री कृष्णशरण आर्य—यदि नहीं, तो कब तक की जा सकेगी ?

श्री बनारसी दास—उक्त प्रश्न पर शासन द्वारा विचार हो रहा है और शीघ्र ही इस विषय में उचित आदेश दिये जायेंगे।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सही है कि उस जी० ओ० में जो १९ अक्टूबर, १९५४ को निकला था, मर्ज्ड स्टेट्स के इम्प्लाइज की सीनियारिटी तय करने के लिये एक रूल निश्चित करके विभागीय अधिकारियों को दे दिया गया था ?

श्री बनारसीदास—जी हां, वह तो उत्तर दिया जा चुका है उसकी शर्त के मुताबिक उनकी सीनियारिटी मुकर्रर करने के लिये अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो मर्जर की शर्त थी उसी के मुताबिक उनकी सीनियारिटी निश्चित की जायगी।

*३१—श्री ब्रजविहारी मिश्र—[स्थगित किया गया।]

*३२—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में कासिमाबाद विकास योजना के अन्तर्गत पानी पीने के कुओं के निर्माणार्थ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र

*३३—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कासिमाबाद विकास योजना में सन् ५४ में कितने हरिजनों द्वारा पानी पीने के कुयें के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उसमें कितने मंजूर हुए और कितने खारिज किये गये ?

श्री फूलसिंह—२६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और सभी स्वीकृत कर दिये गये थे। परन्तु ६ प्रार्थना-पत्र इस वर्ष इसलिये खारिज कर दिये गये कि प्रार्थी ने अपने-अपने कुयें नहीं बनवाये।

*३४—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के मलेरिया क्षेत्र को बढ़ाने की मांग

*३५—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिला की नौगढ़ तहसील का उत्तरी भाग जो राज्य नैपाल की सीमा से मिला हुआ है और जहां पर मलेरिया बीमारी का ज्यादा प्रकोप रहा करता है उस क्षेत्र के अधिकतर गांवों को मलेरिया निरोधक समिति ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील का उत्तरी भाग जो कि राज्य नैपाल की सीमा से मिला है, के करीब २ सभी ग्राम मलेरिया निरोधक योजना में शामिल हैं। बस्ती जिला के ५०९ ग्राम मलेरिया निरोधक योजना में लिये गये हैं जिनमें से ३५० ग्राम केवल नौगढ़ तहसील के ही हैं और यह सभी ग्राम इस तहसील के उत्तरी भाग में जो कि राज्य नैपाल की सीमा से मिला है, पड़ते हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछा।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि तहसील नौगढ़ के ८०, ९० गांव जो कि राज्य नैपाल की सीमा से मिले हुये हैं और जहां मलेरिया का ज्यादा जोर रहता है, इस मलेरिया निरोधक योजना में नहीं लिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि नैपाल सीमा के निकट के लगभग ३५० गांव इस योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं। उस क्षेत्र का लगभग ४० प्रतिशत एरिया इस योजना के अन्तर्गत है जो कि नौगढ़ तहसील में पड़ता है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करके उन गांवों को जो कि नैपाल राज्य की सीमा से मिले हुये हैं और जिनमें मलेरिया का ज्यादा जोर रहता है, इस योजना में लेने का विचार रखते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, जिन गांवों में मलेरिया का प्रकोप होगा और जो इस योजना से छूट गये होंगे उनको फिर से लेने के लिये कोशिश की जायगी।

खीरी जिले के तराई क्षेत्र में पानी पीने के हाथ-पम्प

*३६—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिला खीरी के तराई क्षेत्र के लिये वह कितने पानी पीने के हाथ के पम्प इस वर्ष देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३० पर)

गोंडा जिले के जन-स्वास्थ्य विभाग में हरिजन कर्मचारी

*३७—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जन-स्वास्थ्य विभाग में कितने कर्मचारी निम्नलिखित पदों पर काम करते हैं और उनमें कितने हरिजन हैं? (१) वैक्सीनेटर, (२) क्लर्क, (३) चपरासी, (४) कम्पाउन्डर तथा चौकीदार ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इच्छित तालिका सम्बद्ध है :

जिला स्वास्थ्य विभाग, गोंडा के कर्मचारी

पद	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या
१—वैक्सीनेटर	२४	..
२—क्लर्क	४	..
३—कार्यालय के चपरासी ..	१	..
४—अर्दली	२	..
५—कम्पाउन्डर	१	..
६—चौकीदार	१	..
७—अन्य निम्न कर्मचारी ..	३०	२३

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह निम्न कर्मचारी कौन हैं और यह किस विभाग में काम करते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और निम्नश्रेणी के हैं। ऐसा हो सकता है कि वे स्वीपर हों।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विभाग में कोई हरिजन इस काबिल नहीं था कि लिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ये कर्मचारी जब जब लिये गये उस समय हरिजन उम्मेदवार थे या नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है ?

*३८—श्री गंगाप्रसाद—[स्थगित किया गया।]

*३९-४१—श्री रामेश्वरलाल—[स्थगित किये गये।]

जिला नियोजन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में हरिजन कर्मचारियों के न होने की शिकायत

*४२—श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि जिला नियोजन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में एक भी क्लर्क परिगणित जाति का नहीं है ? ऐसा क्यों ?

श्री फूलसिंह—जी हां। जिला नियोजन कार्यालय मुजफ्फरनगर में सभी विकास संबंधी विभागों के कर्मचारियों का एकीकरण हो गया है। ये कर्मचारी सब पुराने हैं, और जहां तक सूचना मिली है कोई नई स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। भविष्य में जब नियुक्ति की जायेगी तो परिगणित जाति के प्रार्थियों को नियमानुसार पद दिये जायेंगे।

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अभी तक इस कार्यालय में कितने नये क्लर्क अस्थायी रखे गये हैं ?

श्री फूलसिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों का सब कार्य प्लानिंग द्वारा हो रहा है और कार्य बढ़ रहा है। तो इस कार्य को देखते हुये कार्यालय में कोई नये हरिजन क्लर्क रखने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह—यह आदेश जारी कर दिये जायंगे कि भविष्य में जो जगह खाली हो उसमें हरिजनों को पहले मौका मिलना चाहिये।

मैनपुरी जिले में एका तथा खैरागढ़ में एलोपैथिक औषधालय खोलने का विचार

*४३—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति ने जिला मैनपुरी की तहसील जसराना में इस वर्ष स्थान एका तथा खैरगढ़ में दो एलोपैथिक औषधालय खोलने के लिये सिफारिश की थी ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*४४—श्री विष्णुदयाल वर्मा—यदि हां, तो सरकार उक्त दोनों स्थानों पर कब तक औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—अगले साल इन दोनों स्थानों के विषय में विचार किया जायगा।

*४५-४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१९ दिसम्बर, १९५५ को प्रश्न ५३-५४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४७-४९—श्री रामचन्द्र विकल—[स्थगित किये गये।]

रसड़ा, जिला बलिया में जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*५०—श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार रसड़ा तहसील (बलिया) के अस्पताल को प्रांविशियलाइज करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—जी हां। अगले साल तक।

*५१—श्री मान्धातासिंह—क्या सरकार रसड़ा में जनाना अस्पताल भी खोलने का विचार रखती है?

श्री बनारसीदास—जी हां।

श्री मान्धातासिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि जनाना अस्पताल कब तक खुल जायगा?

श्री बनारसीदास—यह अगले वर्ष खुलने की आशा करते हैं।

*५२-५३—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये।]

*५४-५५—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

*५६—श्री श्रीचन्द्र—[स्थगित किया गया।]

कानपुर में टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी के स्थान पर टेक्निकल इन्सटीट्यूट खोलने का विचार

*५७—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर में प्रस्तावित टेक्नोलाजिकल विश्वविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पृथक-पृथक क्या कार्य होंगे, और उनमें किस प्रकार का सहयोग सम्बन्ध (Co-ordination) होगा?

श्री बनारसीदास—कानपुर में टेक्नोलाजिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः उसके कार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सहयोग सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सही है कि पिछले अधिवेशन में काउन्सिल में इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ है कि जिसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात स्वीकार की गई है?

श्री बनारसीदास—यह ठीक है। लेकिन अब परिस्थिति के अन्दर थोड़ा सा अन्तर आ गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ४ टेक्निकल इन्सटीट्यूट्स हिन्दुस्थान में खोलने का निश्चय किया है। एक उत्तर भारत में भी होगा, और फिर ऐसा है कि प्लानिंग कमीशन ३ हायर सेकेंडरी टेक्निकल इन्सटीट्यूट कायम कर रहा है, एक उत्तर भारत में। हमारी सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है कि कानपुर में नार्दर्न इंडिया का इन्स्टीट्यूट कायम किया जाय। इसलिये यूनिवर्सिटी का प्रश्न पीछे पड़ गया है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह समझा जाय कि यूनिवर्सिटी की जगह इन्स्टीट्यूट कानपुर में कायम होगा?

श्री बनारसीदास—जी हां। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हमारी खतो-किताबत चल रही है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ३ इन्स्टीटचूट में से एक कानपुर में हो और उससे वह मकसद पूरा हो जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि इस सदन में माननीय उद्योग मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि कानपुर में औद्योगिक विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जायगा?

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछा।

श्री बनारसी दास—यह सही है । मैंने अर्ज किया कि उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में एक नया निर्णय लिया और वह एक बहुत बड़ा इन्स्टीट्यूट आल-इंडिया पैमाने पर उत्तरी भारत में खोलना चाहती है। इसलिये हमारा प्रयत्न यह है कि कानपुर में ऐसा इन्स्टीट्यूट कायम हो जो यूनिवर्सिटी का कार्य स्वयं करेगा ।

गोंडा जिले की श्रम-दान से बनी सड़कें

*५८—श्री गंगाप्रसाद— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कौन सी सड़कों का श्रमदान से निर्माण हुआ है, वह कितने मील लम्बी हैं और कहां से कहां जाती हैं ?

श्री फूलसिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३१–२३४ पर)

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों की देखभाल कौन सा विभाग करता है ?

श्री फूलसिंह—कच्ची सड़कों की देखभाल का प्लानिंग विभाग में कोई बन्दोबस्त नहीं है। पक्की सड़कों के लिये विचार है कि वे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को दे दी जावें ।

श्री गंगाप्रसाद— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खुरांटा से बरुआ तक की सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की करने का विचार है ?

श्री फूलसिंह—यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या कच्ची सड़कों की देख-रेख का उत्तरदायित्व जिला बोर्डों को सौंपने का विचार है ?

श्री फूलसिंह—जिला बोर्डों के पास अपनी सड़कों के देखने का ही इतना काफी काम है कि उनकी देखभाल उनके लिये कठिन है। अभी तक तो यह होता आया है कि श्रमदान सप्ताह में कच्ची सड़कों की फिर से मरम्मत की जाती है।

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किया गया।]

ग्राम खड्डा, जिला देवरिया में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खुलवाने के लिए आवेदन-पत्र

*६०—श्री महावीर सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खड्डा, जिला देवरिया में एलोपैथिक चिकित्सालय का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि यह सही है तो कब तक इस योजना को सरकार कार्यान्वित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस पर अगले वर्ष विचार किया जायगा।

*६१—श्री महावीर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि खड्डा देवरिया जिले का एक मलेरिया पीड़ित क्षेत्र है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में सिंचाई के रहटों के लिए तकावी

१—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में सिंचाई के लिये इस वर्ष कितने रहटों के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— उक्त जिले को इस वर्ष सिंचाई हेतु ३० रहटों के लिये ७,५०० रुपये तकावी के निमित्त अभी तक मंजूर किये गये हैं।

पंचायत चुनावों में अव्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष— मेरे पास श्री राजनारायण ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है। "सारे प्रदेश में सरकार ने हाथ से लिख कर वोटर लिस्ट बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार मनमाने ढंग पर स्थानीय सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ कर पंचायत के चुनाव में अव्यवस्था पैदा कर दी है। इस अव्यवस्था से उत्पन्न विषम, आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से तात्कालिक महत्व के विषय पर विवाद करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय राजनारायण जी यह बतला दें कि यह अर्जेन्ट, यानी इतनी जल्दी विचार करने के लिये क्यों जरूरी है ?

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इसका तात्कालिक महत्व यह है कि अभी चुनाव हो रहा है और प्रान्त के १४ जिलों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं क्योंकि जहां-जहां बाढ़ भयंकर रूप में आई थी वहां चुनाव स्थगित कर दिये गये थे। वे आगे चल कर इस चुनाव की समाप्ति पर होंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जो पंचायत हमारे सारे शासन का ढांचा है, उसकी यह प्रथम इकाई है और उसका चुनाव जनतांत्रिक ढंगपर नहीं हो पा रहा है। हमने पूरी नियमावली भी देखी, उसके अन्दर यह कहीं नहीं है कि वोटर्स लिस्ट हाथ से लिख कर तत्काल एक या दो दिन में पहले सुधार दी जाय। अभी मैं कानपुर गया था। वहां जिले का चुनाव समाप्त नहीं हुआ है, २५ तारीख तक समाप्त होंगे। बनारस में चुनाव हो रहा है। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि .....

श्री अध्यक्ष —मैं इसे वैध करार देता हूं, और इसमें कोई आपत्ति है किसी को उपस्थित होने में ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) तो फिर आप सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस काम रोको प्रस्ताव का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक है। महत्वपूर्ण यों है कि आज सारे उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में तमाम बालिग जनता भाग लेती है....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—बहुत सी बातें जो सदन के सदस्यों को मालूम हैं, उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप तो वोटर्स लिस्ट के बारे में बतावें कि क्या नियम हैं जो बनाया गया है।

श्री राजनारायण—मगर इस चुनाव में जो वोटर्स लिस्ट बनी है उसके लिये कोई ऐसा ऊपर से सरकारी आदेश गया है जिसके मुताबिक वहां की पंचायतों के कर्मचारी चुनाव के एक या दो दिन पहले भी लिस्ट संशोधित कर देते हैं और ऐसी भी शिकायत कानपुर में, सिकन्दरा में मैं गया हुआ था और वहां उम्मीदवार आये थे...

श्री अध्यक्ष—जो चीज गुजर चुकी है और जिसका सम्बन्ध इलेक्शन पेटीशन से हो सकता है, उस गांव या पंचायत का नाम न लें तो ज्यादा अच्छा है। "एक जगह" आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—मेरा काम रोको प्रस्ताव जो आपने भी श्रीमन् पढ़ दिया है, यह है :—

"सारे प्रदेश में सरकार ने हाथ से लिखकर वोटर्स लिस्ट बनाने तथा उसमें सुधार करने का अधिकार मनमाने ढंग पर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में छोड़ कर पंचायत के चुनाव में अव्यवस्था पैदा कर दी है। इस अव्यवस्था से उत्पन्न विषम, आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से तात्कालिक महत्व के विषय पर विवाद करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रस्ताव है और अगर वोटर्स लिस्ट हाथ से बनायी जाती है पहले से छप कर नहीं बनती, तो उसमें नियम के मुताबिक जिस तरह से लिखा हुआ है ड्रम पीट कर और पंचायत के दफ्तर पर वोटर लिस्ट टंगे, उस पर ऐतराज का मौका दिया जाय फिर उसकी सुनवायी हो, तो इस प्रकार का यह सारा काम नहीं हो रहा है। केवल पंचायत अधिकारी जाते हैं और उसमें यह भी हो सकता है कि उनका किसी न किसी से इन्टरेस्ट हो.....

श्री अध्यक्ष—अभी आपने कहा कि ऐसे आदेश गये हैं कि वे हाथ से लिख कर ऐसा कर सकते हैं ?

श्री राजनारायण—जी हां, लखनऊ के कुछ वकीलों से मेरी बातचीत हुई थी, लोगों ने मुझसे कहा है, और जहां तक मेरी जानकारी में है पंचायत राज्य के डायरेक्टर ने कोई ऐसा आदेश वहां भेज रखा है जो ऐक्ट के विरुद्ध जा रहा है। डायरेक्टर साहब को ऐसा आदेश नहीं भेजना चाहिये था। आज लखनऊ में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में भी एक पत्र आया है। उसमें एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कहा जा सकता है कि वे सत्ताधारी पक्ष के हैं। उनके द्वारा १३ तारीख को लिस्ट सबमिट होती है तो भी वह ले ली जाती है, लेकिन अगर दूसरों की तरफ से १२ तारीख को भी लिस्ट सबमिट होती है फिर भी कहा जाता है कि अब लिस्ट नहीं ली जायगी। श्रीमन्, कुछ जगहों की ऐसी रिपोर्ट हैं कि चुनाव के लिये लोग बैठे हैं और उनसे कहा जाता है कि वोटर लिस्ट से उनको मिला लिया जाय, लेकिन नहीं मिलाया जाता। अधिक लोग इसलिये नहीं मिलाते हैं कि वे वोटरलिस्ट को मनमाने ढंग से संशोधित कर देते हैं। आज उम्मीदवारों के पास ऐसी वोटर लिस्ट नहीं है जिनकी बुनियाद पर चुनाव हो सके। या तो वोटर लिस्ट्स अपूर्ण है या किसी उम्मीदवार को मिली नहीं है। ऐसी हालत में बिल्कुल जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर या नियमों के अनुसार ही चुनाव हों, यह बिल्कुल मुश्किल और असंगत है।

इसलिये अगर सदन समझता है कि गांव पंचायत, जो हमारे शासन की पहली इकाई हो रही है, उसके चुनाव नियमपूर्वक और स्वतन्त्र से हों, उन चुनावों में पक्षपात न हो

और वोटर लिस्ट भी ऐसी तो जिसमें पक्षपात न बरता गया हो, तो वे हमारा साथ दें। अब असेम्बली के लिये वोटर लिस्ट बन चुकी है तो फिर उन छपी-छपाई लिस्ट्स के अनुसार चुनाव क्यों नहीं किया जाता? फिर क्यों पंचायत अधिकारियों को ऐसा अधिकार दे दिया गया है कि चुनाव के स्थान पर एक दिन पहले उनको भेज दें। यह बहुत ही गैर-जनतांत्रिक तरीका है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हमारा साथ दे।

*स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जिस परिस्थिति के बारे में सदन को बताया है कि वह कोई अर्जेन्ट नहीं है। आज हमारे प्रदेश में ६ जिलों को छोड़ कर और पहाड़ी जिलों को छोड़ कर, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रदेश में ७३ हजार पंचायतें हैं, कितना जबरदस्त यह पंचायतों का चुनाव का काम है। उन्हें शिकायत है लिस्टों के बारे में। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जहां तक इन लिस्टों का सवाल है यह सूची नियमानुसार बनाई गई है। हर पंचायतों में दो रजिस्टर होते हैं, भाग १ और भाग २, जिसमें से एक रजिस्टर में जो वहां के कुटुम्ब होते हैं उनके नाम होते हैं, और दूसरे में मतदाताओं यानी बालिगों के नाम होते हैं। इन रजिस्टरों का, यानी मतदाता सूचियों का नियमानुसार प्रकाशन हुआ है वह जनता को दिखाई गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर रखी गई हैं। उनके बारे में प्रकाशन और मुनादियां भी हुई हैं। उन पर जो शिकायतें हुई हैं उनके अनुसार वह संशोधित भी की गई हैं। इसके अलावा हमारे नियमों में जो एक नियम नम्बर ११ है उसमें बालिगों को सुविधा दी गई है और अगर कोई गांव सभा का कोई सदस्य जो मतदाता होने का अधिकार रखता है, किसी कारण उस सूची में उसका नाम नहीं आ सकता है तो वह प्रार्थनापत्र दे सकता है और पंचायत निरीक्षक उस प्रार्थना-पत्र की जांच के बाद उसका नाम मतदाता की सूची में दर्ज करा सकता है। यह नियम ११ है जो प्रकाशित हो चुका है, और जो अन्तिम रूप से माना जा चुका है और उन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार यह परिवर्तन हो रहा है। यह जो कहा गया कि उन सूचियों को नहीं दिखाया गया है, उस सम्बन्ध में नियम है कि सूची देखी जा सकती है, उनकी नकल भी की जा सकती है, जो चाहे सूचियों की नकल कर के ले जा सकता है। और इस तरह के परिवर्तनों की भी मुश्तहरी अच्छी तरह से हो जाती है। फिर भी मुझे खेद है कि माननीय राजनारायण जी को इस तरह की शिकायत हुई। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि जहां इतना बड़ा काम हो रहा हो, लाखों आदमियों का चुनाव हो रहा हो, जहां हजारों जगह चुनाव का स्थल हो, वहां पर कुछ न कुछ शिकायत तो हो ही सकती है और उसका भी उपचार एलेक्शन पेटीशन द्वारा हो सकता है। उसके लिये भी काफी सुविधा दी जा रही है। जिनको कोई शिकायत चुनाव के मुताल्लिक है वह ऐलेक्शन पेटीशन से ठीक करा सकते हैं। मुझे तो प्रसन्नता है कि जिस समय हम चुनाव करने जा रहे थे उस समय हमें आशा नहीं थी कि इतनी शान्ति के साथ और अच्छे तरीके से यह काम होगा.....

श्री अध्यक्ष—आप राय देने लगे, यहां यह प्रश्न नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश—इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है और इस काम-रोको प्रस्ताव की कोई अरजेंसी या निश्चितता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर बहस करने की अनुमति दी जाय, वह कृपा कर के अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १६ सदस्य खड़े हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—पक्ष में १६ की संख्या है और कम से कम संख्या ३६ होनी चाहिये, तब समझा जाता है कि सदन को अनुमति है। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है।

कार्य परामर्शदात्री समिति में श्री बाबूलाल मीतल के स्थान पर श्री व्रजभूषण मिश्र की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—कार्य परामर्शदात्री समिति में श्री बाबूलाल मीतल को मैंने नामजद किया था, लेकिन वह अर्से से न सदन में आ रहे हैं और न इस समिति में ही आते हैं। लेकिन अभी तक इसमें कोई नियम नहीं था कि अध्यक्ष किसी नियम के अनुसार नाम हटा सके। इसलिये मैंने एक नियम इस सम्बन्ध में बना कर दिया है, और मैंने अब यह नियम रखा है कि "अध्यक्ष समिति से किसी सदस्य को पृथक कर सकता है यदि वह समिति की लगातार २ या दो से अधिक बैठकों में सभापति की आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहेगा।" तो यह नियम में जो परिवर्तन कर दिया गया है उसकी यह सूचना दे दी जाती है। अब चूंकि उन्होंने कोई सूचना भी नहीं भेजी और इजाजत भी नहीं ली उपस्थित न रहने की, इसलिये मैं उनका नाम काटने की बात तय करता हूं और उनके स्थान पर श्री व्रजभूषण मिश्र जी को नियुक्त करता हूं।

*उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब आबकारी मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय तथा श्री गेंदासिंह के संशोधन पर कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ को सदन प्रवर समिति में विचार कर के रिपोर्ट देने के लिये भेजने का निश्चय करता है, विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस वक्त माननीय गेंदासिंह जी इस विधेयक का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, तो उनके आकर्षक भाषण से मेरे दिल व दिमाग में एक बेचैनी पैदा हो गई और दिल की आवाज कुछ लहमे के लिये उठी कि प्रवर समिति में भेजने का विचार शायद मुनासिब है लेकिन दिमाग की आवाज कुछ दूसरी थी। मैं यही सदन से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर जो मुख्य समस्यायें हैं उन पर विचार किया जाय। मेरा ख्याल है कि सरकार इन प्रश्नों पर विचार करेगी और मुमकिन है कि फिर मेरे मित्र माननीय गेंदासिंह जी भी इसी राय के हो जायें कि अब प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं कुछ बातें सदन के सामने रखूंगा और आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे। सन् ४७ के ऐक्ट में कंट्रोलर था। उसको अख्तियार था कि वह शीरे के बेचने पर कंट्रोल करे और जिसको इजाजत दे वही शीरे का कारोबार करे। शीरे का मतलब उस ऐक्ट के मुताबिक उस शीरे से था जो शकर के कारखानों में निकलता हो। इस ४७ के ऐक्ट के अन्दर कंट्रोलर को यह भी अख्तियार था कि वह शकर की फैक्टरियों से शीरे के उत्पादन का ब्योरा मांगे और अगर कोई आदेश के खिलाफ कार्यवाही करे तो उसको सजा देने के लिये उस ऐक्ट में काफी प्रबन्ध था। आज जो संशोधित विधेयक सदन के सामने रखा जा रहा है उसमें जो सब से जरूरी बातें हैं, और जिन पर सदन विचार करेगा, वह पहले तो मुलैसेज की परिभाषा के अन्दर जो परिवर्तन किया गया है वह है। दूसरे, बजाय कंट्रोलर के एक बोर्ड को स्थापित करने के लिये इसमें स्थान रखा गया है। उस बोर्ड में कितने आदमी रहेंगे और कौन रहेगा इसके बारे में भी कहा गया है? फिर करीब-करीब वही बातें जरा तफसील के साथ दोहराई गई

*१९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

जो कि सन् ४७ के ऐक्ट में थीं, यानी सरकार की तरफ से आदेश हो सकते हैं कि शीरे के कारोबार में जब तक कि सरकार की इजाजत न मिले तब तक कोई कारोबार नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ दफायें बढ़ाई गई हैं जिनके अन्दर यह कहा गया है कि अदालत में इस ऐक्ट के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। ये मुख्य बातें हैं। जैसा मैंने निवेदन किया रोकथाम का जहां तक सम्बन्ध है वह पहले भी थी। हां, एक बात इसमें रखी गयी है, शीरे के दामों के बारे में, कि उसकी किस हिसाब से क़ीमत रक्खी जाय। उसको भी किसी कायदे के अन्दर नहीं बल्कि एक दफा के अन्दर लिख दिया गया है कि इस हिसाब से इसकी कीमत रखी जाय। श्रीमन्, मैं अब एक बात के ऊपर कुछ कहूंगा।

पहले तो जहां तक शीरे की व्याख्या का सम्बन्ध है उसमें खास तब्दीली यह की गई है कि ४७ के ऐक्ट में मुलैसिज की जो व्याख्या थी उसमें लफ्ज शुगर फैक्टरीज था यानी वह शीरा जो शुगर फैक्टरीज में पैदा होता है। ये अल्फाज अब निकाल दिये गये। विधेयक में मुलैसिज की जो डेफिनीशन रक्खी गयी है उसमें से शब्द शुगर फैक्टरीज निकाल दिया गया है, और इसमें मैं माननीय गेंदा सिंह जी से सहमत हूं कि इससे उलझनें पैदा हो सकती हैं। इससे खांडसारी शक्कर से निकला हुआ शीरा भी मुलैसिज की डेफिनीशन में आ जायगा और इसका असर यह हो सकता है कि अगर आप ने इस नये ऐक्ट के मातहत कोई आदेश जारी किया कि बिना सरकार की इजाजत से कोई कारोबार न हो सके, कोई शख्स किसी को न बेच सके, तो एक प्रकार से वह खंडसारी शक्कर से निकला हुआ शीरा भी उसमें शामिल हो जायगा। सन् ४७ के ऐक्ट का जहां तक ताल्लुक था वह उसी शीरे तक महदूद था जो शक्कर के कारखानों से निकलता था। शक्कर के कारखाने मालूम हैं कि कितने हैं और उनके उपर रोकथाम हो सकती है। लेकिन खंडसारी से निकले हुये शीरे पर भी रोकथाम लगाने पर मेरा ख्याल है शायद सरकार की भी मंशा न होगी, लेकिन जिस तरह से इसमें अल्फाज रक्खे गये हैं वह भी इसके अन्दर आ जाता है।

दूसरे, शीरे की क़ीमत भी, जैसा मैंने निवेदन किया, इस विधेयक में रक्खी गई है और वह दफा ५, सब-सेक्शन ३ में रक्खी गयी है'। इसमें कहा गया है कि शीरे की क़ीमत उतनी होगी जितनी की आनों में फी मन गन्ने के दाम हों, और उस को ४२×२३ से जरब किया जाय तो वह रक़म पाइयों में जितनी आती हो उतनी शीरे की क़ीमत रहेगी। यानी अगर आज गन्ने का रेट १ रु० ७ आने मन है तो १ रुपये ७ आने में २३ आने हुये। और २३ आनों को, अगर ड्योढ़ा जरब किया जाय तो लगभग ४२ पायी आती है। ४२ पाई के मानी, करीब साढ़े तीन आने मन बैठता है। साढ़े तीन आने की रकम अगर आप शीरे की लगायेंगे, और अगर यह सही है कि बाजार में शीरे के दाम १५ रुपये मन तक हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें काफी गौर और फिक्र की जरूरत है कि यह क़ीमत इस तरह से इस विधेयक में रखना कहां तक मुनासिब है? अगर इसको रूल्स के अन्दर डालें तो सरकार के अधिकार में आ जाता है कि यह रकम सोच-समझ कर रखी जाय और ऐसा करने का अधिकार रहेगा। लेकिन अगर आप यह बात ऐक्ट के अन्दर डाल देंगे तो फिर हाथ बंध जायंगे और शीरे के दाम बिलकुल मुकर्रर हो जायंगे। इस विधेयक में बोर्ड की स्थापना की तजवीज की गयी है, जिसका नाम मुलैसिज बोर्ड, उत्तर प्रदेश होगा। उसका कंट्रोलर एक्स आफिशिओ चेयरमैन बनाया गया है। उसके दस मेम्बर सरकार के द्वारा मुकर्रर किये जायंगे। उनमें तीन तो फैक्टरी के नुमाइंदे होंगे और तीन डिस्टिलरीज के नुमाइन्दे होंगे। चार कौन होंगे, यह इसमें नहीं कहा गया है। यहां, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन चार में से सरकार का मतलब बाहर के नानआफिशल्स से हो, तो मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर इन चार में से विधान सभा के सदस्यों से है कि वह नान आफिशल मेम्बर्स की तरह से रहेंगे, तो श्रीमन मैं बहुत जोरदार शब्दों में इसका विरोध करूंगा। पहले भी एक आध दफा इस सदन में कह चुका हूं कि इस सदन के सदस्यों को मान-मर्यादा रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी कमेटी या बोर्ड के सदस्य न बनाये जायं जिसका कि

[श्री शिवनाथ काटजू]

चेयरमैन कोई सरकारी कर्मचारी है। आज हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न है। उस डेमोक्रेटिक पेटर्न के अन्दर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह हमेशा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आते हैं। केन्द्र में वारंट आफ प्रीसीडेंस बना हुआ है। लेकिन हमें दुख है कि हमारे यहां कोई वारंट आफ प्रीसीडेंट नहीं है। हर जिले में जो बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं, ऐंटी करप्शन कमेटी के बारे में अब कुछ और कायदा हो गया है, लेकिन बहुत सारी कमेटियां हैं जिनमें इस सदन के सदस्य मेम्बर रहे हैं। लेकिन उसका चेयरमैन या तो कलेक्टर होता है या कोई और सरकारी कर्मचारी होता है। मेरा नम्र निवेदन है कि अब समय आ गया है कि इस सदन के सदस्यों की मान-मार्यादा का विचार किया जाय। अगर आप इस बोर्ड में विधान सभा के सदस्य को रखने का विचार रखते हैं तो मैं बहुत जोरदार शब्दों में कंट्रोलर को उसका चेयरमैन बनाने का विरोध करूंगा। यह इस सदन की मान-मर्यादा के विरुद्ध है कि किसी कमेटी में इस सदन का सदस्य बैठे जिसका कि चेयरमैन कोई सरकारी कर्मचारी हो जो कि वारन्ट आफ प्रीसीडेंस में इस सदन के सदस्य से बहुत नीचे आता है।

इसके साथ ही साथ एक दूसरा प्रश्न भी उत्पन्न होता है जिस पर मैं आशा करूंगा माननीय मंत्री जो विचार करेंगे। हमारे यहां डिस्ट्रिलरीज, जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा, और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने जो यहां फिगर्स दिये हैं वह सही हों, २४६ दिन चलीं और बाकी दिन शीरे की कमी के कारण डिस्टिलरीज न चल सकीं। लेकिन इसके साथ यह भी है, जैसा कि मैं कल कह चुका हूं, कि जहां हमारे प्रान्त में सन् १९५३-५४ में ४३ लाख मन शीरा पैदा हुआ उसके साथ ही साथ सन् १९५३-५४ में ६०,९४,९२२ गैलन देशी शराब बनाई गई। यह देशी शराब इसी शीरे से बनायी गई। आज हमारे सामने यह समस्या है कि शीरे की कमी है, और इस कमी के कारण जितना पावर अलकोहल हम बनाना चाहते हैं उतना हम नहीं बना सकते। मैं यहां माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सुझाव पर गौर करें कि यह देशी शराब जो अधिकांश मात्रा में जिस शीरे से बनती है उसको देशी शराब के उत्पादन से हटाकर पावर अल्कोहल बनाने में लगा दिया जाय और देशी शराब को जैसे पहले महुवे से बनाते थे, महुवे से ही बनाया जाय।

इसके साथ-साथ एक दूसरा सवाल यह भी उठता है कि हमारी आबकारी की नीति यह कहती है कि हम शराब को रोकथाम करें। आज अगर इस प्रान्त में शराब को बिलकुल बन्द कर दें तो मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक शराब सरकार बेचती है और सरकार उसका दाम लेती है और दाम भी ऐसा लेती है कि जो कम नहीं, काफी रकम लेती है, तो सरकार की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जो चीज वह बेंचे वह अच्छी बेंचे। शराब एक बुरी चीज है, शराबखोरी बुरी है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीते हैं तो उनके लिये मुनासिब बन्दोबस्त होना चाहिये, और आज जब हम ६ करोड़ रुपया हम शराब बेंचने से वसूल करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से काम जिस चीज के लिये काफी रक़म जनता से ली जाती है वह अच्छी चीज तो दी जाय। पहले महुवे की शराब दी जाती थी। आज महुवे की मात्रा को बहुत कम कर के अधिकांश मात्रा में शीरे की शराब दी जाती है। कल माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि शीरा बहुत ही अच्छी चीज है, और दो औंस शीरे की मिस्ट अगर बनाई जाय तो उसमें दो अंडे की ताकत निकलती है। एक औंस में एक अंडे की। तो एक बोतल शराब में शायद दो-चार मुर्गों या दो चार मुर्गे की ताक़त इस हिसाब से निकले। लेकिन जो मैंने सुना है वह यही सुना है कि शीरे की शराब कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, जैसे पहले महुवा की शराब हुआ करती थी। अब उसमें महुवे की मात्रा शायद १५ फीसदी या २० फीसदी है और ८० फीसदी उसमें मुलेसेज होता है। मैं माननीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप जब तक देशी शराब बेंचते हैं, आठ-नौ रुपया आप गरीब

आदमियों से उसका दाम वसूल करते हैं, तो आपका यह फ़र्ज़ हो जाता है कि आप कम से कम नौ रुपये की चीज तो उसको दें, और नौ रुपये की क़ीमत में उसे जहर तो न दें! तो अगर शीरे की शराब को हटा कर महुवे की शराब या और कोई अच्छी चीज इसी प्रकार की गुणकारी हो, उसे दें, और आप इस मात्रा के शीरे को पावर अल्कोहल में लगायें तो बहुत कुछ आप की समस्या दूर हो जायगी। ये समस्यायें इस विधेयक में उठती हैं और मैं आशा करूंगा कि यह सदन इन समस्याओं पर गौर करेगा।

इन शब्दों के साथ, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि मेरे दिमाग और दिल में कुछ हलचल हो गई कि जहां दिल गेंदासिंह जी की तरफ है, दिमाग चौधरी साहब की तरफ है, लिहाजा मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और गेंदासिंह जी के सुझाव का विरोध करता हूं।

श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के विषय में कल विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने कुछ महत्वपूर्ण विचार रखे थे और प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा जाय, यह सुझाव भी रखा था। पूर्व इसके कि मैं प्रवर समिति को यह विधेयक भेजा जाय या नहीं इसके विषय में कोई सम्मत्ति प्रकट करूं, मैं कुछ मूलभूत सिद्धांतों की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक इस विधेयक के आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे विचार से ऐसा विधेयक इससे बहुत पहले इस सदन में आना चाहिये था। किसी भी दृष्टिकोण को बनाने के लिये सब से पहले हमें यह देखना उचित होगा कि इस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कानून को बनाया गया था और आज वह आवश्यकताएं किस मात्रा में हमारे सामने हैं। श्रीमन्, सन् १९३२ में जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रोटेक्शन की भारी दीवार खड़ी कर के शक्कर की इंडस्ट्री को प्राटेक्शन दिया जाय, उसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश में और देश में बहुत सी फैक्टरियों का निर्माण हुआ और सन् १९३७ तक हमारे देश में १०१ शुगर फैक्टरीज निर्मित हो गयीं। इन शुगर फैक्टरीज से लगभग तीन लाख टन शीरा तैयार होता था और आश्चर्य का विषय यह है कि उसमें से केवल एक अंश तो यू० के० को एक्सपोर्ट होता था, एक अंश तम्बाकू के मिलाने के काम में आता था, लेकिन उसका अधिकांश प्रायः दो लाख टन के करीब नष्ट किया जाता था और वह फैक्टरीज के नालों के जरिये बहा दिया जाता था। उस समय यह समस्या पैदा हुई, फैक्टरीज की तरफ से यह मांग हुई कि इस शीरे को प्रयोग में लाने के लिये हम इसका पावर अल्कोहल बनाएं और सन् १९३५ में सब से पहली दफा मैसूर में एक डिस्टिलरी शुरू हुई। लेकिन फिर भी उस समय की सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सन् १९३८ में सब से पहले इंडियन टैरिफ़ बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार किया और एक मत से सिफारिश की कि हम मुलैसिज को डिस्टिलरीज के प्रयोग में लायें। सन् १९४१ में उस सिफारिश के आधार पर मेरठ में सब से पहली डिस्टिलरी कायम हुई और उसके बाद शनैः-शनैः हमारे देश में १८ डिस्टिलरी कायम हुई जिसमें १२ हमारे प्रदेश में सन् १९५२ तक थीं। इन सारी डिस्टिलरीज की पूरी कैंपेसिटी १,३१,५८,००० गैलन अल्कोहल बनाने की थी और हमारे प्रदेश में, जो १२ डिस्टिलरीज थीं उनकी टोटल कैंपेसिटी ८६,२८,००० गैलन पावर अल्कोहल बनाने की थी। अतः हमारे प्रदेश की सरकार के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इतनी मात्रा में अल्कोहल बनाने के लिये शीरा उचित कीमत पर मिल सके, इसका प्रबन्ध हो। उस समय डिफ़ेन्स आफ इंडिया रूल्स लागू थे, अतः डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत उन अधिकारों का प्रयोग कर के ऐसी सुविधा की गयी। लेकिन इन डिफ़ेन्स आफ़ इंडिया रूल्स की अवधि सितम्बर, सन् १९४६ में समाप्त हो गई। तब इस सदन के समक्ष एक मुलैसिज कंट्रोल बिल पेश किया गया जो एक प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ और उसके बाद २२ जनवरी, १९४७ को इस सदन ने जो हमारा मूल ऐक्ट है मुलैसिज कंट्रोल ऐक्ट, उसको पास किया। इस मुलैसिज कंट्रोल ऐक्ट को पास हुये आज लगभग ८ वर्ष हो गया और इन ८ वर्ष का अनु-

[श्री जगदीशसरन]

भव हमारे सामने है । इस बीच में जो कठिनाइयां आयीं वे भी हमारे सामने हैं और आज उस अनुभव का लाभ उठा कर हमें इस संशोधन विधेयक को पारित करना चाहिये। मैं सब से पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान उस की ओर दिलाऊंगा जो परिवर्तन उन्होंने मुर्सेसिज की परिभाषा में किये हैं। कल जब माननीय मंत्री जी ने इस बिल को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया था तब उन्होंने यह कहा था कि हमने इस संशोधन विधेयक के द्वारा मोलेंसेज की परिभाषा को सरल बनाया है। मैं यह मानने को तैयार हूं कि माननीय मंत्री जी की भावना अवश्य यही रही होगी कि इस परिभाषा को सरल बनायें। वे सरल स्वभाव के उदार चित्त व्यक्ति हैं। इसी भावना से उन्होंने इसे अवश्य देखा होगा। लेकिन नम्रतापूर्वक मुझे यह निवेदन करना है कि इस संशोधन से सरलता के विपरीत गरलता आ गयी और बड़ी विषम गरलता आ गयी। इस मुलेंसिज की परिभाषा में कुछ शब्द कम करने से वह सरल हो जाय या उसको असीमित कर देने से वह सरल हो जाय यह शब्द गलत होगा। मुर्सेसिज की जो परिभाषा १९४६ के विधेयक में थी उसमें शब्द "ओपेन पैन" नहीं थे। उसके बाद प्रवर समिति से जब वह पास हुआ तब उसमें शब्द "ओपेन पैन" बढ़ा दिये गये। लेकिन उसके संरक्षण के लिये प्रतिबन्ध भी उसमें था। श्रीमन् उस समय हमारे सामने कोई पिछला अनुभव नहीं था, हम एक नया नियन्त्रण करने जा रहे थे, हम अंधेरे में और बढ़ रहे थे। उस समय की प्रवर समिति की रिपोर्ट पढ़ने से यह पता लगता है कि उनका यह विचार था कि जब हम एक नया नियन्त्रण करने जा रहे हैं तो अच्छा हो जितना विस्तृत रख सकें उतना रखें। लेकिन उस समय भी इस संरक्षण के लिये कहीं छोटे-छोटे कारखाने——खांडसारी से मेरा मतलब है——इसमें न आ जायं उन्होंने "शुगर फैक्टरीज" शब्द को बढ़ा दिया। मैं बड़े आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि जो प्रोसीडिंग्स मैंने उस समय के विवाद की पढ़ीं और जो उस समय की प्रवर समिति की रिपोर्ट पढ़ी और जो आज अब तक के भाषण मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों के सुने उससे मुझे यह शंका होती है कि कदाचित "ओपेन पैन" के माने जानने में कुछ भ्रम था और है। और जब माननीय काटजू साहब का भाषण मैंने सुना उसके बाद तो मेरा और भी यह निश्चित विचार हो गया कि शब्द "ओपेन पैन" एक भ्रम डालता रहा है और अब भी उसके बारे में भ्रम है। "ओपेन पैन" केवल एक शब्द के रख देने से वह सारा खांडसारी व्यवसाय, वे सारे गृह उद्योग जो लाखों आदमियों का सहारा है इस परिभाषा के अन्दर आ जाते हैं। मूल अधिनियम में भी "ओपेन पेन" का शब्द था लेकिन उसका परिणाम इसलिये नहीं हुआ कि इसका संरक्षण शुगर फैक्टरीज के प्रतिबन्ध से हो गया था। इसलिये वह समस्या अमली रूप में नहीं आयी।

श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी ने कल हमें यह बताया होता कि इस ८ वर्ष में कभी भी उन्हें यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि खांडसारी पर कोई कंट्रोल किया जाय तब तो इस बात पर विचार करने का कोई कारण हो सकता था कि आज भी "ओपेन पैन" शब्द को रहने दें और उस पर शुगर फैक्ट्रीज के शब्द से प्रतिबन्ध लगायें। आज तो हम यह आशा करते थे कि जब हम पिछले ८ वर्ष के अनुभव से फायदा उठा कर एक संशोधक विधेयक ला रहे हैं तो इस "ओपेन पैन" के शब्द को जो बिलकुल निरर्थक है स्वतः निकाल दिया गया होता, जिससे उस शीरे पर नियन्त्रण लगानें का अभिप्रायः हो ही नहीं सकता था। जिस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई उस पर नियंत्रण लग जाता है। श्रीमन्, मुझे बहुत हर्ष है जहां तक मैं जानता हूं और मेरी मंत्री जी से वार्तालाप हुई, मंत्री जी का अभिप्राय नहीं है कि खांडसारी के सवाल को इसमें रखें। लेकिन श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यदि "ओपेन पैन" शब्द को नहीं हटाया गया तो चाहे मंशा हो या न हो लेकिन वह इसमें आवश्य आ जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने इस "ओपिन पैन" शब्द के माने मालूम करने की कोशिश की और इसके लिये डिक्शनरियों को भी देखा और केन्द्र के ऐक्टों में भी देखने की कोशिश की उस सब से यह जाहिर है कि इस शब्द के रखने से सभी खंडसारी धंधे और उद्योग इसमें आ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल ऐक्साइज ऐण्ड साल्ट ऐक्ट में ओपिन पैन और वैकूम पैन दोनों की परिभाषा अलग-अलग दी है। जहां पर वैकूम पैन का इस्तेमाल होता है यानी इसका इस्तेमाल शक्कर मिलों द्वारा बनाये जाने में होता है और ओपिन पैन का इस्तेमाल खंडसारी द्वारा शक्कर बनाये जाने में प्रयोग होता है। यही इसके अलग-अलग मतलब हैं। १९५२ में सेंटर में एक ऐक्साइज ऐक्ट आया इसमें खंडसारी की परिभाषा क्या है उस संबंध में कहा है कि खांडसारी शक्कर उसको मानेंगे जहां पर शक्कर बनाने में वैकूम पैन का इस्तेमाल न हुआ हो। तो दोनों में यह खुला हुआ अन्तर है। वैकूम पैन के अन्तर्गत सारी मिलों की पद्धति आती है क्योंकि इसमें वही पैन इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वैकूम होता है और खांडसारी पद्धति उसके अन्तर्गत आती है जिसमें ओपिन पेन इस्तेमाल किया जाता है।

श्रीमन्, वास्तव में प्रश्न यह भी पैदा होता है कि मंत्री महोदय कदाचित इसमें खांडसारी को लाना नहीं चाहते हैं, इसलिये मेरी समस्या बहुत सीधी-सी है। मुझे बहुत कुछ निवेदन करना नहीं है लेकिन इतना मैं अवश्य अवसर का लाभ उठा कर निवेदन करना चाहता हूं कि खांडसारी वह व्यवसाय है, वह छोटा घरेलू धंधा है जिस पर हमारे प्रदेश के लाखों आदमियों की जीविका आश्रित है और जिससे दूसरे लोग भी इससे संबंधित हैं जैसे, कुम्हार, भिश्ती, बढ़ई और गाड़ी वाले इत्यादि को भी इससे रोजगार मिलता है। तो हमारी सरकार को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिये जिससे इसको शक्ति प्रदान हो, जीवन मिले और यह आगे बढ़ सकता हो।

आज कारवे कमेटी की रिपोर्ट और इंडियन टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में और सभी ऐसी उप-समितियों की रिपोर्ट में इसको प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इसमें ध्यान रखें कि इसमें कोई ऐसी बात न आ जाय जिससे इस गृह उद्योग को बजाय प्रोत्साहन देने के धक्का पहुंचे, जैसी कि माननीय मंत्री जी की मंशा नहीं है।

इसके बाद उसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग मुलैसिज कंट्रोल बोर्ड की स्थापना है। मैं इसका स्वागत करता हूं। पिछले अधिनियम की धारा ३ में परामर्शदात्री समिति बनाने का अधिकार था लेकिन वह पंगु थीं, उनको विशेष अधिकार नहीं थे, उनको होना न होना एक सा था लेकिन इस बोर्ड को निश्चित रूप से शक्ति होगी और यह कुछ कर सकेगा। मेरी तो निश्चित धारणा है कि यदि यह पहले से बन जाता तो कदाचित मुलैसिज स्कैंडल के नाम की बहुत सी चीजें सुनने में न आतीं। मैं गेंदासिंह जी से सहमत हूं कि इसको जितना सबल बनाया जा सके बनाया जाय। यदि किसी संशोधन से और बल मिलता हो तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अवश्य इसको स्वीकार करेंगे।

इसके बाद एक अंग इसका है प्राइस निश्चित करने वाली बात का। अभी माननीय काटजू साहब के भाषण को सुनते समय मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कदाचित इसका १५ रुपये मन का भाव होता है। मैं माननीय सदन के सदस्यों की सूचना के लिये बता देना चाहता हूं क्योंकि इससे भ्रम न पैदा हो सके, यह गलत बात है। दरअसल कभी भी किसी जिले में भी, लड़ाई के ऊंचे से ऊंचे काल में भी मिल के मुलैसिज का दाम ५ रुपये मन से ज्यादा नहीं गया। १५, १६ तो खंडसारी के शीरे का, राब का, गुड का भाव भी नहीं है। श्रीमन्, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि खांडसारी के शीरे और मिल के शीरे में एक बड़ा भारी अन्तर यह रहता है कि मिल का शीरा ४, ५ आने मन रहता है तो खांडसारी का शीरा ४, ५ रुपये मन रहता है। तो इसके दामों में १०, १२ गुने का अन्तर रहता है। मिल के शीरे के भाव का जहां तक संबंध है इसका भाव बाजार में आज तक १० आने से लेकर १ रुपये तक है। तो यह जो फार्मूला दिया गया है, ऐसे फार्मूले हमें बनाना ही पड़ेंगे। डिस्टलरीज के लिये हमें यह निश्चित आश्वासन देना पड़ेगा कि एक निश्चित दर पर, जो दर रीजनेबिल कही जा सके, उस पर उनको यह मुलैसिज मिलता रहे। इसलिये जो फार्मूला, जो सिद्धांत इस विधेयक में है वैसा सिद्धांत हमें पारित करना ही होगा और उस सिद्धांत से जो फल आता है, जो कीमत आती है,

[श्री जगदीशसरन]

उसमें और बाजार की क़ीमत में इतना अन्तर नहीं है जैसा कि अभी माननीय काटजू साहब की स्पीच से शायद ख्याल हुआ हो।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, इस बिल में और भी महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में कई संशोधन हैं और वह है "मुसेसिज फार अदर परपजेज" वाले शब्द की बात। मैं केवल इस विषय में इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार के सामने एक नीति का सिद्धांत का विषय है। सरकार को यह देखना होगा कि वह ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने के पक्ष में है, नियंत्रण करने के पक्ष में है या कम से कम नियन्त्रण करने के पक्ष में है। अगर हम कम से कम नियंत्रण करना चाहते हैं तब हमें सिद्धांतया इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि डिस्टलरीज के लिये जितने शीरे की आवश्यकता है उसको हम सुरक्षित करके शेष सारे शीरे को हम कंट्रोल से मुक्त कर दे, नियंत्रण से मुक्त कर दें और अदर परपजेज वाले शब्द को इससे निकाल दें। श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं इतना निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी की सेवा में कि इस "अदर परपजेज" वाले नियंत्रण में भारी दुष्परिणाम की आशंका है। जो अनुभव हुआ है वह संकेत करता है कि इससे हम जितना शीघ्र मुक्त हो सकें, अच्छा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री जी के विचार में अदर परपजेज में कोई और ऐसी आवश्यक बात न हो, जिसको अभी तक हम नहीं जान पाये हैं तो वह इस "अदर परपजेज" वाले शब्द को भी इससे निकाल दें। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं इस विधेयक के मूलभूत सिद्धांतों का समर्थन करता हूं। जहां तक प्रवर समिति का संबंध है उसमें मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने जब कल इसके विषय में प्रारम्भ में कहा था तो मैं समझता था कि कदाचित उनका समर्थन करूं। मैं समझता रहा कि इसके सुझाव के पीछे कोई भारी दलील होगी, लेकिन नहीं उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि कोई ऐसी विशेष बात इस विधेयक में आई कि जिससे इसको प्रवर समिति में भेजना उचित समझा जाय और श्रीमन्, यदि हमारा यह दृष्टिकोण हो जाय कि हम हर बिल को प्रवर समिति में भेजने लगें तो कदाचित उससे लाभ नहीं होगा वह लाभ उससे नहीं होगा जिस लाभ के लिये हम ऐसा प्रस्ताव करते हैं। औषधि को भोजन बना लेना उसके गुण को खतम कर देना है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जब तक माननीय गेंदासिंह जी के हृदय में या दिमाग में कोई ऐसी बात न हो कि जो कल उन्होंने हमारे सामने नहीं रखी या जिसके आधार पर वे समझते हैं कि इसका सेलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है तब तक वह अवश्य इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, यह विधेयक बहुत महत्व का है यह समझना कि श्री गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव आया कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय और हम लोग यह समझें कि उन्होंने कुछ मामूली दलील दी। दलीलें वह और भी दे सकते थे तो इसलिये हम इसकी मुखालिफत करें कि यह प्रवर समिति में न जाय यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत गम्भीरता के साथ इतनी माकूल और उचित दलील दी कि यह विधेयक केवल उन बातों के लिये ही नहीं है कि अलकोहल बनाने के लिये शीरे की आवश्यकता है बल्कि हमें यह भी सोचना है कि यह सरकार ऐसी कोई योजना बनाये जिससे जितना हमारे प्रदेश का शीरा है उससे कुछ और अधिक उत्पादन हम कर सकें इस अलकोहल के अलावा। एक नाम उन्होंने बताया कि फूड यीस्ट जो शायद खमीरा कहा जा सकता है आजकल दुनिया के साइन्सक्षं ने यह साबित कर दिया है कि जो गिजायत गुड़ और शीरे में है वह किसी और चीज में नहीं है। तो हमारी सरकार को सोचना यह है कि आया इस शीरे से हम कोई ऐसी चीज उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे देश के लिये और हमारी आम जनता के लिये बहुत लाभदायक हो सकती है। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यह बात सोचें या कोई और बिल लायें। अगर यह बिल प्रवर समिति में जाय तो इन बातों पर हम गौर कर सकते हैं

और अन्य बातें भी सोच सकते हैं। और एक सीधा सम्बन्ध इस विधेयक से गन्ना पैदा करने वाले किसानों का है। उनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है जो कीमत मुकर्रर होती है गन्ने की, जो गन्ना कि फैक्टरी लेती हैं उस गन्ने को उस समय शीरे की जो कीमत लगायी जाती है गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। शीरे की कीमत को ध्यान में रखते हुये गन्ने और चीनी के भाव को मुकर्रर किया जाता है। तो इस बिल में कहीं भी गन्ने को पैदा करने वाले किसानों का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखा गया। मैं समझता हूं कि जिनका सीधा सम्बन्ध इस शीरे की पैदावार से है उनका रिप्रिजेन्टेशन होना इसमें बहुत आवश्यक है। एक महत्व की बात यह है कि अदर परपजेज जो कि बिल में लिखा हुआ है उसकी माननीय गेंदासिंह जी ने और जगदीश सरन जी ने मुखालफत की है। मैं समझता हूं कि इसकी विशेष जरूरत है और इसलिये जरूरत है कि जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि फूड यीस्ट के लिये या कुछ और दूसरी चीजों को बनाने के लिये सोचना है कि आया इस शीरे से हम क्या-क्या और चीजें बना सकते हैं। केवल अगर हम अलकोहल रखते हैं तो फिर हम इसी मिकदार में उस शीरे को लगा पायेंगे।

दूसरी बात और है कि जब चीनी का भाव मुकर्रर किया जाता है तब शीरे का भाव ध्यान में रखा जाता है। अगर हम केवल अलकोहल के लिये ही इस बिल में रखें तो बाकी रिलीज करना पड़ेगा। और रिलीज होने पर जब फैक्टरीज उसको बेचेंगी तो यह मानी हुयी बात है कि जो उसका मुकर्रर भाव है उससे अधिक दाम पर वह बेंचेंगी और उन अधिक दामों का लाभ गन्ना पैदा करने वालों (किसानों) को नहीं होगा जब कि चीनी और गन्ने के दाम मुकर्रर करते वक्त उसके दामों पर भी विचार किया जाता है। श्री जगदीश शरण जी ने फरमाया कि उसके दाम बहुत अधिक नहीं होते हैं। कन्ट्रोल और लड़ाई के जमाने में भी अधिक नहीं थ। असली बात यह है कि जो प्योर मिल का शीरा है, इस प्रकार से नहीं बिकता है, बल्कि वह बेंचा जाता है यह कह कर कि वह खांडसारी का है। बाजार में जो शीरा बेचा जाता है वह खांडसारी का कह कर बेचा जाता है और उससे जो दाम मिलते हैं वह सारे के सारे फैक्टरी के मालिक के पास जाते हैं। जो लोग उनसे खरीदते रहते हैं उनकी तरफ माननीय गेंदासिंह जी ने भी इशारा किया और मैं भी समझता हूं कि उसके बारे में कुछ निवेदन कर दूं हालांकि इस बिल के मुताबिक उसकी चर्चा करना ज्यादा उचित नहीं है। जो अदर परपजेज हैं जिसका डर गेंदा सिंह जी को और जगदीश शरण जी ने भी कहा कि कुछ लोगों को परमिट ईश्यू कर दिये जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जानते होंगे उन परमिटों का क्या होता है। अगर वे नहीं जानते तो मैं समझता हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि इतनी बड़ी ब्लेक मार्केटिंग परमिट के बारे में हो, जिसकी इतनी भारी चर्चा हमारे प्रदेश में हो और वह मंत्री जी को मालूम न हो तो ऐसा मैं मान नहीं सकता। सरकार 'ए' को परमिट देती है और वह १ रुपया के भाव से खरीदता है। अब 'ए' बी को २ रुपया के भाव से बेच देता है। 'बी' थर्ड पार्टी को और ऊंचे भाव में बेच देता है। इस प्रकार से हजारों रुपये का फायदा बीच वाले को हो जाता है। इसका एक इलाज गेंदासिंह जी ने बताया कि सारे शीरे को रिलीज कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि वे इस जगह भूल करते हैं। वे कहते हैं कि सारे शीरे को बाजार में बिकने दिया जाय और बाजार में बिकने के बाद जितना रुपया बिक्री का आये उसी हिसाब से कंट्रोल कर दिया जाय और उनसे वसूल कर दिया जाय। मेरे विचार में यह इम्प्रेक्टीके बिल है नामुमकिन है, यह कभी हो नहीं सकता। माननीय गेंदासिंह जी को यह तो अच्छी तरह से जानकारी है कि जो हमारे गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं उनको चीनी का एक्स्ट्रा प्राफिट देने में मिल वाले कितनी अड़चनें पैदा करते हैं। तो यह कि उनसे रुपया वसूल कर लिया जाय, आसान बात नहीं है कि शीरे की कीमत को इस तरह से कंट्रोल करने से वे सारी कीमत को गवर्नमेंट को दे देंगे और अगर देंगे भी तो किसानों के हाथ में क्या आता है। इसके लिये यही एक तरीका है कि इसमें "अदर परपेजेज" रख दिया जाय और बिलकुल रिलीज न किया जाय और उसके लिये सुझाव यह है कि जितना शीरा हो, जो एलकोहल के अतिरिक्त हो वह कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाय। इससे परमिट और एक्स्ट्रा प्राफिट का सवाल पैदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार, केन्द्रीय

[श्री फतेहसिंह राणा]

सरकार और जनता की यह खुली हुयी नीति है कि आजकल सारे काम या जितने भी अधिक से अधिक कर सकते हैं, ब्यापार, कामर्स या उत्पादन के, उनको सहकारिता के द्वारा ही करना चाहिये। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है हम इस ओर कदम उठायें और बहादुरी और इमानदारी के साथ वैस्टेड इंटरेस्ट् का मुकाबला करें। इस का बहादुरी के साथ मुकाबला करना है।

एक बात मैं और निवेदन करूं कि हमारी सरकार कांग्रेस सरकार है उसकी पार्टी की एक इनफारमल मीटिंग में अभी हाल में दिल्ली में यह सर्वसम्मति से तय हो गया है कि ट्रेड और कामर्स को नेशनलाइज करके सारे काम कोआपरेटिव द्वारा कराये जायं, इसलिये इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है कि यह शीरे की बिक्री का काम कोआपरेटिव द्वारा क्यों न कराया जायगा। इसलिये माननीय गेंदा सिंह जी भी इस बात को मानेंगे कि उस शीरे को रिलीज न किया जाय और न उसमें से "अदर परपेजेज" निकाला जाय बल्कि यह बेहतर होगा कि सहकारिता द्वारा उसका वितरण कराया जाय और इससे जो परमिट का रिवाज था जिससे भ्रष्टाचार की सम्भावना है वह भी नहीं रहेगी।

एक बात शीरे के बोर्ड के बारे में है। वह एक अच्छी चीज है लेकिन उसको पूरा अधिकार मैं समझता हूं नहीं दिया गया है। इसलिये और भी आवश्यक है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और वहां इस पर गौर किया जाय कि शीरा बोर्ड को क्या अधिकार दिये जा सकते हैं। जैसा कि माननीय काटजू ने कहा कि उस बोर्ड का जो प्रेसीडेंट या चेयरमैन रखा है वह कंट्रोलर रखा है। मैं समझता हूं कि उसके लिये और कोई भी नहीं तो माननीय मंत्री जी स्वयं ही उसके प्रेसीडेंट हों तो गनीमत है। यह मुनासिब नहीं है कि वही जो उन तमाम नियमों की पाबन्दी करायगा वह खुद जिन तमाम बातों का फैसला करेगा वही प्रेसीडेंट रहे यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक इस बोर्ड का सम्बन्ध है वह तो निहायत अच्छी चीज है लेकिन बात केवल उससे ठीक से काम लेने की है, इसलिये जरूरी है कि उसका प्रेसीडेंट कोई नान आफिशियल रहे और हमें उसे अधिकार भी और अधिक देने चाहिये। श्री जगदीश प्रसाद जी ने जो फरमाया कि यह खंडसारी पर कतई लागू न होना चाहिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह उद्देश्य नहीं है कि वह इसे खंडसारी पर लागू करें लेकिन उन्होंने ओपिन पेन की जो बातें कहीं वह मुझे माफ करें अगर मैं कहूं कि मैं उनसे इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हूं। हां, यह सीधी बात है कि जहां तक फैक्ट्रीज का सम्बन्ध है उसमें जैसा कि हमारे सन् ४७ के अधिनियम में है उसमें शुगर फैक्टरी आ जानी चाहिये जहां मुलेसिज की परिभाषा है उसमें मैं समझता हूं गलती से फैक्टरी रह गया है और माननीय मंत्री जी माफ करेंगे उन्होंने शायद अपने व्याख्यान में नहीं बताया लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा और रखा है उससे अन्दाजा लगता है कि जहांतक मुलेसिज की परिभाषा का सम्बन्ध है उसमें गलती से यह शब्द रह गयी हैं कि (Molasses produced in the sugar factory) "तो जैसा कि सन् ४७ के ऐक्ट में है अगर वैसा ही मुलेसिज की परिभाषा में रख देंगे तो खंडसारी को खतरा पैदा होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता एक बात हो सकती है कि "ओपन पैन" अगर इसमें से हटा दिया जाता है तो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज ओपेन पैन से ही शीरे को और खंडसारी को बनाना शुरू कर देंगे जो एक काटेज इडस्ट्रीज है तो उस पर मध्यवर्ती कैपिटलिस्ट आकर कब्जा करेंगे और उससे खराबी पैदा हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक कि मुलेसिज की तारीफ की बात है वह केवल जैसा कि हमारे सन् ४७ के ऐक्ट में है वैसा ही रख देने से पूरा हो सकता है। मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के हक में होंगे, क्योंकि वहां और अधिक बातों पर विचार किया जा सकता है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं यह कह दूं कि मैं माननीय गेंदासिंह जी द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है उसके सिद्धांतों के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण चर्चा हुयी है और जहां तक सिद्धांतों को विभिन्न धाराओं में व्यवहार में परिणत किया गया है उनकी भी काफी चर्चा हो चुकी है। यह शीरे के कंट्रोल का मामला आज का नहीं बल्कि बहुत वर्षों से केन्द्रीय सरकार का भी और प्रान्तीय सरकारों का भी एक प्रकार से परेशान करने वाला विषय रहा है। सन् ४६ में एक केन्द्रीय सरकार के एक्सपर्ट का पैनल बैठा। उसने भी यह सिफारिश की थी कि जिस प्रकार चीनी और शुगर केन का कंट्रोल केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है उसी प्रकार शीरे का कंट्रोल भी उसी के द्वारा होना चाहिये। और केन्द्र के अलकोहल कमिश्नर ही शीरे के कंट्रोलर होने चाहिये। जहां तक यू०पी० का सवाल है उसने तो हमेशा इस सम्बन्ध से बिहार से परामर्श लिया है। सन् ३८ में जबकि इस सम्बन्ध में यू०पी० की सरकार ने निश्चय किया कि कोई कमेटी विचार करने के लिये बैठायी जाय तो यू०पी० और बिहार को मिलाकर एक ज्वाइन्ट मुलेसिज कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी बैठे और यू०पी० और बिहार की सरकार ने मिला-जुला निर्णय किया ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गन्ने के दाम के सम्बन्ध में और चीनी के दाम के सम्बन्ध में ज्वाइंट शुगर कंट्रोल बोर्ड रहता है उसी प्रकार शीरे के सम्बन्ध में भी परामर्श होता था। मैं यह नहीं जानता कि आज जो यह विधेयक इस सदन के सामने है इसमें जो मुलेसिज की परिभाषा है या इसमें जिस प्रकार से शीरे का कंट्रोल किया जा रहा है क्या बिहार सरकार की भांति है मैं नहीं कह सकता। बिहार का विधेयक मैंने देखने की चेष्टा की कि वहां पर कौन सा मुलेसिज कंट्रोल विधेयक लागू है? मैं माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार में जो परिभाषा है वह इस परिभाषा से विपरीत है जो माननीय मंत्री जी ने रखी है। वहां की परिभाषा उसी प्रकार की है जिसकी ओर माननीय गेंदा सिंह जी ने और फतेहसिंह राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया है। यह हो सकता है कि जो परिभाषा आज मूल अधिनियम में है उससे कुछ कानूनी दिक्कत पैदा हो जायं क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज का जिक्र है ७५ परसेंट ब्रिक्स और फरमटेबिल शुगर कंटेंट्स १९ परसेंट होना चाहिये इस प्रकार की जितनी चीजें लिखी हुयी माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो उस परसेंट को वहां से डिलीट कर सकते हैं लेकिन जिस प्रकार से परिभाषा आज है वह किसी प्रकार से वास्तविकता से मेल नहीं खाती, क्योंकि यू०पी० से आज जितनी डिस्टिलरीज हैं वह भारतवर्ष में जितनी पावर अलकोहल पैदा करने वाली फैक्टरीज हैं उनका तीन बटा चार से भी अधिक है। जबकि यू०पी में आज १० डिस्टलरीज हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार और इसके बाद केवल ५ डिस्टरलीज हैं और बिहार में तो केवल दो डिस्टलरीज हैं। यह भी होता है कि यू०पी० के बाहर का शीरा यू०पी० कि डिस्टलरीज में आये। पूर्वी जिलों में जो डिस्टलरीज हैं सरदारनगर या सरैया वहां बिहार से शीरा आ सकता है और यू०पी० का शीरा भी बाहर जाता है। सन् ५१–५२ में १ लाख १८ हजार मन शीरा बाहर गया दूसरी डिस्टलरीज में। तो हमको शीरे की ऐसी परिभाषा रखनी चाहिये कि वह केवल यू०पी० के ही शीरे पर लागू न हो सके।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं निवेदन कर रहा था कि शीरे शब्द की परिभाषा ऐसी होनी चाहिये कि जो केवल उत्तर प्रदेश के मुलेसिज के लिये ही नहीं बल्कि बिहार में पैदा होने वाले मुलेसिज के लिये भी लागू हो सके। बिहार में मुलेसिज की जो परिभाषा इस समय है उसमें स्पष्टतया खांडसारी को अलग कर दिया गया है। उस परिभाषा में एक परसेंटेज नियत कर दिया गया है कि मुलेसिज में चीनी का कितना कंटेंट होना चाहिये। मुझे यह भय लगता है कि इसकी भी जरा जांच होनी चाहिये कि शीरे की परिभाषा में ही हम कोई परसेंटेज चीनी के सम्बन्ध में रखें या न रखें? एक प्रकार से इस परिभाषा में परसेंटेज का संकेत देना आवश्यक भी प्रतीत होता है क्योंकि अगर परिभाषा में हम यह नहीं रखेंगे कि शीरे में कितना शुगर कंटेंट होना चाहिये तो हो सकता है कि आज जो शीरे में मिलावट हो रही है कल वह बहुत ज्यादा बढ़ जाय। माननीय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मंत्री जी को मालूम होगा कि इसी प्रान्त में बहुत से ऐसे मामले आये जबकि गवर्नमेंट ने आज्ञा दे दी किसी मिल को कि शीरा तुम इस व्यक्ति को बेचो और खरीदो । रुपया जमा हो गया । लेकिन जब शीरा गवर्नमेंट के आर्डर से किसी व्यापारी को खरीदने के लिये मिला वह मिलावट का शीरा मिला । तो इस प्रकार के भी, शीरे के स्कैंडल हुये हैं। तो इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि आया शीरे की परिभाषा में चीनी के कंटेक्ट के सम्बन्ध में कोई शब्द इस्तेमाल करें या न करें ।

जहां तक खांडसारी उद्योग से पैदा होने वाले शीरे के सम्बन्ध में है मैं समझता हूं कि इस सदन में एक मत है कि यह परिभाषा खांडसारी उद्योग से पैदा होने वाले शीरे पर लागू नहीं होनी चाहिये । आप जानते हैं कि खांडसारी का जो उत्पादन है यह पिछले वर्षों में एक प्रकार के सौतेली नीति के कारण घटता रहा है । जहां पहले १६४७-४८ में २ लाख १४ हजार टन खांडसारी चीनी से मुलैसिज पैदा हुआ था वहां १६५०-५१ में केवल ८० हजार टन मुलैसिज पैदा हुआ । कैसे अब सरकार की नीति फिर उपेक्षा की नीति रही है । इसलिये यह आवश्यक है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि परिभाषा में खांडसारी उद्योग पर यह परिभाषा नहीं लागू होगी ।

"अदर परपजेज" का, जहां तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय कि "अदर परपजेज" क्या होंगे । आखिर मुलैसिज का प्रयोग पावर अलकोहल के अलावा जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने बताया यीस्ट में और दूसरी चीजों में हो सकता है । जैसे मिसाल के तौर पर एडबिल मुलैसिज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । अमेरिका में आठ मिलियन गैलन मुलैसिज का उपयोग मोलास्का के नाम के पदार्थ में किया जाता है । जैसे टाफी होती है वैसे ही वह भी खाया जाता है । उसमें कार्बो हाइड्रेट का कंटेंट होता है जो शरीर की शक्ति बढ़ाता है । दूसरे कैटिल फीड के रूप में यूरोप में तथा अमेरिका में इस्तेमाल हुआ है । ७५ फीसदी यू० एस० ए० में कैटिल फीड के रूप में इस्तेमाल होता है, यूरोप में ३५ फीसदी कैटिल फीड के रूप में इस्तेमाल होता है, आस्ट्रेलिया में २५ फीसदी कैटिल फीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । यहां भी प्रयोग इस सम्बन्ध में हो रहा है कि इसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके । पांचवां उपयोग जो मुलैसिज का कर सकते हैं वह बंजर जमीन के रिक्लेमेशन में कर सकते हैं । १६४६ में एक कमेटी यहां बैठी थी, ऊसर रिक्लेमेशन कमेटी । उसने भी सिफारिश की थी कि मुलैसिज का उपयोग इस प्रकार की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जा सकता है । मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ? लेकिन यह ऐसे प्रयोजन हैं जो कि हम "अदर परपजेज" में स्पष्ट कर सकते हैं । इससे जो एक स्कैंडल, दुरुपयोग होने की सम्भावना है वह भी समाप्त हो जाती है और दूसरे जो प्रयोजन हैं वह भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं ।

इस विधेयक में एक आश्चर्य की बात यह रही है कि जहां मुलैसिज बोर्ड की स्थापना की गयी है वहां मुलैसिज बोर्ड को एक प्रकार से पूर्ण रूपेण सौ फीसदी सरकारी संस्था बना दिया गया है और इस सरकार की जो आम नीति रही है उसका यह एक प्रकार से चित्रण है, अधिकारों के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में जो नीति सरकार की रही है उसका एक प्रकार से पोषण इस बोर्ड की स्थापना से होता है । आश्चर्य तो इस बात का है कि ऐसे सौ फीसदी सरकारी बोर्ड को भी सरकार ने अधिकार नहीं दिया है । अगर इस विधेयक को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो केवल दो प्रकार के अधिकार बोर्ड को दिये गये हैं एक तो जो ग्रेडिंग ऐंड मार्केटिंग होगा, इसका जो छटाव होगा और जो बाजार में बिक्री होगी उसके सम्बन्ध में नियम बनाने के कार्य में खंड ४ के आधार पर बोर्ड से सलाह ली जा सकती है और दूसरे यह कि मुलैसेज की कीमत के बारे में सलाह बोर्ड से ली जा सकती है और फिर उस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाने का अधिकार दिया गया है कि जिन नियमों के आधार पर बोर्ड से सलाह ली जा सकती है तो केवल दो बातें हैं जिन पर बोर्ड से सलाह ली जायगी । तो एक तरफ तो सरकारी बोर्ड और फिर इसके सिर्फ ये दो अधिकार । और सारे खंड ५ के जितने अधिकार बाकी हैं वह सब सरकार के हाथ में रख दिये गये हैं । बोर्ड केवल

ऐडवाइजरी बाडी तो है ही उसके अलावा और बाकी जितने अधिकार हैं वह सब सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं। पहले ये अधिकार कंट्रोलर के हाथ में थे लेकिन अब सरकार कंट्रोलर के स्थान पर अपने हाथ में उन अधिकारों को ले रही है। वैसे कंट्रोलर और सरकार में कोई विशेष फर्क तो है नहीं। कंट्रोलर भी एक कार्यकारी स्वरूप है सरकार का लेकिन फिर भी जिस प्रकार से विधेयक के खंड ५ को लिखा गया है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि सरकार अधिकाधिक छोटे छोटे कार्यों को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। आखिर जैसा कि माननीय शिवनाथ काटजू ने बतलाया कि सरकार को इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि वह अपने द्वारा खरीदे जाने वाले शीरे के दाम को इसमें रखे। जहां दूसरे प्रकार के शीरे के दाम को जिसको सरकार नहीं खरीदेगी उसके सम्बन्ध में नियम बनेंगे वहां जिस शीरे को सरकार खरीदेगी उसके सम्बन्ध में इस विधेयक में स्थान देना एक प्रकार से गलत होगा। या तो फिर सारे शीरे के दाम को विधेयक में रखिये। लेकिन केवल सरकार के द्वारा खरीदेजाने वाले शीरे का दाम रखना उचित नहीं।

इसके साथ साथ जो पुलिस के अधिकार बढ़ाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें मुझे कहनी हैं। वैसे साधारणतया अगर पुलिस के अधिकार किसी चीज के दुरुपयोग को कम करने के सम्बन्ध में होते तो हमें कोई आपत्ति न होती लेकिन इस संशोधन विधेयक के द्वारा पुलिस को इस बात का भी अधिकार दिया जा रहा है गिरफ्तार करने के अलावा कि वह जांच को बीच में रोक दे। कोई जांच चल रही है, कोई अधिकारी कानूनी जांच कर रहा है, और कोर्ट की ताकत दी गयी है कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्जर, के मातहत लेकिन उसमें स्पष्टतया लिखा हुआ है कि जांच करते करते जिस समय भी वह चाहे जांच को स्थगित कर सकता है। मैं आपका ध्यान खंड ८ की तरफ दिलाना चाहता हूं :—

"Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer incharge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XIV, of the Code of Criminal Procedure, 1898, and if specially empowered in that behalf by the State Government, such officer may, without reference to a magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing, stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated."

इस विधेयक में इस प्रकार का विधान रखना कि पहले तो कानूनी रूप से जांच हो किसी मामले की, और फिर अकस्मात स्थगित हो जाय और आगे चलकर उसी में शक्ति दी गयी है कंट्रोलर महोदय को कि वह किसी भी आफेंस के सम्बन्ध में जिसका उन्हें शक हो उसमें ५ हजार रुपया लेकर मामले को रफा दफा कर सकता है, यह अत्यन्त ही असाधारण अधिकार है कि किसी भी मामले को जिसमें उसे केवल शक हो कि आफेंस कमिट कर दिया गया है उसमें ५ हजार रुपया लेकर उस मामले को दबा सकता है। एक यह गैरकानूनी अधिकार असाधारण अधिकार कंट्रोलर को दिया जा रहा है जो कि विधान के भी खिलाफ है क्योंकि विधान में किसी को भी तभी सजा दे सकते हैं जब यह साबित हो जाय कि उसने आफेंस किया है। उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तभी उसे दंड मिल सकता है। मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी अधिकार, उसके आर्टिकल २० की तरफ दिलाना चाहूंगा,

"No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence."

कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कानून के उल्लंघन के सम्बन्ध में दंड नहीं पायेगा जब तक कि उसके ऊपर उस कानून की अवहेलना या उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई चार्ज न लग गया हो। यह आर्टिकल २० की उपधारा (१) में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो नया खंड ९ बनाया गया है,

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिसके अनुसार धारा १३—ए बनाई गयी है वह आर्टिकल २० के खिलाफ जाती है। वह इस प्रकार है :—

"The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of composition for the offence which may have been committed....."

तो जिस समय केवल कंट्रोलर को शुबहा हो कि वह आफेंस किया जा रहा है, उस सस्पीशन के ऊपर ५ हजार रुपया वसूल कर ले, तो यह नया खंड संविधान की मंशा के खिलाफ है और इस में दूसरी गुंजाइश यह भी है कि केवल ५ हजार रुपया ही लिये जायेंगे। मान लीजिये कि एक लाख या कई लाख रुपये की गड़बड़ हुयी हो, या छीजन हुयी हो तो वहां केवल ५ हजार रुपये में मामला कम्पोज कर दिया जायगा, यह कहां का न्याय है ? तो दो तरह से, एक तो बिना आफेंस के आप कहते हैं कि ५ हजार रुपया दे और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। अगर २ लाख की गड़बड़ हुयी है तो ५ हजार रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते, "नाट एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड रूपीज"। तो एक ऐसा सिद्धांत हम मानने जा रहे हैं जिसके दोनों रूप विरोधाभास के हमारे सामने आते हैं और मैं समझता हूं कि इन्हें स्वीकार करना, जिस प्रकार से यह लिखा हुआ है, उचित नहीं होगा। मैं तो यह समझता हूं कि प्रवर समिति में जाने पर इस विधेयक को और भी स्पष्ट किया जा सकेगा।

मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सी वैधानिक दिक्कतें हैं जिनके आधार पर इस विधेयक को लाया गया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि कुछ वैधानिक दिक्कतें भी सामने आयीं, लेकिन वह हमें मालूम नहीं। पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ व्यापारी सुप्रीमकोर्ट तक गये, लेकिन कौन से सुप्रीमकोर्ट के ऐसे फैसले थे या हाईकोर्ट के फैसले थे जिनके आधार पर यह बिल लाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। प्रवर समिति के सामने उन विधान संबंधी आपत्तियों पर भी विचार हो सकता है कि उनका कोई निराकरण हो सकता है या नहीं। मेरे विचार से इस विधेयक के द्वारा किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं हुआ है, केवल तीन बातें हुयी हैं। मैं मुलेसिज बोर्ड के लिये मंत्री जी को बधाई नहीं दे सकता, वह तो एक तरह की ऐडवाइजरी बाडी होकर रह गयी है। आप चाहे उसका नाम मुलेसिज बोर्ड रख दीजिये। तो एक चीज तो यह हुयी कि मुलेसिज की परिभाषा की बात और दूसरे आपने कंट्रोलर को अधिकार दे दिया कि ५ हजार रुपया लेकर किसी भी सस्पीशन वाले मामले में कम्पोजीशन कर सकता है आफेंस का। इसके अलावा कोई वैधानिक आपत्ति वाली बात तो दिखायी नहीं देती अगर हो तो प्रवर समिति में उस पर विचार कर सकते हैं।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सदन की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे और जो तर्कपूर्ण भाषण माननीय काटजू जी और माननीय जगदीश सरन जी ने यहां दिये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। जो भाषण इस विधेयक के सम्बन्ध में हुये हैं उन्हें मैंने बहुत गौर से सुना। यह विधेयक बहुत महत्व का है। हमारे प्रान्त में चीनी का ही सब से बड़ा उद्योग है और इसी के ऊपर हमारे प्रान्त की आर्थिक उन्नति निर्भर है। उस चीनी के उद्योग में शीरा भी एक खास महत्व रखता है। मेरे ख्याल में जितनी भी चीजें गन्ने से पैदा होती हैं चीनी शीरा या खोई इन तीनों चीजों को हमें ठीक तरह से प्रयोग में लाना चाहिये। शीरे को जितना अधिक से अधिक हम काम में ला सकें उतना ही हमारे लिये अच्छा है। मैं तो यह भी चाहूंगा कि आज जो खोई खराब हो रही है उसको भी सरकार काम में लाये। वह भी कागज बनाने के काम में आ सकती

हैं। कोई भी चीज जो गन्ने से उत्पन्न होती है उसको खराब नहीं होने देना चाहिये क्योंकि हमारे प्रान्त की यही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है।

इस विधेयक में कई बातें विशेष कही गयी हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखता हूं। माननीय मंत्री जी ने मुलैसेज की परिभाषा के बारे में कहा कि हमने इसको सरल बनाने के लिये ही रखा है। उनका यह विचार ठीक हो सकता है क्योंकि पहली परिभाषा में यह दिया हुआ है कि शीरा इतनी डेन्सिटी का हो इतना परसेन्टेज हो शायद इस विचार से प्रभावित हो कर उन्होंने इन शब्दों को उड़ा दिया है और यह कह दिया कि परिभाषा सरल हो गयी। परन्तु एक बात छोड़ गये। यह तो रखा दिया कि शीरा वह है कि जो वैकुअम पैन में या ओपेन पैन में तैयार हो। ओपेन पैन का सीधा सा अर्थ यह है कि जो खांडसारी शुगर में तैयार होता है और साथ में जो शब्द रखे गये हैं उनमें केवल वही नहीं आते हैं जो सेन्ट्रीफूगल या क्रशर के जरिये से बिजली की ताकत से इन्जिन चलते हैं बल्कि इसमें वे भी आते हैं जैसे कि हमारे पश्चिमी जिलों में खेंची पड़ती है और उसमें राब तैयार की जाती है और उसके साथ साथ शीरा निकाला जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जहां पर वैकुअम पैन और ओपेन पैन रखा है वहां उसके साथ "शगर फैक्टरी" जोड़ दें। शुगर फैक्टरी के लिये दिया है कि शुगर फैक्टरी वही है जो पावर से चलती है वैसे खांडसारी भी आ जाती है। जो बिजली या इन्जिन से चलती है लेकिन 'शुगर फैक्टरी' की परिभाषा में ऐसा दिया है कि जिसमें २० मजदूर लगे हों। इसलिये शूगर फैक्टरी शब्द रखना जरूरी है। चूंकि यह हमारे यहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इसलिये यह कर दें कि जितना शीरा इन मिलों में तैयार होता है उसके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल हो। वह डिस्टिलरीज के काम में लायें या शराब के काम में लायें या जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि यीस्ट के उत्पादन में लायें। ऊसर जमीन को तैयार करने में भी शीरा बड़ा काम देता है। और यह शीरा बहुत काम देता है जो मिलों से उत्पन्न होता है क्योंकि उसमें लाइम और गंधक मिल जाता है, इसलिये यह बड़ा उपयोगी होता है और इस पर पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिये और मेरी सम्मति यह है कि इसके किसी अंश का परमिट नहीं देना चाहिये बल्कि इस पर मुलैसेज बोर्ड के द्वारा पूरा पूरा कंट्रोल रहना चाहिये ताकि इससे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि मुलैसेज बोर्ड बन गया है मगर गौर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बोर्ड के बनने में बड़ी भारी कमी रह गई है क्योंकि इसको केवल ऐडवायज़री ही रखा है। इसमें यह भी नहीं दिया गया है कि यह मश्विरा किस को देगा यह तो ठीक है कि यह मश्विरा सरकार को देगा मगर सरकार के अलावा जो कंट्रोलर है उससे इसका क्या संबंध रहेगा, यह भी इसमें नहीं दिया गया है। मूल अधिनियम की धारा ४ में दिया गया है कि जितनी पावर्स और ड्यूटीज होंगी वह सब कंट्रोलर में निहित (वैस्ट) करेंगी और जो विधेयक आया है उसमें कई स्थानों पर कंट्रोलर शब्द इस्तेमाल किया गया है और तमाम शक्ति उसको दी गई है। इससे मालूम होता है कि यह जो बोर्ड है यह केवल मश्विरा देने वाली चीज है। इसकी बड़ी भारी पावर नहीं है। मेरी सम्मति में ऐसा होना चाहिये कि यह बोर्ड कंट्रोलर के ऊपर हावी हो और कंट्रोलर इसके हर एक कार्य से पाबंद हो।

पिछले आठ वर्षों में कितनी गड़बड़ी हमारे देश में हुई है, इन परमिटों के देने में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इन तमाम बातों को देखते हुये यह नितांत आवश्यक है कि कंट्रोलर मुलैसेज बोर्ड का बिलकुल पाबन्द हो। यही नहीं होना चाहिये कि मुलैसेज बोर्ड सरकार को ऐडवाइज करे बल्कि इसकी तमाम तजवीजें कंट्रोलर के ऊपर पाबन्दी की होनी चाहिये और कंट्रोलर इसके मातहत होना चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से विशेषकर

[श्री रतनलाल जैन]

कहूंगा कि मुलैसेज बोर्ड के संबंध में इसमें उचित परिवर्तन कर दें । धारा ३ में इस बोर्ड की बनावट है और ३ (ए) में अधिकारों का जिक्र है ।

इसके अलावा इसमें दिया है कि डिस्टिलरीज के अलावा "अदर परपजेज" के लिये भी रखना मैं आवश्यक समझता हूं । माननीय गेंदा सिंह जी ने ऐतराज किया था और कहा था कि इसको बल्कुल स्पष्ट कर दिया जाय और केवल डिस्टलरीज के लिये ही रखा जाय। मैं समझता हूं कि डिस्टिलरीज के लिये तो होना चाहिए और इसके अवाला सरकार किसी चीज के सम्बन्ध ने निर्णय कर ले कि यह चीज बनाना जरूरी है उसके लिये भी उपयोग में लायें । जैसे कि यीस्ट या ऊसर जमीन को ठीक करने के लिये यह बहुत अच्छी चीज साबित हुई, इसलिये "अदर परपजेज" का रहना आवश्यक है ।

जैसे-जैसे हमारे यहां अनुसंधान होता जायगा और जैसे-जैसे सरकार की सूचना में आता जायगा कि यह किस-किस काम के लिये लाभप्रद है उसी प्रकार से इसको प्रयोग में लाते जायंगे । इसलिये मेरी सम्मति में "अन्दर परपजेज" का रहना अत्यंत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि कंट्रोलर जिनमें संदेह हो या शुबहा हो उसको कम्पाउंड कर सकता है । मैं इसको ठीक समझता हूं । नारायण दत्त जी ने इसका खंडन किया है लेकिन मेरी दृष्टि में उचित है इस कारण से कि हमारा अनुभव बतलाता है कि एक मुकद्दमा चलाने में कितनी परेशानी होती है। यह तो एक आम कहावत है कि पैसे वाले मुकद्दमों से बच जाते हैं ।

आज जैसी हमारे न्यायालयों की परिपाटी है उससे सदन पूर्णतया परिचित है । पैसे वाले पैसे के जोर से गवाहों को तोड़ कर और दूसरी तरह के भी दसों तरीके इस्तेमाल करते हैं और कानून के पंजे से बच जाते हैं । वहां पैसे का ही जोर रहता है । मेरा यह अनुभव है कि सरकारी अधिकारियों के सामने पैसा घूस में दिया गया और जब उसके लिये मुकदमा चला तो वह छूट गये । जैसी हमारी परिस्थिति है उसको देखते हुए अगर यह समझा जाय कि समझौता करने से हम झगड़े से बच जांयगे तो मैं उसको उचित समझता हूं। एक बात उन्होंने यह भी कही कि यहां पर ५,००० की हद रखी गई है। यह भी संभव हो सकता है कि उसने लाखों की गड़बड़ की हो तो या तो सरकार ऐसा नियम बना दे कि अगर वह उसको ज्यादा रुपये का मामला समझता है तो उसमें कंपाउन्ड न करें, उसमें समझौता न करे और उसमें मुकदमा चलने दें । यह कौन इसमें रोक है कि हर एक केस को वह कम्पाउन्ड कर ही लेगा । वह तो उसी में समझौता करेंगे कि जिसमें उचित होगा। इसलिये मैं उनके इस एतराज को ठीक नहीं समझता हूं ।

एक बात इसमें और कही गई है कि कीमत इसमें थोड़ी मुकर्रर की गई है जो इसमें फार्मूला दिया है उसमें दिया हुआ है कि ४२×२३ का गुणा कर दिया जाय एक्स से एक्स क्या होगा ? एक्स गन्ने की कीमत जो आनों में होगी वह होगा और जो जबाब आयेगा वह पाई में आयेगा । आजकल गन्ने का मूल्य है २३ आना मन । २३ से गुणा करने पर ४२ रह गया जो पाई है । यह बराबर है साढ़े तीन आने के । मैं समझता हूं कि यह साढ़े तीन आना मूल्य बहुत कम है । शीरे का मूल्य करीब करीब १ रुपये के है, देशी शीरे का मूल्य करीब ३ रुपये के होगा । अगर इसका मूल्य बहुत कम रह जाता है तो उसका प्रभाव गन्ने के मूल्य आदि बातों पर पड़ता है । जैसे अभी माननीय राणा जी ने कहा कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय और चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय शीरे के मूल्य पर भी विचार किया जाता है । अगर शीरे का मूल्य कम कर दिया गया तो उसका नतीजा यह होगा कि गन्ने की कीमत भी कम हो जायेगी और इसका असर गन्ने के उत्पादकों पर पड़ेगा या इसका असर जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं उन पर पड़ेगा।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि साढे तीन आना मूल्य नियत करना बड़ी गलत चीज है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस विधेयक से इस हिस्से को निकाल दिया जाय और आप अपने जो नियम बनावें उन नियमों में जैसी आवश्यकता हो वैसा करते रहें। इतना कम मूल्य रखना गन्ना उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है और उपभोक्ताओं के हितों के भी विरुद्ध है। इसलिये मैं उन से निवेदन करूंगा कि जो विधेयक में मूल्य निर्धारित करने की धारा रखी है उसमें वह परिवर्तन कर दें।

अब इन बातों के संबंध में माननीय गेन्दा सिंह जी ने यह कहा कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं यह उचित नहीं समझता कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय यह सेशन बहुत थोड़े समय में ही स्थगित होने वाला है। हमारे पास केवल कल का ही दिन है और मैं समझता हूं कि यह विधेयक कल पास हो जाना चाहिये। इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि जो भी इस पर यहां आलोचना की गई है, जो भी इसमें त्रुटियां बतलाई गई हैं उन्हें माननीय मंत्री जी यहां पर स्वीकार कर लें, उन्हें मंजूर कर लें और इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय। इस लिये जो माननीय गेन्दा सिंह जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, इन शब्दों के साथ मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया यद्यपि बहुत पहले हम लोगों ने इस बात की चेष्टा की थी कि इस शीरे से भी ज्यादा अहम एक और चीज लगी हुई है जिसको लहन कहते हैं उस पर भी किसी न किसी तरह का प्रतिबन्ध हो जाना चाहिये लेकिन वह अपने समय से आयेगा। इस वक्त जो भी कदम माननीय मंत्री जी ने उठाया है उसका हमें स्वागत करना है। एक सवाल यहां पर यह पेश आया कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना उचित है या नहीं। श्री गेंदा सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सामने पेश किया जाय। उन्होंने यह कहा कि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि इसमें २,३ बातों की कमी है और उन २—३ बातों की कमी के कारण इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना जरूर चाहिये। उन्होंने सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि इतना शीरा जो फैक्टरीज में बरबाद होता है उसके लिये कौन सी तरकीब है कि जिसके द्वारा हम उसको उपयोगी बना सकें और उसका बाई प्रोडेक्ट निकाल सकें जिससे ऐसी चीजें बन जांय जिससे देश का फायदा हो। इस पर ज्यादा जोर दिया और इसके लिये उन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा। मैं माननीय गेंदासिंह जी से इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब इतना समय गुजर गया है और हम लोग इस बात को नहीं तलाश कर सके कि इसके लिये कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जो देश के लिये हितकारी हो। तो अब थोड़े से समय में हम कौन सी बात निकाल पायेंगे जिससे वह कमी पूरी हो जाय। इसके लिये जो उनको परेशानी है तो वह इस विधेयक में पूरी करदी गयी है जिसका रिफरेन्स मैं बाद को दूंगा तो इस बिना पर कि शायद अगले समय में हम इस शीरे के लिये कोई उचित वैज्ञानिक रूप से कोई इन्वेन्शन कर सकें जिससे यह उपयोगी हो जाय। इस भरोसे पर उनका यह जिक्र कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ठीक नहीं जंचता। अब अगर हम इसको पास नहीं करते हैं तो बड़ा भारी नुकसान स्टेट का है इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इस समय शुगर मिल का सीजन चल रहा है और यह सीजन शीरे का भी आ रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहां डिस्टिलरीज चलती हैं। इन डिस्टिलरीज को हमको शीरा पहुंचाना है। अगर उनको स्टार्व नहीं करना है तो इस विधेयक को इस समय हमें लाना होगा और इसको पोस्टपोन प्रवर समिति में जाने के लिये नहीं करना होगा। हमारा खयाल है कि यदि यह हटा तो फिर बजट के बाद ही पास हो सकेगा और बजट के बाद आने के मायने यह होंगे कि यह साल ही हमने बिलकुल छोड़ दिया। इसके मायने यह हुये कि

[श्री नौरंगलाल]

प्रवर समिति में जाने के कारण हमको करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। जो हमारे यहां डिस्टिलरीज हैं वह भूखी रह सकती हैं क्योंकि उनको शीरा नहीं मिल सकेगा। इस तरीके से हमारे लेबर को स्टार्व करना पड़ेगा, इन फैक्टरीज को भी स्टार्व करना पड़ेगा और इस स्टार्व करने की वजह से करोड़ों रुपये की हानि भी हो जायगी। इस कारण मेरा खयाल यह है कि बजाय इसके कि इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय मैं इस बात को मुनासिब समझता हूं कि प्रवर समिति में इसके जाने की चर्चा खत्म की जाय और उस नुकसान को मद्देनजर रखते हुये जिसका जिक्र अभी मैंने सदन के सामने किया है इसको जितनी जल्दी हो सके पास कर दिया जाय। क्योंकि सीजन सामने आ रहा है। जितने दिन गुजरते जायेंगे यह सम्भावना बढ़ती जायगी जिसका जिक्र गेंदा सिंह जी ने किया कि उनका शीरा गायब न हो जाय।

इस विधेयक की चर्चा बड़े जोरों के साथ फैक्टरी वालों में चल रही है और फैक्ट्री ओनर को जितना ही वक्त मिलेगा वह उतना ही फायदा जो अदर परपजेज बताय हैं उनके द्वारा उठाने का प्रयत्न करेगा। इसलिये जितनी जल्दी हो सके हमें इस विधेयक को पास कर देना है। अब माननीय गंदा सिंह जी ने जो शक बताये उनको हम अगर अमेंडमेन्ट के जरिये से दूर नहीं कर सकते तभी हमें यह प्रवर समिति को भेजना चाहिये। अगर हम अमेंडमेन्ट के जरिये से वे बातें ला सकते हैं जो प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत किये जाने पर लाना चाहते हैं तो कोई वजह नहीं है कि प्रवर समिति को यह भेजा ही जाय।

माननीय गेंदा सिंह ने प्रवरसमिति को भेजने के बारे में तीन मुख्य बातें बतायीं। पहला कारण जो उन्होंने बताया वह तो स्वयं ही बहुत वेग सा है। आज कोई नहीं जानता कि विज्ञान की आगे क्या रफ्तार होगी। इसलिये वह तो उनका कारण बहुत वेग है। अब रहा दूसरा कारण उन्होंने बताया कि इससे खांडसारी शुगर को निकाल दिया जाय क्योंकि वह हमारे मुल्क की एक पुरानी इंडस्ट्री है और पीछे के समय में बहुत हार्ड हिट हुई है। वह अधिकतर गांवों की इंडस्ट्री है गो शहर वाले भी कहीं कहीं उसको करते हैं लेकिन मुख्यतः वह गांवों की इंडस्ट्री है। छोटे छोटे सरमायादारों को उससे लाभ मिलता है। लोग इस काम में मुद्दत से लगे हुए हैं। अतः इसलिये कि नेशन को नुकसान न पहुंचे खांडसारी शुगर के शीरे को इसमें से निकाल देना चाहिये। मेरे खयाल से सदन के सभी सदस्य इससे सहमत होंगे और मेरा ऐसा भी खयाल है कि माननीय मंत्रीजी भी इससे सहमत होंगे और ऐसी मेरी आशा है कि इसको ऐक्जेम्प्ट कर दिया जायगा। इस विधेयक में जो अमेंडमेन्ट इस बारे में हैं विचार से उनको मान लेने से माननीय गेंदासिंह जी की मंशा पूरी हो जायगी। संख्या १–२ पर जो अमेंडमेन्ट है उनमें लिखा हुआ है कि "ओपिन पैन" शब्द को निकाल दिया जाय। अगर यदि यह हो जाता है तो माननीय गेंदासिंह जी की मंशा पूरी हो जाती है। इसमें कुछ और रद्दोबदल भी हो सकता है और इस तरह से जो माननीय गेंदासिंह तथा दूसरे माननीय सदस्यों का शक है वह दूर हो जायेगा। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ओपिन पैन शब्द को न निकाला जाय क्योंकि इससे यह संभावना हो जायगी कि फैक्ट्री ओनर बजाय इसके कि वेक्यूम से शुगर बनायें ओपिन पैन से बनाना शुरू कर देंगे। मेरे खयाल से यह चीज बिलकुल विज्ञान के विरुद्ध हैं। इसलिये यह माननीय सदस्यों का केवल भ्रम ही हो सकता है। अगर यह बात किसी शुगर इकोनोमिस्ट के सामने कही जायगी तो वह मजाक ही समझेग। आजकल के जमाने में यह इंम्पासिबिल है कि फैक्ट्रीज में ओपिन पैन का इस्तेमाल किया जा सके। वहां का जो प्रोडक्शन का तरीका है वह एक मिकेनिकल है। इसलिये फैक्टरीज में ओपिन पैन की बात कहना उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से यह कहना कि रेलगाड़ी में कहीं बैल न लगने लगें। इसलिये यह कहना

कि फैक्ट्री वाले नाजायज फायदा इसको निकाल देने से उठायेंगे उचित नहीं होगा । अगर प्रोपिन पैन को निकालने से खांडसारी बच जाती है तो उसको अवश्य निकाल दिया जाना चाहिये । अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि खांडसारी को इस बिल की परिधि से निकाल देना चाहिये। अगर ऐसा किया जायगा तो खांडसारी की डेफीनीशन भी हमको देनी होगी । हमको यह बताना होगा कि खांडसारी किसे कहते हैं । तो उसमें तो एक और मुश्किल हो जायगी और सरकार को खांडसारी की अलग परिभाषा देने की आवश्यकता हो जायगी और हो सकता है कि जो असाधारण तरीके गांव में शक्कर बनाने के होते हैं उन में से कुछ उसकी परिभाषा में न आवें और कवर न हों। इसलिये जहांतक परिभाषा का ताल्लुक है उसमें वेग नेस न होना चाहिये । इसलिये इस में अगर मेकेनाइज्ड प्रासेस के तौर पर इस तरह के शब्द रखने से या कुछ इस तरह का थोड़ा सा शब्द बढ़ाने से काम चल जाय तो माननीय गेंदा सिंह जी का परपज हल हो जायगा ।

जो बोर्ड बनाया गया है उस के ऊपर २ आक्षेप हैं एक तो यह है कि उसका चेयरमैन या प्रेजीडेंट कंट्रोलर न होना चाहिये और दूसरा आक्षेप यह है कि उस बोर्ड का जो कांस्टीटयूशन है वह खराब है । लेकिन जहांतक मैं समझता हूं यह दोनों बातें ऐसी हैं कि जिनके कारण इस को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है । बोर्ड का चेयरमैन कंट्रोलर को बनाया जाय या किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाय इस बात को सदन यहां बहस कर के और संशोधन के द्वारा ठीक कर सकता है इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है । रहा दूसरा प्रश्न कि इस बोर्ड के कांस्टीटयूशन को बदलना चाहिये उस के बारे में भी मेरा विश्वास है कि उसको भी हम संशोधन द्वारा यहीं ठीक कर सकते हैं और इस जरा से काम के लिये बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती और खास तौर पर जहां तक प्रेसीडेंट के पद के लिये कंट्रोलर का सवाल है उस सम्बन्ध में यह सोचने की बात है और माननीय सदस्यों ने इस प्वाइंट पर अक्सर जोर दिया है कि जिस बोर्ड या समिति में इस सदन के माननीय सदस्य हों वहां पर कोई भी सरकारी अफसर प्रेसीडेंट न होना चाहिये यह भी एक सिद्धान्त का प्रश्न है और हर एक माननीय सदस्य इस से ऐग्री कर सकता है। उस में यह हो सकता है कि या तो जो बोर्ड बने वही अपने प्रेसीडेंट को स्वयं चुने और उस की कोई योग्यता यहां से निश्चित हो सकती है या सरकार बोर्ड से कोई ३ नाम मांग सकती है और उन तीनों में से स्टेट गवर्नमेन्ट किसी को नामिनेट कर सकती है । इस तरीके से जो बोर्ड है उसकी इज्जत भी रह जायगी और इससे उसकी इज्जत भी बढ़ती है और सरकार को भी कुछ कंट्रोल मिल जाता है । इसलिये जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है उस के मुताल्लिक मैंने यह एक दो छोटे से सुझाव पेश कर दिए हैं और अगर जरूरत हुई तो इन्हीं सुझावों को संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता है और इस तरीके से उस समस्या को कि कंट्रोलर को प्रेसीडेंट न बनाया जाय सुलझाया जा सकता है और जहांतक बोर्ड के कांस्टीटयूशन का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक लोगों को ख्वाहिश है कि उसमें २ जमातों के लोग नहीं रखे गए हैं और उन की भी नुमाइन्दगी होनी चाहिये। एक तो मजदूर वर्ग के और दूसरा केन ग्रोअर्स का प्रतिनिधित्व उस में होना चाहिये क्योंकि मजदूरों पर और गन्ना पैदा करने वालों पर ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ेगा इसलिये मुनासिब है कि चाहे तो गवर्नमेन्ट उन को नामिनेट करे या एलेक्ट करावे या किसी और तरीके से वह आयें लेकिन किसी न किसी तरीके से उनकी कुछ न कुछ नुमाइन्दगी होनी चाहिये । जो फैक्टरी के मजदूर हैं या जो उनके लिये गन्ना पैदा करते हैं उनको भी वहां प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । यह दोनों चीजें हम बहुत आसानी से मुनासिब संशोधन द्वारा बिल में ला सकते हैं इसलिये इस बोर्ड के कांस्टीटूयशन वाले मसले को देखते हुए भी हमें इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है ।

[श्री नौरंगलाल]

एक तीसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि यह जो शब्द "अदर परपजेज" आए हैं वह निकाल दिए जांय और कहा गया कि इन के कारण ही शीरे के प्रश्न को लेकर बड़े बड़े स्केन्डल्स हो चुके हैं। ओपिन पैन के बारे में कहा गया लेकिन उसमें एक उसूल की बात है वह कोई ऐसी बात नहीं है और जहां तक कि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य कराया जाय वह अच्छी बात है मैं उस का विरोध नहीं करता ऐसा अगर सरकार कर दे तो मुनासिब ही होगा और अगर कोआपरेटिव्स को यह काम दिया जाय तो किसी को आब्जेक्शन न होगा लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूंगा कि जिस वक्त इस बिल को हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसटिलरीज के लिये और अदर परपजेज के लिये भी शीरे का कंट्रोल कर सकती है। और वह यह है कि जिस वक्त हम इस विधेयक को पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेन्ट डिस्टिलरीज को कंट्रोल कर सकती है और अदर परपजेज के लिये कर सकती है तो उसमें जो दो लफज हैं वह भ्रमात्मक अवश्य हो गये हैं। इसके लिये अगर हम इंगलिश का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर देते तो वह ठीक हो गया होता। "अदर परपजेज" की जगह पर "फार एनी परपज" तो उसका असर वही होता जो इस वक्त हो रहा है यानी डिस्टिलरी जो खास काम है वह तो है ही उसके अलावा और दूसरे कामों के लिये लेकिन जब डिस्टिलरी पर इम्फैसिस दिया गया है। और उसके साथ अदर परपजेज आ जाता है तो उसको कुछ न कुछ क्लेरीफाई करना पड़ेगा। कुछ लोगों का खयाल है कि अदर परपजेज को स्पेसीफाई करके उसका विधेयक अलग से बना देना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। थोड़ी सा इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट को आजादी जरूर देनी चाहिये और वह आजादी इस तरीके से जिससे उसमें करप्शन की सम्भावना न रहे। इस आजादी के लिये थोड़ी सी मुसीबत पड़ेगी। अगर किसी समय कोई आविष्कार हुआ और नई चीजों की सम्भावना हुई और नई चीजों के लिये शीरे की जरूरत सरकार को हुई तो उस वक्त सरकार को इसमें फिर से अमेंडमेन्ट करना पड़ेगा। कोई इंवेशन्स हो सकते हैं और शीरे की जरूरत हुई तो "अदर परपजेज" में वह जो पावर हम डेलीगेट कर रहे हैं उससे वे जमीन से लेकर आसमान तक की सभी चीजें शामिल कर सकते हैं क्योंकि अदर परपज का अभिप्राय इतना जनरल है कि वह इसमें सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिये इस अदर परपज को स्पेसीफाई कर दिया जाय और इसको क्लासिफाई करने के साथ दो लफ्ज रख दिये जायं। पहली चीज तो यह हो कि यह सब जनहित में हों और जनहित में थी तो इसको कंट्रोल करें और इसके साथ ही यह भी होना चाहिये कि क्यों और कौन सा जनहित है यह सब भी बताना पड़ेगा लिखकर देना पड़ेगा। अगर यह दोनों चीजें हो जायेंगी तो जमीन से आसमान तक सब चीजें उसमें ठहर नहीं सकतीं क्योंकि उसमें जनहित को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल हो जायेगा और जो चीज हम स्टेट गवर्नमेन्ट को देना चाहते हैं अगले इंवेशन के लिये वह बरकरार रहेगी। अगर थोड़ा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर "अदर परपज" को कंट्रोल कर देंगे तो माननीय गेंदासिंह जी का मतलब भी हल हो जायगा और माननीय मंत्री जी की मंशा भी खत्म नहीं होगी जिसके मातहत उन्होंने यह लफ्ज रखा और इस थोड़े से तोड़ मरोड़ को तो हम बहुत ही शीघ्र इस सदन में कर सकते हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि इसको प्रवर समिति में जाने की कोई अवाश्यकता नहीं है। इसको हम बहुत थोड़े से अमेंडमेंट्स के साथ बहुत आसानी से यहां पास कर सकते हैं।

अब इसमें एक आब्जेक्शन यह हो सकता है कि इसमें जो बोर्ड है उसको ताकत नहीं दी गई है। इसका केवल एक ऐडवाइजरी बोर्ड रह जाता है और इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्नों को हम यहां तय कर सकते हैं। प्रवर समिति में हम क्या बतावेंगे। हम यहीं बतावें कि हम जितनी ताकत इसको दिलवाना

चाहते हैं उसके लिये हम क्यों न अमेंडमेन्ट लावें कि इस बोर्ड को यह ताकत मिलनी चाहिये, यह ताकत मिलनी चाहिये और यह ताकत मिलनी चाहिये। उसका चेयरमैन आफिशियल हो या नान-आफिशियल हो इसको भी हम यहां रख सकते हैं। यह मंत्री जी चाहे ऐक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई प्रवर समिति में ले जाने के लिये कोई केस मेक अप नहीं होता। मेरी अपनी राय यह है कि ऐसे ऐडवाइजरी बोर्ड्स को जहां तक पावर्स का ताल्लुक है कोई इसको ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं देनी चाहिये।

ये एडवायजरी बोर्ड्स जो होते हैं न इनके पास इतनी फुर्सत होती है और न वे देखरेख कर सकते हैं। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कंट्रोलर को देनी चाहिये। एक्जिक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वे एक आफिसर के मातहत रहें और उनमें दखल देना बेकार है। लेकिन एक बात के लिये मंत्री जी पर जोर दे सकता हूं कि जहां तक जनरल एडवाइस है, जनरल प्रिन्सिपल्स हैं जो देश के लिये हितकर हो सकते हैं, प्रदेश के लिये हितकर हो सकते हैं उनके लिये जो बोर्ड मुलसिस का बना है उसको ही सारी पावर्स होनी चाहिये क्योंकि जो बोर्ड के मेम्बर्स होंगे वे एक्सपर्टस होंगे, जनरल हित से वाकिफ होंगे। जनरल रूल और जनरल मेट्रोपालिसी इन सबको कंट्रोलर को मानना चाहिये लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसके लिये कंट्रोलर फ्री हो। जो प्रोसीजर हो और जो शक्ति उसे दी है उसका वह पूरा इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से इन पावर्स को डिसाइड करके जनरल पालिसी की जो मुसीबत है इसको भी हम हल कर सकते हैं। लिहाजा इसको भी प्रवर समिति के सामने भेजने की कोई गुंजायश नहीं। इस तरीके से ये ४,५ कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने बतलाईं और माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाईं उनका हल हम यहां अमेंडमेन्ट के जरिये से आसानी से कर सकते हैं। इसलिये इन कारणों के वास्ते मैं नहीं कह सकता कि इस विधेयक को, जो इतना आवश्यक है, किसी भी प्रवर समिति के सामने भेजने की आवश्यकता है।

एक दो बातें और रह गई हैं जिन पर एक आध माननीय सदस्यों ने रोशनी डाली है। उन पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कोई भी पुलिस स्टेशन आफिसर हो या कोई भी आफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेन्ट नियुक्त करे उसको यह अख्तियार है कि वह किसी केस को रोक सकता है। यह जो प्राविजन है यह जरा खटकता हुआ है इस तरह के प्राविजन के रखने के मानी हैं कि पहले से ही पबलिक को बतला दिया जाय कि हम जो एक कानून बनाने जा रहे हैं और उस कानून के बनाने के बाद उसमें हम एक लूपहोल भी दे रहे हैं कि जिस आफिसर को पकड़ने का अख्तियार होगा वह माफ भी कर सकता है। इस तरह से जो कानूनशिकनी है उसको एनकरेज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसको घटा नहीं सकते। इस तरह का खयाल पैदा हो जाना जो क्रिमिनल मेनटेलिटी है उसको बढ़ावा देता है। किस तरीके से हम केस को रोक सकते हैं और वह भी एक आफिसर के जरिये से जो सब-इंस्पेक्टर की रैंक का हो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा। मैं उनकी बड़ाई नहीं करता बुराई भी नहीं करता लेकिन हमारा तल्ख तजुर्बा है कि उस पावर का काफी दुरुपयोग होता है। इस तरीके से उनको यह शक्ति दे कर हम अपने देश का हित नहीं करेंगे। इसलिये यह जो क्लाज रक्खा गया है कि एक पुलिस स्टेशन आफिसर या और कोई आफिसर इस केस को जब चाहे रोक सकता है यह जरा खटकता सा है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको डिलीट कर दिया जाय और अमेंडमेन्ट के जरिये से हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे और कोई तर्क हो जो माननीय मंत्री जी दे सकते हों जिसके कारण इसका रखना आवश्यक हो लेकिन जहां तक मैंने सोचा है मैं तो इसे खतरनाक समझता हूं और इसलिये मैं इस पर जोर देता हूं कि इस प्राविजन को इस विधेयक से डिलीट कर दिया जाय क्योंकि यह अच्छा उसूल नहीं है कि उधर हम सजा करने जा रहे हैं और कंट्रोल

[श्री नौरंगलाल]

करने जा रहे हैं और दूसरी ओर यह भी दरवाजा खोल देते हैं कि यह सजा मुआफ की जा सकती है। इस तरह से जो हमारा पर्पज है इस विधेयक को बनाने का वह खत्म हो जाता है। मैं यह नहीं जानता कि मंत्री जी इससे बढ़ कर कोई और तर्क रख सकते हैं तो वह उसे सदन के सामने रक्खें हम उसे मान लेंगे। लेकिन जब तक कोई तर्क इस बात का न दिया जाय कि किस लिये यह रक्खा गया है तब तक माननीय सदस्य इस सदन के इस बात को मानने को तैयार नहीं हो सकते।

इसके साथ ही साथ एक अलग प्राविजन यह है कि जो थोड़ा सा खटकता है जिसमें आफेन्सेज को कम्पाउन्ड करने का अख्तियार दिया गया है। ५ हजार रुपये मेक्जिमम तक जिस पर शुबहा किया गया हो उसके केस को कम्पाउन्ड कर सकता है। यह भी बड़ा वेग है। आज कल डेमोक्रेसी के जमाने में जहां स्वतंत्रता बढ़ती है और बातों में वहां करप्शनमें भी डेमोक्रेटिक विचार शामिल हो जाते हैं। यानी "करप्शन इज आलसो डेमोक्रेटाइज्ड"। पहले कुछ लोग करते थे बाद को हर एक करने लगता है। इसलिए अगर हम किसी आफिसर के ऊपर इस बात का फैसला डाल देते हैं तो इसकी ज्यादा सम्भावना होती है, क्योंकि क्रिमिनल केसेज में किसी अफसर को डिस्क्रीशन हो जाने से फौरन दुरुपयोग हो जाता है। तो जहां अरबों रुपये का ताल्लुक है वहां ५ हजार रुपया कुछ भी नहीं है। फिर वह एक आफिसर के डिस्क्रीशन पर है। जैसा जिक्र किया गया ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि यह कोई अपनी शान नहीं है यह देश की शान नहीं है अपने मुंह पर ही चपत मारनी है। बाज सब इंस्टेक्टर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतना रुपया कमाया कि उन्होंने गवर्नमेन्ट को चैलेन्ज कर दिया कि उन्हे गवर्नमेन्ट की कोई परवाह नहीं चाहे जेल कर दो तो भी जिन्दगी भर गुलछर्रे उड़ायेंगे। तो हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे कोई ऐसी सम्भावना पैदा हो जाय कि कोई ऐसा ताकतवर कंट्रोल न पैदा हो जाय जो यह चैलेंज कर दे कि मैंने दो साल में इतना रुपया कमा लिया है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। न मुझे इस सरकार का डर है और न मुझे ईश्वर का डर है मेरे लिए सुख ही सुख है। इसलिये इस विधेयक में जो पांच हजार का प्राविजन है यह बहुत खटकता है। लेकिन पावर्स का आज जितना दुरुपयोग होता है उसका जिक्र नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से मैं इस चीज को यहां लाना चाहता था।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन चूंकि यह खटकता हुआ प्राविजन था इसलिये मैंने इसका जिक्र किया। इसलिये मैं समझता हूं कि या तो हम इसको बदल दें अगर बदल नहीं सकते तो कम से कम मेरी जाती राय है कि इसको कंट्रोलर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर करना ही है तो स्टेट गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले ले क्योंकि हमारे माननीय मंत्री महोदय काफी अच्छे हैं और उनके बारे में उतना शक नहीं कर सकते जितना कंट्रोलर के बारे में कर सकते हैं। अस्तु स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो यह provision रख सकती है अपने लिये तो हमको उतना एतराज शायद न रहेगा। इन चीजों को हम संशोधन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को खुद समझता हूं कि जो मैंने संशोधनों का जिक्र किया है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर इसमें देश के करोड़ों रुपये के नुकसान का प्रश्न न होता तो मैं माननीय गेंदासिंह के प्रस्ताव से सहमत हो जाता कि यह प्रवर समिति में भेज दिया जाय लेकिन इधर सोजन का सवाल है अगर विधेयक प्रवर समिति में जायगा तो करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। और संशोधनों के जरिये से हम इस चीज को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और मंत्री जी को समझा और कुबूल करवा सकते हैं। इसलिये मेरा व्यक्तिगत खयाल है कि माननीय गेंदा सिंह जी इसको मान लेंगे और प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव वापस लेंगे। जैसा कि सदन का

रुख मालूम पड़ता है मुझे बड़ी खुशी है कि जो आज विवाद हुआ है उसमें पार्टी का भेदभाव नहीं है । दोनों पक्षों से लगभग एक सी बातें कही गयी हैं । तो कोई मुश्किल की बात नहीं है कि हम इस विधेयक को कल शाम तक न पास कर लें जिससे जो हमारा सीजन आने वाला है उसमें करोड़ों का नुकसान बच जाय और देश का उससे भला हो सके ।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यह उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक इस समय प्रस्तुत है । मैंने इस सम्बन्ध में प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में और प्रवर समिति में न भेजने के पक्ष में दोनों तर्क वितर्क सुने श्रीमन, इस समय जो ट्रेजरी बेंचेज की ओर से सम्मानित सदस्यगण बैठे हैं उसमें मालूम होता है कि ज्यादातर लोगों के सामने माननीय गेंदासिंह जी का ही तर्क रहा और माननीय गेंदा सिंह जी का खयाल कर के बहुत से लोगों ने इसके प्रवर समिति में भेजने के संशोधन का विरोध कर दिया । अगर उनको श्री फतेहसिंह राणा जी का तर्क भी याद होता जिन तर्कों के आधार पर राणा जी ने भी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन किया है तो मैं समझता हूं कि आज सरकारी पक्ष की ओर से भी इसको प्रवर समिति में भेजने का समर्थन अवश्य मिला होता । श्रीमन, यह निर्विवाद है । मैं तो माननीय नौरंग लाल जी को सुन रहा था ऐसी एक भी इस विधेयक की धारा उन्होंने नहीं बतलायी जिसमें उनको संशोधन की गुंजाइश न रही हो । जितनी इस विधेयक की धारायें रखी गई हैं सबको एक एक करके माननीय नौरंगलाल जी ने कह दिया कि जो बोर्ड बन रहा है उसमें भी दोष है "फार अदर परपजेज" की जगह अगर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाता तो वह भी उचित था और पांच हजार की जो जुर्माना करने की भी बात है वह भी अनुचित ही है, पुलिस को इतना अधिकार दिया जा रहा है यह भी अनुचित ही है और इसी तरीके से श्रीमन्, जितनी बातें हैं इसमें सबके बारे में माननीय नौरंगलाल जी ने भी कह दिया कि यह विधेयक जैसे मालूम हो कि कोई एक रद्दी की टोकरी है और इस रद्दी की टोकरी पर हम लोग यहां वाद-विवाद कर रहे हों और श्रीमन्, काटजू साहब तो चले गए इस समय उनके तर्क अगर कल आप सुने होते, आज वह उसमें से मुर्गी निकाल रहे थे, माननीय गेंदासिंह जी ने तो अंडा निकाला मगर काटजू साहब उसमें मुर्गी निकालने लगे, उनके तर्कों को भी सुना जाय तो उन्होंने भी उन्हीं बातों को दुहराया है कि पुलिस को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए । यह जो बोर्ड बन रहा है, इस बोर्ड में जो कंट्रोलर एक्स-आफिशियो चैयरमेन की हैसियत से काम करेगा, यह बड़ा अनुचित है । इसी तरह से सारी बात वह कह गये । इस सदन में श्रीमन, हम यह देखते हैं कि यह पहला विधेयक ऐसा है जिसके बारे में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इसकी सारी धाराओं का खंडन करते हुए कुछ लोग तो इसको प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में बोले । एक बात माननीय नौरंग लाल जी ने इसमें विशेषता के साथ जरूर जोड़ी है । उनका यह कहना है कि इसमें विलम्ब बहुत होगा और विषय बहुत ही आवश्यक है । मेरे सामने माननीय गेंदासिंह जी का वह संशोधन तो पूरा है नहीं केवल इतना ही रखा हुआ है कि प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो उनके संशोधन में मैं यह संशोधन और दूसरा करने के लिए जरूर तैयार हूं कि इसको कोई समय निर्धारित करके भेज दिया जाय चाहे २४ घंटे के लिए कर दिया जाय, चाहे दो दिन के लिए कर दिया जाय और फिर जैसा कि सदन का कार्य क्रम माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित किया है ९ जनवरी से बैठ रहा है सदन और अगर यह जो २३ तक का इधर का कार्यक्रम है इसमें यह वादविवाद के लिये नहीं आता और ९ तारीख के बाद आ जाता है तो कोई ऐसा आसमान नहीं फट जायगा और न यह पृथ्वी धंस जायगी तो जहां तक कुछ ऐसा तर्क माननीय नौरंग लाल जी ने दिया कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय तो मैं माननीय नौरंग लाल जी के तर्क को अपनाते हुए जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

उन्होंने जायज शंका इसके डिले की बतलायी थी उसके सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी से जरूर निवेदन करूंगा कि वह हमारा संशोधन उसमें मान लें । हमारा संशोधन अगर यह सदन चाहे तो २४ घंटे का भी हो सकता है, अगर यह सदन चाहे तो तीन दिन का भी हो सकता है मगर अच्छी तरह से इस पर विचार विनिमय करने के लिए हम चाहते हैं श्रीमन्, कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और १५ दिन का समय रख दिया जाय, "विदिन ए फार्टनाइट" प्रवर समिति की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हो और सदन उस परिवर्तित रूप में जो विधेयक आये उस पर विचार करे । यह हमारा संशोधन है और इसी के साथ-साथ हम यह भी कहने के लिये तैयार हैं कि अगर कोई उसमें और भी जल्दी के लिए संशोधन करना चाहे और दो ही दिन के अन्दर विचार विनिमय करना चाहे तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

मैं श्रीमन्, जो एक परिपाटी हो गयी है यहां उसके बारे में सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी भी यदि सरकार की हठवादिता के बारे में किसी सम्मानित सदस्य का भ्रम हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह निकाल दें । संशोधन यहां पर आये और उनको तत्काल सरकार स्वीकार कर ले ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं । सरकार उसमें अपनी हेठी समझती है, इसलिये उचित संशोधन को भी नहीं मानती और यदि वही संशोधन प्रवर समिति में सरकार स्वतः मान करके अपनी ओर से नया विधेयक प्रस्ताव के रूप में रखे तो उसमें सरकार अपनी शान और गर्व समझती है । इसलिये माननीय नौरंग लाल जी ध्यान देंगे कि सरकार को एक सूचना प्रदान करने के लिए और झूठी शान और मर्यादा सरकार के रास्ते में बाधक न खड़ी हो, उसके लिए भी इस विधेयक का प्रवर समिति में ले जाना आवश्यक है । श्रीमन्, यदि मैं जो पुराना ऐक्ट है और इस विधेयक की धाराओं को पढ़कर के सम्मानित सदस्य की सेवा में प्रस्तुत करूं तो मैं समझता हूं कि उनको भी प्रवर समिति में भेजने में और जो संशोधन प्रस्तुत है उसके समर्थन में अपने को करने में कोई विशेष बाधा नहीं खड़ी होगी । श्रीमन्, मैं तो असल में कुछ थोड़ी सी परेशानी में इसलिये पड़ा हुआ हूं कि माननीय नौरंग लाल जी भी जो कि सब से ज्यादा तर्कपूर्ण ढंग से प्रवर समिति में ले जाने का समर्थन किये हैं उनकी सारी बहस और सारा तर्क इसको प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में है मगर जो वाक्यावली प्रयोग करते हैं वह यह कि प्रवर समिति में न भेजा जाय । अब हम उसके लिए क्या कहें ?

यह निश्चित है कि विधेयक महत्वपूर्ण है और इस विधेयक का एक व्यापक असर पड़ेगा । आज कोई राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति है जो बिहार के छोआकांड से परिचित न हो ? छोआकांड तो एक ऐसी बड़ी समस्या और व्यापक विषय बन गया था जिसके सम्बन्ध में चाहे रिक्सा पर चलें या ट्रेन में जायं कहीं भी जायं बराबर चर्चा होती थी और उस कांड को लेकर के आज बिहार की सरकार पर जो कलंक का टीका लगा था वह धो नहीं पायी । मुलैसेज के सम्बन्ध में अगर शुगर फैक्टरी या टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट देखी जाय और उनका अध्ययन किया जाय तो मालूम हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिये भी इस मुलैसेज के प्रश्न को लेकर कितने जनहित के विरूद्ध काम किये गये हैं, अब भी जो पुराना ऐक्ट, १९४७ का था और जो यह नया विधेयक संशोधन के रूप में सन् ५५ का अपने सदन में प्रस्तुत हो रहा है वह उस मुलैसेज से जो कि किसानों का अहित होता था या जो दूसरी वस्तुओं के साथ न्याय नहीं होता था उसका समाधान यहां पर कहां से हो पा रहा है ? कंटोल प्राइस का क्या होगा मुलैसेज के भाव क्या होंगे मुलैसेज किन-किन सामाग्रियों के बनाने में खर्च हो सकता है, शीरे के क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, कहीं भी इस विधेयक में है ? कहीं भी चर्चा नहीं है । और जो तीन-साढ़े तीन आने मन का हिसाब बराबर बनता चला आया है शीरे के बारे में

माननीय काटजू जी ने हिसाब लगा कर के सदन में प्रस्तुत कर दिया अब भी वही हिसाब शीरे का है। शीरे के कांड को ले करके अपने उत्तर प्रदेश में कितना ब्लैक किया है चीनी के मिल मालिकों ने इसको देखा जाय। जब चीनी के क्या दाम हों, गन्ने की क्या कास्ट हो इन दोनों के सम्बन्ध को देखा जाता है तो शीरे की कीमत क्या होती है इसको भी काटा जाता है उसकी कटौती की जाती है। और जहां पर कि खुले आम मिल का शीरा बाजार में जाकर १ रुपया, डेढ रुपया, दो रुपया ढाई रुपया मन बिकता है वहां पर उनको जो कटौती होती है वह ३ आने मन मिलता है तो यह बड़ा जबर्दस्त अन्याय है। माननीय मंत्रीजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उससे इसके ऊपर कौन सा कंट्रोल हो सकता है। गन्ने से शीरा निकलता है। अगर शीरे की कीमत अच्छी तरह से समुचित रूप में संतुलित की जाय तो किसानों की गन्ने की कीमत निश्चित रूप में बढ़ेगी। जहां चीनी के मिल मालिक के शीरे की कीमत ३ आने काटी जाती है अगर उसको संतुलित आधार पर तय किया जाय और वह १० आने मन हो तो ७ आने का फर्क पड़जाता है। आज जो गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन है वही केवल शीरे के भाव को संतुलित करके १ रुपया १४ आने और २ रुपये मन की जा सकती है। मगर जिस रूप का विधेयक यहां पर प्रस्तुत है उससे किसानों के साथ इस सम्बन्ध में भी कोई न्याय नहीं होने वाला है।

मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं माननीय फतेह सिंह राणा का इस सदन में भाषण सुन रहा था। उन्होंने सफाई के साथ जो यहां मुलसेज बोर्ड बनाया जा रहा है उसका जो एक मात्र सरकारी करण हो रहा है उसके सम्बन्ध में आपत्ति की। उनकी आपत्ति जायज थी और मैं भी उनकी आपत्ति के साथ अपने को पाता हूं। सरकार की ओर से तनिक भी इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस की गई कि उसके अन्दर किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। या तो कोई ऐसा आदमी हो जो असरकारी स्तर पर सही माने में क्या बाजार भाव है शीरा क्या भाव बिक रहा है उसका क्या उपभोग हो रहा है इसकी जानकारी करे और उसकी बिना पर बोर्ड को सलाह दे और उस सलाह की बिना पर बोर्ड गवर्नमेन्ट को बताये कि शीरे की कीमत क्या होनी चाहिये। जिस तरह से यह बोर्ड आज निर्मित किया जा रहा है अगर उसको देखा जाय तो यह तो इसमें कहीं लिखा नहीं है कि कौन कंट्रोल होंगे मगर जैसा कल माननीय गेंदा सिंह जी ने संकेत किया था एक्साइज कमिश्नर साहब इसके कंट्रोल होंगे। किसी व्यक्ति के बारे में कि वह अच्छा है या बुरा इस पर कोई विवाद नहीं है मगर जो बोर्ड बन रहा है और उस बोर्ड का जो काम होगा कि मुलसेज की कीमत क्या हो और उसका एलोकेशन क्या हो डिस्टिलरीज के लिये और दूसरे परपजेज के लिये उसको देखते हुये हमें ऐसा बोर्ड निर्मित करना चाहिये जो समाज के अन्दर जितनी बातें हो सकती हैं मुलसेज से सम्बन्धित उन सब को सामने रख सके और उन पर विचार विनिमय करके वह तमाम चीजें उपलब्ध करा सके, जिनके आधार पर वह सरकार को सलाह दे सके। एक बात माननीय फतेहसिंह राणा जी ने कोआपरेटिव के सम्बन्ध में कही कि कोआपरेटिव्स के हाथ में भी इन तमाम बातों को छोड़ा जा सकता है जो कि मुलसेज बोर्ड का स्थान ले सकती है। ठीक है कोआपरेटिव्स जहां तक सहायक ढंग का विकास हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कोआपरेटिव्स के हाथ में छोड़ना मौजूदा जो बोर्ड बन रहा है उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है मगर मैं तो यहां तक भी चाहूंगा क्योंकि श्रीमन, अगर उसी बात को मैं कहता हूं तो सदन के सम्मानित सदस्य कभी कभी यह भी खयाल कर सकते हैं कि शायद जल्दी में या विरोध करने के लिये राजनारायण ने कह दिया है, मगर मैं आचार्य विनोबा भावे को भी इस सदन में अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी दो दिन पहले आचार्य विनोबा ने ग्राम पंचायतों के संगठन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां पर सारी सत्ता सरकार अपने हाथ में केन्द्रित करती हो फिर सत्ता को केन्द्रित करते हुये सरकार आज जो भी ग्राम पंचायतें बनाये, चाहे कोआप-

[श्री राजाराम्यण]

रेटिव बनाये, इसमें तत्व नहीं आ रहा है और वह निर्जीव होकर, निष्प्राण होकर काम कर रही है इसलिये कि उनमें गति नहीं आ रही है, उनमें प्रेरणा नहीं आ रही है । इस लिये में कहता हूं कि आज हमारा कोआपरेटिव मूवमेन्ट ठप्प क्यो पड़ा हुआ है, इसलिये कि सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में है और ऊपर से प्रेरणा देने की कोशिश की जाती है, उनमें प्रेरणा नहीं आती है, स्फूर्ति नहीं आपाती है। आज जीवन के हर क्षेत्र की ओर सरकार केन्द्रीयकरण की ओर अपना हाथ बढ़ा रही है। इसीलिये आज जीवन के हर क्षेत्र में अराजकता और बदअमनी फैली हुई है जो सुझाव इस विधेयक के जरिये बोर्ड के बनाने के संबंध में रखे गये है मैं उनका सख्त विरोध करता हूं और मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो संशोधन सदन में प्रस्तुत होंगे, उनको मंत्री जी शायद इतना महत्व देकर स्वीकार करने में समर्थ न हो पायें । मगर वह संशोधन अगर मंत्री जी की सेवा में प्रवरसमिति में रखे जायंगे और वह अपने लीगल ऐक्सपर्ट्स से भी सलाह कर लेंगे और वहां वह उनको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं नौरंग लाल तथा अन्य सदस्यों से जो इसको प्रवर समिति में भेजने के विरूद्ध हैं, वह देखें कि वहां पर सब बातें रखी जायंगी और मंत्री महोदय ठंडे दिल से विचार करेंगे और इसको ग्रहण करने की कृपा करेंगे ।

इसी प्रकार से श्रीमन्, यह देखा जाय कि सब से बड़ी जो आपत्ति की बतें थीं उन पर सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य प्रकाश डाल चुके हैं और उन लोगों ने हमारा बहुत सा बोझ हल्का कर दिया है, इसलिये मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। मगर श्रीमन, यह जो दूसरे खंड की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित नई उपधारा ३ और ४ बढ़ा दी जायं । यह पुलिस आफिसर के बारे में हैं । मैं इसका सख्त विरोध करता हूं । इसके पहले के ऐक्ट में देखा जाय तो उसमें धारा १२ थी उसमें यह लिखा हुआ है कि :—"Any Police Officer not below the rank of S. I. or any officer duly empowered by the Controller in this behalf may:

"Enter and search at any time any premises in which he has reason to believe that any molasses, in respect of which any offence, punishable under this Act or any Rule or Order made thereunder has been or is about to be committed in kept or concealed."

यहां यह कहा है कि—

"A police officer not below the rank of an officer incharge of a police station or an officer of the Excise Department or Revenue Department not below such rank as the State Government may prescribe may invesigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction."

अब यह देखा जाय कि दोनों में कितना विरोध है। क्या सरकार पहले जितनी पुलिस के हाथ में शक्ति थी उससे ज्यादा देने जा रही है और पुलिस के पास जो अनियंत्रित अधिकार रखे थे उन पर अंकुश लगा रही है। किस माने में हम कहते हैं कि हम डैमोक्रेटिक रास्ते पर चल रहे हैं, किसी माने में मंत्री महोदय जजबात का इजहार करते हैं और जनतंत्र के शीतल वृक्ष की छाया में आनन्द विभोर हो रहे हैं। इसीलिये यह इसकी शीतल छाया में आनन्द विभोर हो रहे हैं। कि यह पुलिस स्टेशन का अफसर जो इंचार्ज है बल्कि ऐसा अफसर जिसको गवर्नमेन्ट किसी समय प्रेसक्राइब कर सकती है, वह बड़ा दीवान भी हो सकता है, हेड कांस्टेबिल भी हो सकता है। इस तरह से सरकार के जरिये जनतंत्र पर प्रहार करने का कदम उठाया गया है, वह हमारे सामने है।

अभी अभी इस सदन में चर्चा चली थी कि जौनपुर में क्या हुआ .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका वर्णन आवश्यक नहीं है ।

श्री राजनारायण—मैं घटना का वर्णन नहीं कर रहा हूं । इसके जरिये निर्दोष लोगों के विरुद्ध पुलिस के स्टेशन अफसर को होटलवालों से दरख्वास्त दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके जरिये उसको पकड़ लेगा । पुलिस आफिसर, जो कि स्टेशन इंचार्ज होगा वह जा कर इस विधेयक के जरिये जब कि यह कानून का रूप धर लेगा, जा कर उनको पकड़ कर कह देगा कि यह फलां दफा मुलैसेज ऐक्ट के अन्दर अपराधी है और इसको सजा होनी चाहिये । तो मैं इसलिये कह देना चाहता हूं कि जब भी सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करे तो कम से कम सरकार अपने दिमाग में इतनी सफाई तो जरूर रखे कि किस विधेयक के जरिये जनता को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं और किस के जरिये उसे और दबाया जा रहा है । आज जनता विवशता से जकड़ी हुई है और उस पर ज्यादा कंट्रोल होता जा रहा है । जनता पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है चाहे वह स्टेशन इंचार्ज पुलिस अफसर के जरिये हो या रेवेन्यू अफसर के जरिये हो या एक्साईज डिपार्टमेन्ट के जरिये हो । यह सारे के सारे सरकार के हाथ में है और सरकार की कंबाइन्ड रेस्पांसिबिलिटी है । उसके जरिये एक न एक तरीके से, एक न एक जरिये से आज जनता को पंगु बनाया जा रहा है । पंगुवादिता आज समाज में प्रचलित हो रही है । तो इस पंगुवादिता को रोकना चाहिये और इसको रोकने के लिये मैं यह साफ कर दूं ,मेरे दिमाग में भ्रम नहीं है कि अगर यह प्रवर समिति में चला जाय तो यह पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जायगा मगर कुछ न कुछ यहां की बनिस्बत वहां पर परिवर्तन होने में आसानी होगी । वह आसानी हमारी वजह से नहीं होती, वह आसानी होती है सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार इस सदन में उसी तर्क को नहीं मानती है और दूसरी जगह, उस समिति में उसको मानती है । हमको तो ऐसे मंत्रि-गण अक्सर मिला करते हैं कि जो सदन में उसी बात को न कर देंगे और बाहर मिलने पर कहेंगे कि ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे लेकिन सदन में तो बात ऐसी ही है । और इस तरह की बात को वह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मानते हैं । सदन में असत्य बात कहने को वह कहते हैं कि यह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम है । गवर्नमेन्ट चलाना है तो झूठ बोले बगैर काम नहीं चल सकेगा । हमारा स्तर बराबर नीचे गया है और ऐसा कहते हुए हमें शर्म नहीं आती ? तो मैं कह रहा हूं श्रीमन् .. .. ..

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आप इसको यहां कह रहे हैं?

श्री राजनारायण—हां , मैं कह रहा हूं और इसलिये कह रहा हूं कि अब इस पर निगाह करनी चाहिये और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेज की है क्योंकि सरकार पर ज्यादा कंट्रोल आप लोग कर सकते हैं । ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। आज विरोधी पक्ष इतना शक्तिशाली नहीं है इस सदन में कि वह कंट्रोल करे , बाहर तो है मगर बाहर . .

श्री शिवनारायण—बाहर कुछ नहीं है ।

श्री राजनारायण—बाहर को देख कर अब श्रीमन्, उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है । गलत मुकदमें चलाने के लिये पुलिस का सहारा लेना पड़ता है । यहां से मंत्री लोग फोन करते रहते हैं स्थानीय अधिकारियों को ।

श्री शिवनारायण—यह तो बेकार की बात हो रही है ।

श्री राजनारायण—तो मैं श्रीमन्, अब उद्देश्य और कारण पर आ रहा हूं । जो उद्देश्य और कारण इसमें लिखे हैं अच्छे हैं लेकिन ऐसे अच्छे उद्देश्य और कारण लिख कर भी सरकार के द्वारा जो विधेयक बनाया जा रहा है उसके द्वारा उनकी पूर्ति आप नहीं कर पायेंगे।

[श्री राजनारायण]

मैं एक-एक कर के इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति द्वारा इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी आपत्ति जो मुलैसेज का अर्थ किया है उस पर भी है और उसकी ओर जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय राणा जी ने भी संकेत किया था, मगर नौरंगलाल जी ने और दूसरे लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुलैसेज जो पुराने ऐक्ट में अर्थ रखता था उसका मतलब था :

"Mollases means the heavy dark coloured residual syrup drained away the final stage in the manufacturing of sugar by vacuum pans or in open pans in sugar factories."

तो "ओपेन पैन" शब्द का प्रयोग पुराने ऐक्ट में भी है। ओपैन पैन यहां पर रहे या न रहे, इससे कोई अर्थ नहीं निकल सकता। अगर यहां पर शुगर फैक्टरी रख दिया जाय और कुछ हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि यह लाजिक है और आप के वैज्ञानिक युग में जब फैक्टरी होगी तो ओपिन पैन यहां रखे या न रखें तमाम फैक्टरी वाले ओपिन पैन में मुलैसेज बनाने लगेंगे ऐसी बात नहीं है। यह विधेयक के अन्दर सफाई के साथ लिख दिया जाय कि फैक्टरीज के मालिक अपनी मिलों में जिस तरके से भी चाहें उस तरीके से कढ़ाई में या और तरीके से मुलैसेज बनाये और वह सारा का सारा मुलैसेज कंट्रोल होगा। अगर यह प्रवर समिति में भी जाय तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो जायगी जिससे किसानों के लाभ में कोई बाधा आने वाली हो। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मुलैसेज के लिये "ओपिन पैन" रखें या न रखें यह बात नहीं है वस्तु स्थिति यह है कि जो यह आज विधेयक प्रस्तुत है उस विधेयक में शुगर फैक्टरी का नाम नहीं है। पहले में यह था कि :

"Sugar Factory means any premises including the precincts thereof where 20 or more workers are working."

जहां पर २० आदमी काम करते हैं। मगर यहां पर मुलैसेज का जो अर्थ लगाया गया है उसमें यह शब्द निकाल दिये गये हैं। इसमें (मुलैसेज मीन्स हैवी डार्क क्लर्ड....) कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी जगह जहां पर २० या १० या ५ आदमी काम करते हों उसको फैक्टरी माना जाय। यहां पर ओपिन पैन सिंगिल इन्डीविजुअल भी इस्तेमाल कर सकता है। सिंगिल पर भी यह विधेयक लागू होगा। जब यह सिंगल पर लागू होगा तो खन्डसारी का जो रोजगार है उस पर भी जरूर इसका असर पड़ेगा। इसलिये सरकार की ओर से सफाई के साथ विधेयक में यह बात आनी चाहिये जिससे शुगर फैक्टरी का नाम दिया हुआ हो। इस तरह से माननीय मंत्री के लिये ही यह भाष्य करने की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी जिस तरह से इसका भाष्य करते हैं कि शुगर फैक्टरी पर ही यह लागू होगा यह कानूनी दृष्टि से वैलिड नहीं होता।

अभी किसी ग्रामपंचायत के चुनाव में देखा गया कि माननीय मंत्री जी ने यहां पर जब विधेयक पास हुआ तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नहीं बनाया जायगा मगर बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बना दिया गया। अब वही सारी आपत्ति ढाह रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब विधेयक के अन्दर यह नहीं लिखा हुआ है कि वह मुलैसेज जो शुगर फैक्टरी में बने वह ऐसी जगह बने, ऐसे घेरे में बने जहां पर कम से कम २० मजदूर काम करते हों। जब तक यह इसमें नहीं लिखा रहेगा और इसी तरह से खुली हुई धारा रहेगी तब तक माननीय मन्त्री जी का भाष्य कि वह इसको शुगर फैक्टरी में ही लागू करेंगे कानूनन नहीं माना जा सकता है। यह दूसरी जगह भी लागू किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी की भावना के विरुद्ध इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं पड़ती है। इसलिये अगर सरकार की इच्छा है इसको कि शुगर फैक्टरी में ही लागू किया जाय तो सरकार को सफाई

के साथ इस विधेयक के अन्दर लिख देना चाहिये कि शुगर फैक्टरी जहां पर २० या अधिक मजदूर काम करते हों वहां यह लागू होगा । इसकी सफाई होनी चाहिये।

इसी के साथ-साथ जहां पर मुलैसेज को निर्माण करने की बात है वह बिलकुल सफाई के साथ होनी चाहिये । जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी की सद् इच्छा है वह जिस रूप में यह विधेयक रखा गया है उसके जरिये से पूरी नहीं होगी। इसमें निश्चित रूप में जनता, किसान, कनज़्यूमर यानी उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व होना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा और सरकारी या अर्द्ध सरकारी आदमी का प्रतिनिधित्व होगा तब तक छोआकाण्ड की पुनरावृत्ति होती है। इसलिये मोलैसैज़ बोर्ड के निर्माण में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे किसान और उपभोक्ताओं की सम्पत्ति लेकर उसकी कीमत निर्धारित की जाय। "Other purposes" की बड़ी चर्चा हुई। इसका सब्सीट्यूट माननीय नौरंगलाल जी ने "any purposes" बताया। मतलब तो दोनों से एक ही निकलता है। इसलिये यदि सरकार यह उचित समझती है कि कुछ अन्य ऐसे आवश्यक कार्य भी हो सकते हैं जिनके लिये भी शीरे पर कंट्रोल हो, तो मैं उसे बहुत अनुचित नहीं मानूंगा, मगर जब "Other purposes" तय हो तो What are those other purposes ? वे दूसरे कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिये भी शीरा इस्तेमाल हो सकता है ? जैसा माननीय नौरंगलाल जी ने बतलाया, कृषि के काम की रिपोर्ट जो आती है, उसके बावजूद भी बिल्कुल निश्चित बात है कि बागीचा, छोटे छोटे बागीचा, ऊसर तोड़ने में भी मुलैसेज काम आते हैं। हम खुद खेती करते हैं। सूखे हुये पत्ते में शीरा देने से वह हरा हो जाता है। ऐसा हमने किया है। तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये आवश्यक है कि बोर्ड का गठन इस प्रकार हो कि किसान और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि उसमें हों।

तीसरे सफ़े पर है "Power to control, supply and distribution, etc.,of molasses." एक तरीके से मुलैसेज बोर्ड अनावश्यक भी प्रतीत होता है। जब हम यह कहते हैं कि बोर्ड का निर्माण ऐसा हो जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, उस सामग्री के उत्पादक जिससे शीरा निकलता है, उनके प्रतिनिधि हों, तो हमारा यह भी मतलब है कि उनका अधिकार क्षेत्र व्यापक हो। मगर मौजूदा विधेयक जिस अधिकार को लेकर इस बोर्ड का निर्माण हो रहा है उसमें तो केवल एडवाइज़री बोर्ड है और सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में रख रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी सत्ता को कम करे और इसके लिये एक ऐसे बोर्ड का निर्माण करे जिसमें सब लोगों के प्रतिनिधि हों और जिसमें सब लोगों का विकास हो।

जो पुलिस अधिकारियों को व्यापक अधिकार इसमें दिया जा रहा है, ३ और ४ नई धारा को बढ़ाकर उपखन्ड (२) में, ऐसा नहीं होना चाहिये। इस बढ़े हुये अधिकार से हानि होगी, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसा कि बार बार सदन में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का माडल बना कर उस पर हम चलते हैं, तो उसे देखा जाय। चाहे सवा ९९ फीसदी आदमी छूट जावें मगर निर्दोष आदमी सज़ा न पावे। इस तर्क को यदि सरकार मानती है तो इतने व्यापक अधिकार पुलिस अधिकारी को नहीं देने चाहिये। पुलिस अधिकारियों के और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में इतने व्यापक अधिकार देने से अनर्थ होगा। यह जनता के हित में नहीं जायगा। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये भी इतनी शक्ति पुलिस अधिकारियों के हाथ में जाने से कोई फायदा नहीं होगा।

इसमें ५ हजार रुपया जुर्माना करने की बात है। इस जुर्माने से थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वर्डिंग की ग़लती रह गई है क्योंकि ५ हजार रुपया जुर्माना करने की बात जो किसी न किसी मिलमालिक के लिये ही हो सकती है। अगर यह मिलमालिक के लिये हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसे भी अपनी सुरक्षा का साधन देते हुये इतनी बड़ी रक़म रखी जा सकती है। अगर विधेयक में कोई ऐसी धारा बढ़ा दी जाय कि जितना समुचित मुनाफा उनको हो उसे छोड़ कर उनका सारा का सारा ले

[श्री राजनारायण]

लिये जायें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कि जिस रूप में यह धारा रखी गयी है उसमें भी परिवर्तन हो। इस विधेयक में एक भी धारा ऐसी नहीं है जो अपने मूलरूप में रहने लायक हो क्योंकि सब एक दूसरी से सम्बन्ध रखती हैं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज माननीय फतेहसिंह जी राणा ने यह परम्परा तोड़ी है और मैं उनको इसके लिये अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। उनकी ओर से ट्रेजरी बेन्च की ओर से कहा गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने से लाभ होगा। पहले ट्रेजरी बेन्च के सम्मानित सदस्य हमारे प्रस्ताव का विरोध ही करते थे मगर आज फतेहसिंह राणा के आवाज बुलन्द करने पर हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। श्रीमन्, जब आप यहां उपस्थित नहीं थे, मैंने एक-एक धारा की बातों को लेकर यह दिखलाने की कोशिश की थी कि चाहे माननीय काटजू जी या माननीय नौरंगलाल जी बोलें, सब लोगों ने इस विधेयक की एक-एक धारा में संशोधन देने की बातें कहीं। इसके बावजूद भी अन्त में, मालूम नहीं जीभ लड़खड़ा गई, या कैसे ये शब्द निकले, वह कह गये कि वह प्रवर समिति में जाने के विरोधी हैं क्योंकि इसमें देर नहीं होनी चाहिये। इसके लिये भी मैंने माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन में अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया कि १५ दिन के अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में आ जानी चाहिये और जब कि हम लोग ९ तारीख से बैठ रहे हैं तो इस विधेयक पर वादविवाद करके, समुचित रूप में, जनहितकारी रूप में, जिसमें किसान और उपभोक्ता का भला हो, और 'any other purposes' वगैरह के बारे में एक अच्छा विधेयक यहां लावें। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में अवश्य अवश्य भेजा जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के इस प्रस्ताव का कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब बातों को तो दुहराना नहीं चाहता जो सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने कह दी हैं, उनको कह कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि माननीय काटजू साहब, नौरंगलाल साहब और माननीय जगदीश सरण ने इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुये, चाहे वह मुलैसेज की डेफीनीशन हो, चाहे वह बोर्ड बनाने का सवाल हो अथवा पुलिस के अधिकार हों या जुर्माने के कंपाउन्ड करने का अधिकार हो उन सभी बातों के बारे में यह बतलाया कि उनमें संशोधन की आवश्यकता है। माननीय नौरंगलाल जी ने कहा कि यह सभी संशोधन यहां हो सकते हैं इसलिये प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि उन्होंने एक भी संशोधन नहीं दिया है यद्यपि उन्होंने प्रायः सभी धाराओं में संशोधन की बात बतायी। तो इस बात की फिर वे कैसे आशा करते हैं कि सदन में ही इन सब बातों का सुधार हो जायगा। यह बात जरा समझ में नहीं आती।

प्रवर समिति में विचार विनिमय का जरा ज्यादा अवसर रहता है। सरकारी अधिकारीवर्ग भी वहां अपनी राय देते हैं। तो प्रवर समिति में किसी विधेयक पर अच्छी तरह से विचार करके उसको संशोधित करने का अवसर रहता है। सदन में इन सब बातों पर, चाहे भाषण कितने ही हो जायं लेकिन माननीय मंत्री महोदय को भी उन पर पूरे तौर पर राय कायम करने और समझने का अवसर नहीं रहता जितना कि प्रवर समिति में होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो भी खामियां बतायी गयी हैं उन्हें यदि सरकार दुरुस्त करना चाहती है तो इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है।

सब से पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, मुलैसेज के बारे में डेफिनीशन बदल दी गयी है तथा फैक्ट्रीज के बारे में मूल ऐक्ट में दिया हुआ है कि जहां २० से ज्यादा लेबरर काम करते हों और वह पावर से चलती हो और उससे शुगर बनाने का काम लिया जाता हो,

वह फैक्ट्री है। तो अगर पावर से बनाने की बात हटा दी जाती है और २० लेबर वाली बात हटा दी जाती है तो मुलैसेज की डेफीनीशन में सारे प्रदेश में जहां कहीं शुगर बनती है और जहां भी शीरा निकलता है, वह सभी उसमें आ जाते हैं। तो एक बात यही सब से बड़ी है। दूसरी एक और बात जरूरी कही गयी वह मुलैसेज के बारे में है। मूल ऐक्ट में जो मुलैसेज की डेफीनीशन दी गयी है वह इस प्रकार से है:-

"Molasses" means the heavy, dark-coloured residual syrup drained away in the final stage of the manufacture of sugar by vacuum pans or in open pans in sugar factories whether from sugarcane by refining gur when such syrup has a density of not less than 75 of brix and a formentable sugar content (expressed as reducing sugars) of not less than 19 per cent;

अब मौजूदा परिभाषा में उन्होंने यह रख दिया कि or gur when the liquid as such or in any form or admixture contains sugar." तो पहले यह था कि इतनी शुगर रहे तो वह मुलैसेज की परिभाषा में आयेगा और उसको डिफाइन कर के अब यह कह दिया कि जिसमें किसी अंश में भी शुगर है वह सब मुलैसेज है। तो यह वैसे ही हुआ कि कोई दूध की परिभाषा करे और कहे कि दूध एक तरल पदार्थ है, जिसमें दूध है या दूध का अंश है और वह दूध कहलायेगा। तो सेर भर पानी में अगर एक तोला भी दूध है तो वह दूध की परिभाषा में आ जायगा। इसी तरह से जहां मुलैसेज में चीनी का कुछ जरा सा भी भाग आ गया तो वह शीरा मुलैसेज की परिभाषा में आ जायगा और इससे फैक्टरी वालों के लिये यह गुंजायश हो जायगी कि अगर किसी मिल में ५०,००० टन मुलैसेज हो और उसका कंट्रोल कर लिया जाय या उसमें से अगर ४०,००० टन का कंट्रोल कर लिया जाय कि इतना फलां डिसटिलरी को देना है तो फैक्टरी वाले यह करेंगे कि वह ५० हजार टन में से ४० हजार टन अपने इस्तेमाल में ले लेंगे और लाभ उठा लेंगे और बाकी १० हजार टन में पानी मिला कर ४० हजार टन पूरा कर देंगे और वह पानी मिला हुआ शीरा भी जिसमें शीरे का अंश तो रहेगा ही मुलैसेज की परिभाषा में आ जायगा और कोई कानूनन कुछ उनसे कह भी नहीं सकेगा। इसलिये पता नहीं कि वह मुलैसेज की परिभाषा में तरमीम कैसे कर दी गयी है और इस तरह से अगर कोई पानी मिला कर मुलैसेज बेचेगा तो कौन सा अधिकार सरकार के पास रहेगा जो उसको बांध सके और कौन मंत्री महोदय उसको कंट्रोल करेंगे। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह से परिभाषा में तब्दीली किस मन्शा से की गई। इसलिये यह चीज अगर प्रवर समिति में न भी भेजी जाय तो सुधरने की जरूरत है और परिभाषा ठीक होनी चाहिये और अगर वह ठीक न की जाय तो बिल की तो मंशा ही खत्म हो जायगी।

श्री नौरंगलाल जी ने कहा कि अगर यह जल्दी से पास न किया गया तो इससे करोड़ों रुपये का नुक्सान हो जायगा, पता नहीं उन्होंने इसके मूल ऐक्ट को देखा या नहीं, उस की जो ६ से ८ तक धारायें हैं उनमें सारी पावर्स गवर्नमेंट को जो हैं वह सब दी गई हैं, केन के मूवमेंट का मामला, प्राइस फिक्सेशन का मामला, लाइसेन्सेज देने का अधिकार और स्टेट गवर्नमेंट ही परमिट देगी तो कहां से शुगर सीजन में करोड़ों रुपए का नुक्सान हो जायगा, इसलिये उनकी यह दलील कोई मानी नहीं रखती कि बड़ा भारी नुक्सान हो जायगा और मैं समझता हूं कि इसमें अगर थोड़ी देर भी हो जायगी तो उससे कोई बड़ा नुक्सान और न होगा उनका सुधर जाना ही ज्यादा जरूरी है।

इसके अलावा जो परमिट देने की बात कही गयी है मेरे खयाल में अगर परमिट देने वाली बात निकाल दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि परमिट किस काम के लिये किसको दिया जाय, वैसे जिन कामों के लिये जैसे डिसटिलरीज के लिये, पावर अलकोहल के लिये जितनी मिकदार में सरकार लेना चाहेगी ले लेगी लेकिन जो परमिट दिये जाते हैं उनके बारे में पहले काफी शिकायतें सुनने में आ चुकी हैं, यह मेरे पास एक पुस्तिका है, जिस

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

का नाम है "उत्तर प्रदेश में आबकारी, मद्यनिषेध तथा समाज सुधार" इसमें दिया हुआ है कि तमाम मिलों ने ५३–५४ में ४३,१०,२०९ मन शीरे का उत्पादन किया, ५३,५५,२६७ मन शीरा पावर अल्कोहल बनाने वाला तथा अन्य पीने की शराब बनाने वाली डिस्टिलरीज को दिया गया, जिसमें से पावर अल्कोहल की डिस्टिलरियों ने ४६,३१,५७० मन शीरे का उपयोग किया। बचे हुये स्टाक में से ५९,३७० १/२ मन शीरा, शीरे का व्यापार करने वालों को परमिट से दिया गया।" इससे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें ५३–५४ के लिये लिखा है कि ४३,१०,२०९ मन शीरे का उत्पादन हुआ और ५३,५४,२१७ मन का पावर अल्कोहल बना दिया।

श्री अध्यक्ष—उस किताब में लिखा है कि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। आप फिगर्स ग़लत हों तो उन्हें न पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो वह आप की ही ग़लती मानी जायगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं समझता हूं कि इस तरह से जो पुस्तकों में आंकड़े दिये जाते हैं ....

श्री अध्यक्ष—वह छपे भी हों तो भी आप गलत आंकड़े न पढ़ें क्योंकि ४३ में से ५३ कैसे निकाला जा सकता है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह ठीक बात है अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों पर कोई बहस करने में दिक़्क़त जरा होगी। मैं तो आप का ध्यान सिर्फ परमिट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो परमिट्स दिये गये हैं यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसमें जो दुरुपयोग होता है उसको सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। तो परमिट वाली बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में है। मैं माननीय फतेहसिंह जी से सहमत हूं कि हमारे यहां हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देना है और इनके जरिये से करप्शन कम होने की गुंजायश हो सकती है क्योंकि जब खरीदने और बेचने की प्राइस फिक्स हो जायगी तो फिर उतनी दिक्क़त नहीं रह सकती। खरीदने की प्राइस काफी कम है जैसा कि वह जो फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से साढ़े तीन आना मन पड़ता है और बाजार भाव काफी ऊंचा होता है तो इसमें ब्लैक की काफी गुंजायश होती है और जहां ब्लैक की गुंजायश होती है वहां सरकारी कर्मचारियों तक पर थोड़ी शिकायत का मौका मिल जाता है। उनके खिलाफ भी शिकायत पैदा होती है। तो इसलिये ऊंची प्राइस फिक्स करके हम कंट्रोल करें। दूसरे कामों के लिये भी शीरा लें तो उसका ठीक वितरण कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से हो सकता है। तो इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही लाइसेंस दूसरे परपजेज के लिये दिया जाय मैं इस बात में उनका समर्थक हूं। बाकी जो कम्पाउन्ड करने की बात है या जो पुलिस अधिकारी को उस मामले में रफा दफा कर देने का अधिकार देने की बात है मैं समझता हूं इस सदन के जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये सबने उसका विरोध किया। इस तरह की बातें जो कि पुलिस अधिकारी उसकी जांच करता हो जब चाहे उस जांच को खत्म कर सकता है। यह अधिकार पहले इसी विधेयक में देखने में आ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिये। कंट्रोलर को जो कम्पाउन्ड करने का अधिकार दिया गया है उसके लिये मैं माननीय नौरंगलाल जी से सहमत हूं कि स्टेट गवर्नमेंट स्वयं अपने हाथ में कम्पाउन्ड करने के अधिकार ले ले। वैसे मैंने बोर्ड के लिये सजेशन दिया है लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं अपने हाथ में कम्पाउन्ड करने के अधिकार रखे क्योंकि कम्पाउन्ड करने वाले मामले बड़े अहम होते हैं। बड़ी फैक्टरीज होती हैं उनमें उनके जुर्मों के मुताबिक एक साल की सजा तक रखी गयी है तो जिसमें एक साल की सजा और जुर्माना भी हो, जिसमें ५ हजार रुपया लेकर कम्पाउन्ड कर देने की बात करना मुनासिब नहीं है और वह भी तब जब स्टेट गवर्नमेंट को उसका पता तक न चले। मैं समझता हूं कि यह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये

नहीं तो अगर इस तरह से वह अधिकार कंट्रोलर को दिया गया है तो उसमें ज्यादा गुंजायश होगी मामले को कम्पाउन्ड कर देने की। बाकी और जितनी बातें कही गयी हैं उन बातों की तरफ ध्यान दिलाते हुये मैं समझता हूं कि इस विधेयक में संशोधन की काफी गुंजायश है और अगर संशोधन नहीं दिये जाते तो बड़ी खामी इसमें रह जायेंगी। मैं समझता हूं कि इतने और ऐसे संशोधन यहां सदन में हो नहीं सकते, उन पर पूरी तौर से गौर भी नहीं किया जा सकता और उनकी वर्डिंग्ज को भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री जी को उन्हें स्वीकार करने में खुद दिक्कत होगी यद्यपि वह काफी दलीलों से पूर्ण होंगे फिर भी उनको स्वीकार या अस्वीकार करने में उन्हें काफी परेशानी होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक का प्रवर समिति में जाना अत्यावश्यक है जहां पर पूरे तौर पर यह संशोधन विधेयक सुधर कर सदन के सामने आवे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने रक्खा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुलैसेज एक ऐसी चीज है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय की भी जरूरत होती है और अगर्चे हम इसको यहां संशोधन करने के बाद इस पर सोचें तो मैं समझता हूं कि हम लोग इसमें कई जगह गलती कर देंगे। श्रीमन्, जैसा कि पिछला जो मूल अधिनियम है उसमें यह लिखा हुआ है कि मुलैसेज वह है जिसका ७५ फीसदी ब्रिक्स हो और १९ परसेंट शुगर कंटेंट हो। तो इसको यहां से हटाया जा रहा है। बिहार में, श्रीमन्, जो ऐक्ट बना हुआ है मुलैसेज के बारे में उसमें ब्रिक्स वाली चीज नहीं रक्खी थी और उनको कोई दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने अमेंडमेंट किया और उन्होंने ८० परसेंट ब्रिक्स रक्खा और ३७ रिड्यूसिंग शुगर रक्खा। श्रीमन्, यह ब्रिक्स वाला सवाल है वह ऐसा है कि इस पर जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जायगी और जब तक प्रवर समिति के सामने इसे भेज कर वहां एक्सपर्ट्स को बुला कर उनसे राय ले कर ठीक-ठीक परिभाषा नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि बड़ी भारी खामी इस कानून में रह जायगी। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि ब्रिक्स वह चीज है जो सालिड सब्स्टेंस होता है किसी घोल में शुगर के उसका जो परसेंटेज है वह ब्रिक्स कहा जाता है यानी पानी के साथ उसका जो परसेंटेज है वही ब्रिक्स कहा जाता है। श्रीमन्, पहले ऐक्ट के मुताबिक जो दिक्कत हुई वह यह कि मुलैसेज की परिभाषा से बचने के लिये मिलमालिक अगर मुलैसेज में पानी मिला कर उसका ब्रिक्स ७५ से नीचे कर दें तो मैं समझता हूं कि सरकार उसको मुलैसेज की परिभाषा में किसी तरह से नहीं ले सकती वहां श्रीमन्, यह खतरा है। एक खतरा और है कि ७५ जब हम नहीं रखते। जो मुलैसेज होगा उसमें पानी मिला देंगे और कहा यह जायगा कि यह भी मुलैसेज है और दाम फिक्स हैं और इस प्रकार वह सरकार से दाम भी ले लेगा। इसलिये इसकी परिभाषा के लिये यह जरूरी है कि हम इसको प्रवर समिति में ले जायं और वहां टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलायें और बुला कर मुलैसेज की जो परिभाषा है उस को ठीक कराने की कोशिश करें। अगर हम इसको ठीक नहीं करायेंगे तो जैसा कि मैंने खतरा बताया, अगर आप ७५ ब्रिक्स रखते हैं तब भी खतरा है और नहीं रखते हैं तब भी खतरा है। खाली कानूनी राय से, जो लोग कानून वगैरह बनाते हैं वह कानून के पंडित हो सकते हैं लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं उनके पंडित नहीं हो सकते। उनको कोई दिक्कत महसूस हुई उन्होंने उसको निकाल कर दूसरा रख दिया। बिहार में दिक्कत महसूस हुई, उन्होंने ब्रिक्स उठा कर घुसेड़ दिया। तो यह जरूरी है कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी में ले जायं। मुलैसेज की परिभाषा बहुत टेक्निकल चीज है एक चीज और है श्रीमन्, जो संशोधन सरकार ने किया है (सी) में, मुलैसेज के बारे में, उसमें यह लिखा हुआ है—

"Mollasses" means the heavy, dark coloured viscous liquid produced in the final stage of manufacture of sugar by vacuum or open pan, from sugarcane or gur when the liquid as such or in any form or admixture contains sugar;

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

तो यह इसमें भी लिखा है, श्रीमन्। एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब यह कि मुलैसेज वह चीज है जो हैवी डार्क कलर्ड विसकुअस लिक्विड हो यह चीज मुलैसेज है और यह कब निकलता है जब कि शुगर फाइनल स्टेज में पैदा होता है। उस वक्त जो इस किस्म का पदार्थ निकलता है वह मुलैसेज है। मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि फाइनल स्टेज में मुलैसेज निकलता है वह कतई वह मुलैसेज नहीं है जिसको कि माननीय मंत्री जी रखना चाहते हैं। उस मुलैसेज को प्योरिटी करीब-करीब ६०–७० के बीच में होती है। प्योरिटी के मानी यह होते हैं कि वह चीज है जो सालिड सब्स्टैंस है उसमें कितना शुक्रोज कंटेण्ट है, इसको प्योरिटी कहते हैं। और वह जो मुलैसेज निकलता है वह फिर पैन में ब्वायलिंग के लिए जाता है। उसके बाद दूसरे नम्बर की चीनी निकलती है, और दूसरे नम्बर की चीनी से जो फिर मुलैसेज निकलता है वह फिर पैन में ब्वायलिंग के लिये जाता है। तब तीसरे नम्बर की चीनी निकलती है उससे जो मुलैसेज निकलता है वह मुलैसेस वही मुलैसेस है जो डिस्टिलरीज में भेजा जाता है अगर फाइनल स्टेज में आप बिल में रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। आप कह दें कि हैवी, डार्क, कलर्ड विस्कुअस लिक्विड वही है जो उस चीनी से निकलता है जो कि बाजार में बिक रही है तब तो चीनी मिलों का दिवाला पिट जायगा क्योंकि उससे फिर चीनी बनाते हैं उससे फिर तीन नम्बर की चीनी निकलती है। मैं इसलिये कहता हूं कि यह ऐसी चीज है जिस पर टेकनिकल एक्सपर्ट की राय की जरूरत है और उसके लिये माननीय मंत्री जी को जरूर सेलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहिये। नहीं तो इस परिभाषा के मुताबिक मिल मालिकों को भी छूट मिल सकती है और अफसरों को भी छूट मिल सकती है कि वह जिस तरह से चाहें इस परिभाषा के अनुसार गड़बड़ कर दें। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा करने के लिये टेकनिकल एक्सपर्ट को आप सेलेक्ट कमेटी में बुलायें और उनकी राय के अनुसार तब आप बनाएं। खाली कानूनी लोगों के बनाने से मोलैसेज की परिभाषा ठीक-ठीक बैठ नहीं सकती। दूसरी चीज श्रीमन्, बोर्ड की बाबत काफी कहा गया। मैं उसको दोहरा कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बोर्ड के बारे में जो उसका चेयरमैन होगा उसके बारे में यह कहा कि वह कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर एक्साइज कमिश्नर को बना दिया जाता है। अगर माननीय मंत्री जी कंट्रोलर उसको बनाएं जो कि टेकनोलाजिकल इंस्टीट्यूट का हेड है तो सरकार को भी सहूलियत होगी; मिल मालिक किसी क़िस्म की गड़बड़ी नहीं कर पायेंगे और वह इस लिये कि जितनी भी शुगर फैक्ट्री की रिपोर्ट बनती है, कितना मुलैसेज पैदा हुआ, कितना मुलैसेज का शुगर कंटेंट है, कितनी ब्रिक्स है, कितनी चीनी है, कितनी परसेंटेज है ये सारी चीजें, सारे रिटर्न हफ्तेवार टेक्नालिजिकल इंस्टीट्यूट के पास कम्पलसरी तौर से भेजे जाते हैं और उनके पास सारे रिकार्ड रहते हैं और वह एक्सपर्ट हैं और सारी जानकारी उनको होती है। अगर मुलैसेज की कोई चोरी करना चाहता है तो वह अपने रिकार्ड से पकड़ सकता है। उसको यह काम सौंपने से सरकार को सहूलियत हो जायगी और अगर चीनी मिल वाले गड़बड़ी करना चाहेंगे तो वह पकड़ी जायगी। लेकिन अगर आई० ए० एस० वगैरह के लोग भेजे जायं तो वह समझ नहीं पायेंगे कि मुलैसेज क्या है, कितना गन्ना पेरा गया और कितना मुलैसेज निकलेगा। इसलिये यह जरूरी है कि यहां पर आप कंट्रोलर के बजाय जो शुगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट मौजूद है उसको रखें ताकि वह हर एक चीज से पूरी जानकारी रखते हुए गड़बड़ी न होने दे।

इसलिये इन सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिये यह जरूरी है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डालते हुये यह तो माना कि गड़बड़ी है लेकिन यही कहा कि यहीं दुरुस्त हो जायगा, सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये। गड़बड़ी सब ने बता दी और यह कहा कि नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि बिना सेलेक्ट कमेटी में गये यह बिल ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट ओपीनियन की जरूरत है, इसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है और सेलेक्ट कमेटी में अगर चले जायंगा तो हम इसको ठीक कर सकेंगे।

यहां जो बोर्ड के कांस्टोट्यूशन के सवाल में कि बोर्ड कैसे बनेगा उस सिलसिले में लिखा गया है कि १० आदमियों की.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि खंडों के ऊपर काफी बात हो गयी। जब आप इस अमेंडमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि प्रवर समिति के पास भेजनी चाहिये तो आप सिद्धान्त सिर्फ ले लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं सिद्धान्त की बात कह रहा हूं कि जो बोर्ड बनेगा उसमें इस सिद्धान्त को सरकार को सामने रखना चाहिये कि खाली शुगर फैक्टरियां डिस्टिलरी के आदमी को न रखें, उसमें लेबर का भी आदमी होना चाहिये। क्योंकि शुगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के बाद लेबर ही एक ऐसा.....

श्री शिवनारायण—एक्सपर्ट है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—एक्सपर्ट तो हैं ही। नहीं होगा तो कैसे चीनी बनायेगा ? शिवनारायण जो इतना भी नहीं समझते हैं। लेबर का नुमाइंदा भी जरूरी है वहां रखना, वह जानता है कि क्या-क्या इन्स एंड आउट्स हैं, कैसे मिल में घपलेबाजी मिल मालिक करते हैं, इस चीज से भी वाकिफ रहता है। तो उसको रखने से काफी अच्छाई होगी।

दूसरी चीज माननीय राणा साहब ने कही, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं श्रीमन्। उन्होंने कहा कि मुलैसेज की सेल कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में कोआपरेटिव तरक्की करे, सिद्धान्त-रूप में यह ठीक है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोआपरेटिव इस वक्त बहुत बदनाम है। मैं यह नहीं कहता कि प्रान्त भर में बदनाम है, लेकिन ज्यादा जगह बदनाम है और अगर उसको मुलैसेज का भी छुआछूत लग गया तो सारा कोआपरेटिव का मूवमेंट चौपट हो जायगा। क्योंकि यह एक ऐसी चीज है कि इससे कोआपरेटिव से छुआछुत न लगे। कोआपरेटिव बिलकुल अलग रहे। जिन लोगों ने भी इसको डील किया मैं नहीं कहता कि उन्होंने चोरी किया या नहीं किया लेकिन वह सब बदनाम हुए चाहे वह एक्साइज कमिश्नर हों, या जिस किसी ने भी किया। अब मैंने तो देखा नहीं इसलिये मैं कह नहीं सकता लेकिन बदनामी इतनी हुई, इतना हल्ला इस प्रान्त में और बिहार में सभी जगह मचा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसलिये मैं नहीं चाहता कि कोआपरेटिव से इसकी कोई छुआछूत हो। हां, अगर सरकार चाहती है कि उचित रेट पर बिके तो उसके लिये वह एक कमेटी बनाये और उस कमेटी की राय से यह चीज बिके। उसमें एक मिलमालिकों का रिप्रेजेंटेटिव रख दीजिये, एक कोआपरेटिव का भी रख दीजिये, एक लेबर का रखिये और एक सरकारी नुमाइन्दा भी रख दीजिये। वह उसके सेल को देखे कि इसका सेल उचित मूल्य पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह चीज वह देखें। लेबर को मैं चाहता हूं कि मुलैसेज जो सरकार रेट फिक्स करती है अगर उसके ऊपर के दाम पर बिका है तो उसके लिये क्वार्टर बनने वाला है। तो जब उसका भी हिस्सा है और उसके फायदे की चीज भी उस मुलैसेज के दाम से होती है तो उसको भी इसमें जरूर होना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अफसर जो होगा वह जाकर के किसी कंटेनर या और चीजों में अगर मुलैसेज रखा हो और वहां पर कोई गड़बड़ या गैरकानूनी चीज होती हो तो उसको जब्त कर लेगा तो कंटेनर में और इन बक्सों में ही खाली मुलैसेज नहीं रखा जाता, ज्यादातर मुलैसेज गड्ढों में रखा जाता है। उसका भी इसमें जिक्र होना चाहिये था। अगर गड्ढों में रख कर के करता है तब तो आब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो उसका भी जिक्र इसमें आना चाहिये। बहुत सी फैक्ट्रीज इसको खत्तियों में रखती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका भी जिक्र आना चाहिये। रही जैसे कम्पाउन्ड वाली चीज है यह भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बहुत से माननीय सदस्य चाहते हैं कि कम्पाउन्ड का अख्तियार नहीं रहना चाहिये। हां, उसमें एक दिक्कत भी है। श्रीमन्, कम्पाउन्ड वाली चीज ऐसी है कि अगर किसी मिल मालिक ने एक हजार मन का शीरा बेचा और उसको उसने दस

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

हजार ऊंचे भाव पर बेचा या बीस हजार ऊंचे भाव पर बेंचा और जब वह पकड़ा गया तो वह गया उनके यहां क्योंकि वह पकड़ा जायगा तो उसका शीरा भी जब्त होगा और सजा होगी छः महीने की। तो २० हजार का शीरा है, चलो ५ हजार देकर निबुक चलो। तो ५ हजार देकर कंपाउन्ड करा लेगा। सजा से भी बच जायगा और जो उसका मुलैसेज जब्त होगा वह भी छूट जायगा। तो इससे तो रोकथाम हो नहीं सकती। कम्पाउन्ड के बारे में भी कई रायें हैं। कानूनों में भी कई किस्म के कम्पाउंड हैं। यहां रुपये का दिया हुआ है। म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसा कम्पाउन्ड दिया हुआ है कि अगर कोई चुंगी की चोरी करता है तो जितनी चुंगी की चोरी करता है उससे दस गुना तक उससे कम्पाउन्ड कर के लिया जा सकता है। तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि जितने का उसने गड़बड़ किया उसका दस गुना दाम तक उससे लिया जाय। एक यह भी हो सकता है। तो यह चीज तो बहुत सोच विचार करने की है और इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना जरूरी है। दो एक चीजें और भी ऐसी ही हैं। मैं नहीं समझता कि वह क्यों रखी गई हैं। यह सिद्धांत गलत मालूम होता है कि किसी काम के लिये आप कुछ रेट रखें और किसी दूसरे काम के लिये दूसरा रेट रखें। यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं मालूम होती है। यह तो कोई सिद्धान्त नहीं है। एक ही चीज अगर एक काम के लिये ली जाय तो एक रेट और दूसरे काम के लिये ली जाय तो दूसरा रेट। सिद्धान्तन यह चीज गलत मालूम होती है। हां, यह ठीक है कि सरकार जो मुलैसेज डिस्टिलरी के लिये रिजर्व करा कर उनको बेचना चाहती है उनका दाम तय करे लेकिन अगर और का दाम दूसरा तय करे यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। हां, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक तीन चार आदमियों का बोर्ड बनाइये जो उस वक्त मुलैसेज का ठीक ठीक रेट होगा, उस रेट पर वह बिकेगा। और उसमें सरकार एक परसेन्टेज तय कर दे कि इतने परसेन्ट तो मिल को जायगा और इतने परसेन्ट मजदूरों के मकान वग़ैरह बनाने में जायगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि इस सदन में इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और अगर अब और बोला जाय तो दोहराना होगा और दोहराने से सदन का समय नष्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो गड़बड़ियां मैंने बतायीं उनको हाउस में हम ठीक नहीं कर पायेंगे और सेलेक्ट कमेटी इसीलिये होती है कि वहां हम लोग आपस में डिस्कशन कर लें और अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो उसकी राय ले लें। इस सदन में तो सिवाय एडवोकेट जनरल के और किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दोनों तरफ से खतरनाक हैं, दोधारू तलवार हैं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय, स्वीकार कर लें।

श्री शिवनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल शाम से इस बिल के ऊपर इस हाउस में डिस्कशन सुन रहा हूं और जितने माननीय सदस्य बोले, चाहे वे ट्रेजरी बेन्चेज के हों चाहे अपोजीशन के हों किसी ने इसका कोई क्लाज छोड़ा नहीं। इस बिल में मुख्य केवल तीन चीजें हैं, डेफिनीशन, "अदर परपजेज" और कंट्रोल बोर्ड। इन तीनों चीजों पर श्रीमन्, १५ मिनट से बेशी नहीं लगेंगे। सेलेक्ट कमेटी की बाबत मैं कहना चाहता हूं कि जितना डिस्कशन वहां होता है उसके बाद इस सदन में जब बिल आता है तो वही मेम्बर्स यहां भी उतना ही डिस्कशन करते हैं। मैं पूर्णरूप से इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का समर्थन करने को तैयार हूं अगर वे माननीय सदस्य यह आश्वासन दें कि फिर बाद में वे हाउस में नहीं बोलेंगे। अनुभव यह है कि हर बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने को कहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

बहुत से सदस्यों ने कहा कि सरकार "अदर परपजेज" क्यों रखना चाहती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम अपने देश में राष्ट्रीयता को मजबूत करना चाहते हैं और

शराबबन्दी करने की फ़िक्र में हैं। शराब की ज्यादा सप्लाई मुलैसेज से होती है लेकिन अब मुलैसेज से हम दूसरी चीजें बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार संकीर्ण विचार ले कर नहीं चलती है, वह ब्राड माइन्डेड है और इसीलिये उसमें इसने 'अदर परपजेज' रखा है। हमारे देश ने यह तय किया है कि जिन चीजों से ऐब उत्पन्न होता है उनको दूर करेंगे। सरकार का विचार है कि मुलैसेज से यीस्ट बनायेंगे। एक क़िस्म की गोलियां बनेंगी जैसे कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि एक एक टैबलट हम और शिवनारायण जी खा लेंगे तो दो अंडों की ताक़त आ जायगी। तो शराब से हट कर अब लोग इधर आ रहे हैं। मैं माननीय मौर्य जी को बताना चाहता हूं कि आज साइन्टिफ़िक युग है, ऐटमिक एज है जिसमें दुनिया की एक एक चीज बदलने जा रही है। आज ग्रो मोर फूड की समस्या हमारे सामने है, उसको सरकार हल करना चाहती है। इस मुलैसेज से जो ऊजड़ खंड है, रेगिस्तान है उसको बसाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है, अच्छी खाद उत्पन्न हो सकती है, जिसके जरिये से लाखों मन अन्न उत्पन्न हो सकता है और हम अपने यहां अच्छी पैदावार कर सकते हैं, रूई पैदा कर सकेंगे, गन्ना पैदा कर सकेंगे और शकर पैदा कर सकेंगे और उसको हम बाहर के मुल्कों को भेज सकेंगे। आज जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वह हमारे ऊपर नजर लगाये हुये हैं कि उनको हिन्दुस्तान से शकर मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। यह चीजें हमारे सामने हैं। गवर्नमेंट सो नहीं रही है। आनरेबिल मेम्बर्स मेरी बात को ठंडे दिल से सुनें।

उन लोगों ने कहा कि इस विभाग में बड़ा भारी करप्शन है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सरकार कंट्रोल न करे। सरकार ने एक फारमूला ऐक्वायर किया।

"The State Government shall pay therefor the price which shall b 42/23 multiplied by X."

मान्यवर, ऐक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद साढ़े तीन आने का हिसाब बैठता है लेकिन मेरे दोस्तों ने बतलाया है कि ढाई आने ही पड़ता है। यह गन्ने के दाम का सातवां हिस्सा है। जब कभी कीमत घटे या बढ़ेगी तो सरकार इसी को काम में लायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें लोग कौन सा अन्तर करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह उचित व्यवस्था है, अनुचित नहीं है और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डेफीनीशन के सिलसिले में कहा गया है कि :—

"Manufacture of sugar by vacuum or open pan."

अध्यक्ष महोदय, इसमें और शब्द हैं। मैंने फारेन मुल्कों में भी देखा है कि कड़ाही को खुला रखते हैं, गांवों में भी खुला रखते हैं और फैक्टरीज में वैकूम में बनती है। सरकार ने तय कर दिया है कि चाहे वह वैकूम पैन में बनायें या ओपिन पैन में बनायें तो इसमें पेचीदगी कहां है? इसमें साफ कहा गया है कि कोई लिक्विड जिसमें ५ परसेन्ट से लेकर ७५ परसेंट तक शुगर हो, उसको मुलैसेज माना गया है। यह बिलकुल साफ़ लिखा हुआ है इसमें कोई रुकावट नहीं है। अनलिमिटेड कर दिया है चाहे ५ प्रतिशत हो या ७५ प्रतिशत हो वह मुलैसेज समझा जायगा। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि वे ठंडे दिल से सोचें, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

इसके बाद बोर्ड की बात कही गयी तो गवर्नमेंट अपने हाथ में ताकत जरूर रखेगी। जब कंट्रोल करेगी तो नियंत्रण के लिये ऐक्साइज कमिश्नर या कोई स्पेशेलाइज्ड आदमी जरूर रखेगी .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपने भी खंडों पर व्योरे से बात करना शुरू कर दिया।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने लिखा है कि जो मुलैसेज पैदा करता है या खरीदता है उनको मिला कर बोर्ड बने। जब गन्ना बिक गया तो उसके मालिक मिल मालिक हो गये। फिर चाहे उसकी शराब बनायी जाय या कुछ और

[श्री शिवनारायण]

काम करें। दोनों का हिस्सा होता है और यह दोनों बोर्ड में रह सकते हैं इन दोनों को गवर्नमेंट ने मौक़ा दिया है। मैं नहीं समझता कि मजदूरों को रखने का कौन प्रश्न इसमें उपस्थित होता है। मजदूरों की यूनियन बनी हुई है। हर मामलों में उनको रखने को कोई जरूरत मैं नहीं समझता।

दूसरी बात कही गयी कि पुलिस के जो अधिकार हैं वह अधिक हैं। पुलिस ही हमको पकड़ सकती है, अपराध करने वाले को। कानून हम बनाते हैं लेकिन एक्जीक्यूट वह लोग करते हैं। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी, मौर्य जी या मैं अपराध करने वालों को बंद नहीं कर सकते। थानेदार या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ही उसको पकड़ेगा, कलेक्टर उसको सजा देगा, फांसी की सजा देगा। यह डिवीजन आफ वर्क है। अगर दोनों पावर एक ही को मिल जाय तो पता नहीं क्या हो जाय। कल मैं यही पावर पा कर अपने भतीजे को कलेक्टर बना दूंगा और भाई को जहां चाहूंगा बिठा दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह केन्द्रीयकरण नहीं है बल्कि सरकार उसको हर जगह ढीला किये हुए है। डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली चल रही है। उसमें कोई अंधकार नहीं बढ़ रहा है न कोई रुकावट पड़ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां कहा गया कि १५ रुपये मन यह शीरा बिका है। सरकार ने चार आने, तीन आने और साढ़े तीन आने के हिसाब से बेचा है पिछले वर्षों में। बाजारों में.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सब का जवाब देने के लिये नहीं खड़े हुये हैं। कोई सिद्धान्त की बात हो तो उसके विषय में कहें। जो जो जिसने जिसने कहा हर एक का जवाब आप देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि यह बात नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवनारायण---यह जो बिल हमारे सामने है वह उचित है और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। अगर हमारे मित्रों को कोई एतराज है तो इस पर कुछ ज्यादा समय बैठ कर ज्यादा आसानी से उसे तय कर सकते हैं। चार मेम्बर न बोल कर इस पर १० मेम्बर बोल सकते हैं और मैं कहूंगा कि इसमें कोई ज्यादा विशेष काम नहीं है। लेकिन एक बात राना साहब ने कही कि इसको कोआपरेटिव बेसिस पर बेचा जाय। यह एक चीज समझ में आने वाली है। आज हम देश में कोआपरेटिव को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें छोटे बड़े सब उसके हिस्सेदार हो सकें और तभी मैं समझता हूं कि जो ब्लैक मार्केटिंग और बीच की दलाली है वह रुक पायेगी। इसलिये कि हर एक मेम्बर उसका हिस्सेदार होगा। जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि यह डेमाक्रेसी का प्रश्न है, मजदूरों का प्रश्न है, वर्कर्स का प्रश्न है, तो हर एक आदमी उसमें मेम्बर हो सकता है १० रुपया देकर और मुलैसेज को सही मानों में प्रयोग कर सकता है। इसका लाभ समाज को इस प्रकार मिल सकता है। समाज उस लाभ से, इस सुझाव को अपनाने से, वंचित नहीं हो सकता। यह सीधी सादी सी बात है और इसलिये राना जी की जो यह राय है, मैं समझता हूं कि इसे मान लेना चाहिये।

इसके बाद मान्यवर, मैं यहां पर जरूर डिफर करूंगा कि शराब वालों को मुलैसेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसके अलावा इससे खाद बनाई जाय, दवाइयां बनायी जायं। क्योंकि शराब वह चीज है जो कि हमारे समाज को कलंकित करती है। हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं वह भी शाम को शराब पीते हैं, कपड़ा धोने वाले भी शराब पीते हैं और जिनके पास ज्यादा पैसा है, वह भी शराब पीते हैं। हमारे काटजू साहब ने रेक्वेस्ट की कि ९ रुपये वाली शराब न बिके। मैं उनसे पूछना चाहता था, हालांकि इस समय वह हाउस में नहीं हैं, कि इस ९, १० रुपये का क्या दाम है? सरकार अब इस शराब को सलाम करे। इसकी दवाइयां बनें और जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसकी टिकियां बनें जिनके खाने से

दो अंडे के बराबर ताकत आये वह एक आने की बिके तो ज्यादा अच्छा है। इससे सारे समाज का लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय सदस्यों से कहता हूं कि कल का ही दिन हमारे पास है, शायद कल या परसों यह सदन उठने वाला है, तो कल अगर इस पर डिस्कशन होकर इसको पास कर लें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने से कोई फायदा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सेलेक्ट कमेटी के दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—आज का यह विषय अत्यन्त आवश्यक है और इस सम्बन्ध में जैसा कि शीरे के बारे में जो यह हमारे सामने बातें चल रही हैं तो गन्ने के और भी बहुत से अंग हैं जिनका वर्णन जब तक इसके साथ में न किया जाय तो इसकी अहमियत हमको कुछ कम मालूम हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कृषकों के लिये जिससे जिन्स अधिक पैदा हो सके और उनका लाभ होता रहे यह भी ध्यान में रखेंगे कि उनके खाद का भी हम प्रबन्ध करें। अनेक बातें गन्ने के सम्बन्ध में ऐसी हैं कि इसका ध्यान न रखने से उनकी पैदावार में अत्यन्त कमी होती चली जायगी। जिस स्थान पर शुगर फैक्टरी हैं उन शुगर फैक्टरीज में कई चीजें हैं। एक तो मैली है जिसको आमतौर पर मल्ली कहते हैं। दूसरे गन्दा पानी है और तीसरा यह शीरा है यह तीन चीजें जो खेती में खाद के काम में आ सकती हैं। इससे बड़ा भारी लाभ हो सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जहां पर मैली इकट्ठी की जाती है, किसी भी शुगर फैक्ट्री के पास वह बिकती भी है, क्योंकि वह ईंधन के काम में भी आती है। ईंधन के काम में लाने के बजाय इसको खेती में खाद के काम में लाया जाय तो उत्तम है। मैं समझता हूं कि जितने रासायनिक खाद हैं उनसे यह कहीं अधिक अच्छा और सस्ता है। यह देखा जाता है कि गन्दा पानी जो शुगर फैक्टरी का है वह अगर किसी खेत में चला जाता है तो उस वर्ष खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह जरूर है कि उस खेत में पानी अधिक चाहिये जहां सरकार पानी देने का प्रबन्ध अच्छा कर दे ट्यूबवेल से या नहर से वहां इस खाद को दे और मैले पानी का प्रयोग करे। यह खेत के लिये अत्यन्त लाभदायक चीज है। इससे सिद्ध हुआ कि गन्ने का अंग ही यह गन्दा पानी है और दूसरे रासायनिक वस्तुयें भी इसमें मिलती रहती हैं। उस स्थान पर जहां पर यह पानी पहुंच जाता है अत्यन्त अधिक उपज हो जाती है। उसके साथ साथ यह जो मल्ली है यह भी खाद के काम में आती है। तीसरी चीज शीरा है। शीरे की यह जो कीमत साढ़े तीन आने प्रति मन रखी गयी है मैं इसको बहुत उचित समझता हूं। शीरे का जो जिक्र आया कि उससे शराब भी बनती है और उसके लिये दिया जाय। मैं समझता हूं जब हमारे प्रदेश में एक बर्ष के बाद यह चीज दूर होने वाली है तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि शीरे से शराब बनाई जाय, बल्कि शीरे को सबसे पहले खाद बनाने के लिये अवसर देना चहिये। इसके खाद से प्रदेश का बहुत ही लाभ हो सकता है इससे हमारी खेती बढ़ सकती है। इस खाद के अतिरिक्त जैसे अल्कोहल है, दवाई है वह चीजें इस शीरे से बन सकती हैं। परन्तु शराब बनाने के लिये मैं सहमत नहीं हूं और न हमारे प्रदेश में इसके बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि, अब रहा, मिलों के सम्बन्ध में कि जहां पर मिलों में शीरा बनता है उसके अलावा खंडसारी का काम भी देहातों में गरीब आदमी २,४ मिलकर करते हैं। मेरे मित्रों ने इसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं और इसके सम्बन्ध में कुछ भ्रम भी है। मैं उसको स्पष्ट कर दूं। खंडसारी का तात्पर्य क्या है और जो शुगर फैक्टरी हैं उनका क्या तात्पर्य है मैं इस सम्बन्ध में इतना समझता हूं कि शुगर फैक्ट्री वह है जिसमें मशीनरी हो और जिसका मालिक एक सरमायेदार हो, भाप या बिजली से चले, २० आदमियों से अधिक काम करते हों।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। मुझे दो ऐक सूचना देकर आज का कार्य समाप्त करना है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नामावली

श्री अध्यक्ष—यह चेयरमैन, विधान परिषद, की तरफ़ से आया है। यहां से उत्तर प्रदेश बिक्री कर विधेयक के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाय। उसके सम्बन्ध में जो उनका प्रस्ताव हुआ है वह आया है।

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। विधान परिषद् ने अपनी उस दिन की बैठक में उपर्युक्त संयुक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :—

श्री प्रेमचन्द शर्मा, श्री वन्शीधर शुक्ल, श्री बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री पन्नालाल गुप्त, श्री शिवसुमरनलाल जौहरी, श्री कृष्णचन्द्र जोशी, कुंवर गुरुनारायण, श्री शिवप्रसाद सिन्हा।"

अब मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन का भी यह कार्य होगा कि अपने सदस्य चुने। कल इसके लिये प्राथमिकता रहेगी।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरी बात यह है कि मेरे पास सरकार की ओर से यह सूचना आई है, उन्होंने प्रार्थना की है कि मुलैसेज के विधेयक के बाद ६ नम्बरवाला उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाइज़ विधेयक ले लिया जाय, तुरन्त उसके बाद। मैं समझता हूं कि शायद यह कल नहीं आ सकेगा अगर मुलैसेज वाला चलता रहा। लेकिन मैंने सूचना इसलिये दे दी कि यदि कल बीच में ही ऐसा मालूम हुआ कि गेंदा सिंह जी का संशोधन स्वीकृत हो गया तो मुलैसेज का विधेयक ख़त्म होने के बाद ही कौन सा विधेयक आवेगा, यह सूचना दे दूं। उसके बाद यह आवेगा। तो कल के कार्यक्रम में उसका नम्बर मुलैसेज के बाद रहेगा। यह पहले से मैं सूचना दिये देता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—एजेन्डा में जो बदलाव हुआ है तो अगर यह कल किसी तरह से आवेगा तो कल ही हमारे संशोधन ले लिये जावें।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को भी आपत्ति नहीं होगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ दिसम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

बनस्पति तेल में रंग मिलाने के सुझाव देने वालों की सूची

प्रस्तावित रंग	नाम
1. Red Sandal Wood	श्री ब्रज बल्लभ, डा० सोमनाथ कंकल ।
2. Patang-ki-lakri (Bazillian wood)	डा० सोमनाथ कंकल ।
3. Kusum (Safflower)	श्री एफ० ए० क्रोमनी, श्री रामधर तिवारी ।
4. Teshu	श्री बोरबल, राम स्वरूप, श्री मोतीलाल अग्रवाल, वनस्पति संशोधक, श्री हरीराम धानुक, श्री ठाकुर प्रसाद ।
5. Har Sringar	श्री एन० हक, श्री एस० एम० दयाल ।
6. Saffron	डा० पी० एन० दीवान, डा० एन० जी० सिद्धान्ता, श्री शाह कनबीर जी, डा० जी० बी० शर्मा, श्री रामदास शाहू ।
7. Mangista	डा० पी० एन० दीवान, डा० सोमनाथ कंकल, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री ब्रज भूषण मिश्र ।
8. Haldi (Turmeric)	पं० जै वल्लभ मिश्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, श्री ओंकार नाथ सेठ, मोहम्मद सहुन अली खान, श्री ब्रजवल्लभ, श्री पी० सी० अग्रवाल, श्री बीरबल, राम स्वरूप, श्री जगन्नाथ सूरी, श्री राम स्वरूप वैद्य, श्रीमती हर देवी, डा० रामशरन दास एन्ड संस, श्री बनारसी लाल वैश्य, डा० सोम नाथ कंकल, कुमारी शौभाग्यवती, श्री प्रेम राज, श्री पी० बी० क्लीटस, श्री के० पी० एस० नादर, श्री बी० के० मुकर्जी, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अनन्त बाल कृष्ण, श्री सुजान सिंह, श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, श्री राम प्रकाश शैनी, श्री गंगा प्रसाद, श्री ब्रह्मस्वरूप, श्री बी० के० महेश्वरी, श्री गो० व्यास, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्री लोक राम मास्टर, श्री बाबू लाल गर्ग, स्वामी इन्द्र नन्दन आयुर्वेदाचार्य, श्री ब्रजबिहारी लाला, श्री राधेश्याम पाठक, श्री जे० बी० लाल ऐन्ड श्री एस० एन० कपूर, श्री पदम चन्द्र जैन, श्री राम कृष्ण शुक्ल, श्री प्रताप चन्द्र अग्रवाल, श्री मदन गोपाल, श्री ब्रजभूषण मिश्र, डा० एस० डी० प्रानचया, श्रीमती हुसनई फातमा ।
9. Annatto ..	श्री आर० एस० शंकरयार, श्री जी० आर० कृष्णस्वामी, श्री आर० बी० भट, श्री कारलीपोवा वीर ।
10. Prickly Pear ..	सिस्टर मिशेज ए० एम० ई० ओ० हेर्न ।
11. Nashpal ..	श्री बोरबल, राम स्वरूप ।
12. Ripe fruits of Indian Spinahc (Puin)	श्री बलबन्त राय भट ।
13. Nutmeg ..	डा० एस० सी० भटनागर ।

प्रस्तावित रंग		नाम
14.	Ratan Jot (Alkanet)	श्री बृज विहारी लाल टंडन, श्री गोविन्द शरण सिंह, श्री बांके बिहारी लाल, श्री मती सोनी देवी वैद्य, श्री ओंकार नाथ सेठ, श्री मुन्सी राम, श्री वैद्य विश्व नाथ प्रसाद, श्री ब्रज वल्लभ, डा० रामसरन दास, डा० सोम नाथ कंकल, श्री जसवन्त सिंह, श्री अरैत्ती मनी के० उप्पाजी, वैद्यराज पं० राम नारायण, श्री नवातम लाल शास्त्री, श्री प्रेम मोहन डे, श्री राम स्वरूप अग्रवाल, श्रीमती एस० जगदीश, श्री बी० के० मोहता, श्री सुजान सिंह, श्री जे० एम० शर्मा, श्री रतन लाल गुप्त, श्री योगेन्द्र दत्त, श्री हकीम केशव राम जी, श्री महेन्द्र कुमार, डा० बी० एल० संघई, श्री चन्द्र मोहन शुक्ल, श्री हकीम एस० मेहदी, श्रीमती सरोजनी देवी, श्री एच० एस० गुप्त, श्री भवानी प्रसाद गोयल, दी० बुहवाल सुगर मिल, श्री अवध बिहारी शरण, श्री बद्री प्रसाद, डा० हीरा लाल मगन, श्री बेनी प्रसाद श्रीवास्तव, श्री अमर नाथ जोशी, श्री वैद्यभद्रा सेन गर्ग, श्री योगी राज, श्री वैद्य आनन्द वल्लभ शास्त्री, श्री अमर नाथ टंडन, श्री राजेन्द्र नाथ माथुर, शारिब मेडिसिन सप्लाई कं० लखनऊ, डा० आई० एल० भाटिया, डा० जे० बी० लाल, आयुर्वेद सर्व हितैषी औषधालय, श्री पदम चन्द्र जैन, श्री सिया राम, राम जीवल डाडारा, द० सेक्रेटरी खाद्य सुधारक, श्री एस० एम० दयाल, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री व्रज भूषण मिश्र, श्री राम शरन लाल जैन, श्री भगवती प्रसाद गोयल, श्री हर बन्स लाल, श्री अजीज अहमद खान, द० प्राग्रसिव हकीम आफ इन्डिया, लखनऊ, राम चन्द्र गुप्ता, मेसर्स सिगमा केमिकल्स लखनऊ, श्री प्रताप बहादुर सिंह, मेसर्स भखून सरने, सतीश कुमार ।
15.	Beet root	.. श्री वी० डी० मेथ्यूज, श्री जे० सी० मांगलिक, श्री गिरीश चन्द्र शाह ।
16.	Carrots	.. मेसर्स काकमवा सुब्बारया, श्री मीर अहमद बिलग्रोमी, श्री नीलाम्बर गुप्त ।
17.	Bhubarb	.. श्री शोहन लाल, श्री राजेन्द्र नाथ माथुर, लखनऊ ।
18.	Chlorophyll (from Palak or green leaves)	श्री ० बी० डी० भारद्वाज, श्री राम चन्द्र चुन्नीकर, श्री एन० डी० मिश्र, श्री ज्वाला प्रसाद कुंवर, श्री रघुबर दयाल शर्मा, श्री महावीर प्रसाद, डा० सैद गोपाल, श्री रनजीत सिंह, श्री बनारसी दास जी, श्री नीलाम्बर गुप्त, कुमारी इन्दु बाला माथुर, श्री योगेन्द्र सिंह, मिस्टर श्रीचन्द्र ।
19.	Caramel	.. श्री एन० डी० मुकर्जी, पं० देवनाथ दिक्षित ।
20.	Cochineal	.. मेसर्स ओ० हेर्न, डा० जी० बी० शर्मा, श्री गोविन्द प्रसाद, श्री शिवालनगापा महारुद्रापा ।
21.	Magenta	.. श्री बाबू लाल गर्ग ।

प्रस्तावित रंग		नाम
22.	Metanil yellow (Cow Chap) ..	श्री मिर्जा निसार हुसेन, श्री राम दास शाहू, श्री अरबिन्द लाल हंसमुख लाल ,श्री जवाहर लाल केशरवाली, श्री शिवानन्द तिवारी ।
23.	Aniline yellow ..	श्री अय्यद अहमन्द, श्री हुकुम चन्द्र बनारसी लाल ।
24.	Sujan II. III & IV ..	श्री कुकुम चन्द्र बनारसी लाल, इम्पीरियल केमिकल हाउस, कानपुर, डा० जे० बी० लाल, श्री एल० पी० चौधरी ।
25.	Yellow OB & A.B ..	डा० एन० जी० सिद्धान्ता ,श्री मेला राम चन्दीयोज, श्री आर० सी० शर्मा ।
26.	Sudan M. P. or Oil Red XO ..	श्री सी० बी० अलमौला ।
27.	Cotton seed oil ..	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, श्री ० एल० बी० माथुर ।
28.	Butter Yellow	पब्लिक अनालिस्ट द्वारा परीक्षित ।
29.	Orange S.S. - ..	
30.	Insoluble pigments	श्रीमती हर देवी, श्री कन्हैयालाल,श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तवा ।
31.	Pot. Permangate	श्री एम० सज्जीनाम ।
32.	Natural Dyas ..	श्री एल० एन० मिश्र, श्री एन० एस० सक्सेना ।
33.	Synthophyll(?) ..	श्री सी० एल० उप्पा ।
34.	Red Ozide or Iron	श्री सतीश चन्द्र गुप्त ।
35.	Kali Mirch ..	श्री राम कृष्ण शुक्ल ।
36.	Linseed Oil ..	श्री वैद्य नाथ प्रसाद चुनार ।
37.	Carbon black ..	श्री सतीश चन्द्र गुप्त ।
38.	Tomotto Juice ..	श्री नीलाम्बर गुप्त ।
39.	Red colour obtained by mixing lime and Kattha(Catechu)	शाह कुनवीरजी वालजी ।
4o.	Black Colour ..	श्री केदार नाथ ।
41.	Pink colour ..	श्री बद्री प्रसाद शाहू ।
42.	Bari Har ..	श्री राम प्रकाश सैनी ।
43.	Common Salt ..	श्री एल० एन० शर्मा ।
44.	Red solution in water	श्री सुन्दर शंकर ठाकुर ।
45.	Mohini Colour ..	श्री भटुक प्रसाद एन्ड संस, बनारस ।
46.	Geru. ..	डा० भोला नाथ शर्मा ।
47.	Brown Colour ..	श्री भवानी प्रसाद गोयल ।
48.	Mustared Oil ..	श्री लाला छल बिहारीलाल ।
49.	Scents ..	श्री ब्रह्मानन्द गुप्त, श्री नगेन्द्र कुंवर दास गुप्त ।
50.	Aniline Red ..	श्री गोविन्द प्रसाद ।
51.	Any Red or Yellow colour ..	कविराज दामोदर दास ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

तालिका "अ"

प्रदेश में क्षय रोग के विशेष इलाज की व्यवस्था वाले स्थानों का नाम

स्थान	शय्याएं
१—के० ई० भुवाली सैनीटोरियम	३२०
२—डाकपाथर सेनीटोरियम	८८
३—गेठिया सेनीटोरियम	६५
४—श्री ब्रज सेवा समिति सेनीटोरियम, वृन्दावन	५६
५—कस्तूरबा टी० बी० क्लिनिक तथा अस्पताल, लखनऊ	६०
६—टी० बी० सेनीटोरियम, फ़िरोज़ाबाद	२६
वार्ड्स	
१—सदर अस्पताल, मैनपुरी	३
२—सदर अस्पताल, सीतापुर	४
३—सदर अस्पताल, मुज़फ़्फ़रनगर	८
४—सदर अस्पताल, बस्ती	६
५—सदर अस्पताल, बदायूं	१४
६—सदर अस्पताल, अलीगढ़	१२
७—सदर अस्पताल, बरेली	६
८—लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर	२२
९—सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा	२०
१०—लवेट अस्पताल, रामनगर, बनारस	२६
क्लिनिक्स	
१—टी० बी० क्लिनिक, मेरठ	६
२— ,, ,, मुरादाबाद	४
३— ,, ,, सहारनपुर	४
४— ,, ,, कानपुर	१२
५— ,, ,, रामपुर	६
६— ,, ,, मथुरा	केवल आउट डोर रोगियों के लिये
७— ,, ,, गोरखपुर	
८— ,, ,, बनारस	
९— ,, ,, देहरादून	
१०— ,, ,, इलाहाबाद	
११— ,, ,, बरेली	
१२— ,, ,, गोंडा	
१३— ,, ,, कानपुर	
१४— ,, ,, बुलन्दशहर	
१५— ,, ,, हरदोई	
१६— ,, ,, लखनऊ	
१७— ,, ,, झांसी	
१८— ,, ,, सीतापुर	

तालिका "ब"

प्रदेश में नेत्रों की विशेष व्यवस्था वाले स्थानों का नाम

स्थान	शय्यायें
१—एम० डी० आई० अस्पताल, इलाहाबाद ..	२४
२—गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़ ..	३००
३—सीतापुर आई अस्पताल, सीतापुर ..	३६०
४—एम० एम० एम० आई० अस्पताल, फतेहपुर ..	१२
५—नेत्र विभाग, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा ..	६०
६—नेत्र विभाग, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ..	६२
७—सर सुन्दर लाल आई अस्पताल, बनारस	५०
८—राजा आई अस्पताल, बुलन्दशहर ..	३०
९—जैन चैरीटेबिल डिस्पेन्सरी, सहारनपुर	२०
१०—लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर ..	३४
११—यू० एच० एम० अस्पताल, कानपुर ..	२८
१२—बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ	२०
१३—झींझक आई अस्पताल, कानपुर	२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

मुज़फ्फ़रनगर ज़िले के इन० ई० एस० ब्लाकों में ३१ अक्टूबर, १९५५ तक होने वाले कामों की सूची

क्रम संख्या	मदें	परकाजी ब्लाक में होने वाला काम (२६-१-१९५४ को खुला)	उन ब्लाक में होने वाला काम (२८-१-१९५५ को खुला)
	कृषि		
१	खोदे गए कम्पोस्ट पिटों की संख्या ..	११८०	२५९
२	रासायनिक खाद का विस्तार ..	८२५३ मन	३८४९ मन
३	बीजों का वितरण ..	५१२१ मन	९९२ मन
४	बांटे गए औज़ार ..	४५५	५३
५	क्षेत्र जहां फल बोए गये ..	१४४ एकड़	—
६	क्षेत्र जहां तरकारियां बोई गईं ..	१७० एकड़	५० एकड़
	पशु-पालन		
७	बधिया किए गए बैलों की संख्या ..	५४०	३५
८	वितरित किए गए अच्छी नस्ल के पशु	२१६	—
९	पशु जिनका इलाज किया गया ..	१३६१	२२६
	सहयोग		
१०	बनाई गई कोआपरेटिव सोसाइटियों की संख्या ..	६८	३२
	सिंचाई		
११	बनाए गए पक्के कुओं की संख्या ..	२	८
१२	पक्के कुओं की मरम्मत ..	३	१२
१३	बनाए गए तालाबों की संख्या ..	२	—
१४	तालाब जिन्हें साफ़ किया गया या जिनकी मरम्मत की गई ..	४३	३
१५	लगाए गए ट्यूब वेलों की संख्या ..	१४	२
१६	अतिरिक्त क्षेत्र जिस पर सिंचाई की गई	५,१४४ एकड़	५०६ एकड़
१७	क्षेत्र जिसे खेती योग्य बनाया गया ..	३०२ एकड़	—

क्रम संख्या	मदें		पुरकाजी ब्लाक में होने वाला काम (२६-१-५४ को खुला)	उन ब्लाक में होने वाला काम (२८-१-५५ को खुला)
	यातायात			
१८	बनाई गई कच्ची सड़क	..	५६ मील	११ मील
१९	बनाई गई पक्की सड़क	..	३ मील	१/२ मील
२०	कच्ची सड़क की मरम्मत	..	८४ मील	२१ मील
२१	पक्की सड़क की मरम्मत	..	—	४ मील
२२	बनाई गई पुलियों की संख्या		९८	१७
	शिक्षा व सामाजिक शिक्षा			
२३	खोले गए बेसिक स्कूलों की संख्या		२२	१
२४	खोले गए मामूली स्कूलों की संख्या		४	—
२५	बालिगों के लिये खोले गए शिक्षा केन्द्रों की संख्या	..	१२	१
२६	खोले गए मनोरंजन केन्द्र की संख्या		७४	१
	स्वास्थ्य			
२७	बनाए गये सोकेज पिटों की संख्या	..	१७२	१४
२८	बनाई गई नालियां	..	१५,९४४ गज	५,३८४ गज
२९	बनाए गए पानी पीने के कुएं	..	१९	४
३०	पानी पीने के कुओं की मरम्मत	..	५८	१५
३१	लगाए गए हाथ-पम्प	..	२५८	१२८
३२	लोग जिनके टीके लगाये गये	..	१७,२१७	६,०९३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

सूची

(१) जिला नियोजन समिति ने ६ पानी पीने के हाथ के पम्प तराई क्षेत्र के लिये स्वीकार किये हैं ।

(२) जिला नियोजन समिति ने तराई क्षेत्र में ६ पानी पीने के हाथ के पम्प की मरम्मत करना भी स्वीकार किया है ।

(३) National Extension Service Block, निगहसां में, जो कि तराई क्षेत्र में है, ५० पानी पीने के हाथ के पम्प के लिये व्यवस्था की गई है ।

(४) जिला नियोजन समिति ने पीने के लिए पानी के संबंध में १४ कुयें तराई क्षेत्र के लिये मन्जूर किये हैं ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

जिला गोंडा में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों की सूची

देवरिवा मुबारकपुर गांव के उत्तर पोखरे से होती हुई गांव के दक्षिण में सहवा बलरामपुर रोड तक	..		१ फर्लांग
विथरिया परसपुर गांव के दक्षिण नकटी ताल तक	..	..	१फर्लांग
गुलरहा गांव से कुनगांसे कुनगांव के पास तक	..	..	१ फर्लांग
इंटई मेदा से इंटई खास तक से निश्चल डीह तक	..		१ फर्लांग
बनघुसरा से चौबेपुर तक	..	..	८ मील
खुरासा से बरुआ तक	..	..	४ मील
बुधीपुरवा से शंकरपुर तक	..	..	१ मील
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़क से फिरोजपुर तरहर तक	..	..	४ फर्लांग
डिहवा से बेरिया गांव तक	..	..	४ फर्लांग
भदुवा तरहार से केशवपुर पहड़वा	..	..	१ मील
बेलहरा कोठी से रामभारी तक	..	..	१ मील
मोटर रोड से रामनगर तक	..	..	१३५० गज
रेलवे लाइन से विशुपुर होते हुए मझार तक	..	..	१००० गज
खजुरिया से छपिया तक	..	..	२२० गज
भोजपुर से आजमडीह तक	..	..	३५० गज
बड़गों से भुसहवा तक	..	..	१३२० गज
मलदा से सिरसिहवा तक	..	..	८८० गज
बान गढ़ से खम्हरिया के सरहद तक	..	..	२२० गज
भोजपुर गांव में	..	..	५८ गज
झौब्बा गांव के पूरब डीह तक	..	..	१०० गज
उतरौला सड़क के गांव के पश्चिम औरहवा के सरहद तक		..	१२१५ गज
सिसहना सरहद से बसन्तपुर तक	..	..	३५२० गज
बजीरगंज से टिहरी तक	..	..	१ मील
बजीरगंज से चोखट घाट तक	..	..	५ मील
नगवा ग्राम सभा के अन्दर	..	..	१ मील
बजीरगंज नबावगंज पक्की सड़क से भटपुरवा तक	..	..	१/२ मील
माझारा से बजीरगंज तक	..	..	१ मील
नरयिनपुर गांव में	..	..	१/२ मील
महादेवा से करौंदी	..	..	१ मील
महादेवा से ले दहना ग्रांट	..	..	१ मील

महादेवा से परसापुर	.. १/२ मील
महादेवा से सुरजापुर	.. १ १/२ मील
बकुई की सड़क	.. ३ मील
अचलपुर ग्राम के पास पक्की सड़क से स्कूल तक ..	.. १/२ मील
इंटियाथोक से नोशहरा तक	.. १/२ मील
चुरिहार पुर से अयाह	.. १/४ मील
अर्जुनपुर से कलेना तक	.. १/२ मील
पूरे तिलक से पूरे वसालत	.. १ मील
भरौपुर से शुकुल पुरवा तक	.. २ मील
बगुलाही से धोबिया घाट	.. २ मील
पुरेदतई से ईश्वर नन्द कुटी	.. १/२ मील
चौहानपुर गांव से मनकापुर स्टेशन चौराहा तक ..	.. १ मील
पिपरा ग्राम से सराय खास तक	.. २ मील
सुर्वाव से गोवर्द्धनपुर बाजार तक	.. २ मील
सादुल्ला नगर से देवरिया इनायत तक ..	.. २ मील
जीजा खेर से महिला तक	.. २ १/२ मील
महिली से नवीनगर तक	.. २ १/२ मील
केरैला माफी से नदौरी तक	.. १ मील
सिसहना से चमार डीह तक	.. १ मील
विजयपुर ग्रांव से बेरिया सुरजन पुर तक ..	.. १ १/२ मील
सरायखास प्राइमरी स्कूल से पांडेपुर तक ..	.. १/२ मील
मछौघाट सड़क से देवरिया आदम तक ..	.. १ मील
ओवरीडीह से पलईतकिया तक	.. १/२ मील
हरकेशन से तुलशी ग्राम तक	.. १/३ मील
मोहनजोत से पक्की सड़क तक	.. १/२ मील
बाजीदपुर से कपौव्वा शेरपुर तक ..	.. १ मील
पनवांपुर से बलरामपुर जाने वाली सड़क तक ..	.. १/२ मील
मनकापुर रोड से परहिया खेवर तक ..	.. १/२ मील
बनकटवा से मकसूद पुर तक	.. १ मील
हुसेनाबाद से बनजुरी तक	.. १ मील
पकड़ी से बलुहा घाट तक	.. १ मील
महुवा धाम से दुलहा मझारी तक	.. १ मील
बूधीपुर गांव से बनरचटवा तक	.. १ मील
रमगढ़वा से छोटान डीह तक	.. १ १/२ मील
बहैरिया से तेलिया जोत	.. १ मील
रेहरा सड़क से बौरेपुर गांव तक जाने वाली ..	.. १ मील

मीनागढ़ गांव से उत्तर जाने वाली . .	. .	. .	१ मील
अतकरपुर गांव से नथईपुर कानूनगो तक	. .	. .	८०० गज
इंटई अब्दुल्ला से रेहरा जाने वाली सड़क तक	. .	. .	१ मील
गौरा चौकी से कोटवा दरगाह तक	. .	. .	१ मील
गूमा गांव से हतवा तक	. .	. .	१/४ मील
कोटवा से गोलईपुर तक	. .	. .	१ मील
उतरौला गोंडा सड़क से इंटई पंचायत घर तक	. .	. .	१ मील
उतरौला गोंडा सड़क से बगहिया तक	. .	. .	६ फर्लांग
उतरौला गोंडा सड़क से करमहिया दक्षिया तक	. .	. .	४ फर्लांग
उतरौला गोंडा सड़क से सेमरापुरवा तक	. .	. .	६ फर्लांग
उतरौला गोंडा सड़क से जंगली तक	. .	. .	६ फर्लांग
उतरौला गोंडा सड़क से करमहिया पुरवा	. .	. .	२ फर्लांग
झेलहिया से बिजुलिया तक	. .	. .	१ मील
बुटौहा से छोटे बलहा तक	. .	. .	१ मील
चोवन शहीद से झूरी पुर तक	. .	. .	३०० गज
घोरीपुर से भिरवा तक	. .	. .	८०० गज
तेंदुआ से रामपुर अरना तक	. .	. .	८०० गज
फिरोजपुर से हबीरपुर तक	. .	. .	१००० गज
अचलपुर घाट से चोरघाट तक	. .	. .	८०० गज
लालपुर मुलैइया में	. .	. .	३०० गज
ग्वालियर ग्रांट स्कूल से विजयपुर तक	. .	. .	१ मील
इंटवा पतझी से नौराहरा तक	. .	. .	४ फर्लांग
इंटवा पक्की सड़क से सिधनापुर	. .	. .	१०० मील
अधीन पुर बाजा में पश्चिम तक	. .	. .	१०० गज
ग्राम सभा बिजौरा माफी के अन्तर्गत ग्राम भारकुन्डा वाली सड़क सिकरा वाली सड़क	. .	. .	७५० गज
ग्राम सभा बुर्गेनपुर के अन्तर्गत	. .	. .	१ मील ५ फ० २६ गज
ग्राम सभा अमया देवरिया, ग्राम पुरैनिया जाट से सड़क तक		. .	२५० गज
तुलशीपुर रोड से उमरहिया ग्राम तक	. .	. .	१ फर्लांग
फगुइया से रुस्तम नगर तक	. .	. .	१/२ मील
बिरदा बनिया भारी में	. .	. .	१०० गज
मनकापुर ग्राम से उतरौला पक्की सड़क तक	. .	. .	१ मील
बनगांव के ग्राम सभा टंहिया में	. .	. .	२ मील
ग्राम सभा छिरास में उमरिया पंडित पुरवा तक	. .	. .	६ फर्लांग
ग्राम सभा बिरवा के अन्तर्गत	. .	. .	३ मील

ग्राम चमरबोझिया में	.. ..	.. ३०० गज
ग्राम सभा पिपरी कोल्हुई में	.. ..	.. २०० गज
ग्राम सभा बन्दर ग्रांट से	.. ..	.. २ फर्लांग
ग्राम सभा बनधुसरा, लोनावां से खरमूपुर समिला तक		.. १ मील
ग्राम खरहरी से मिटिया	.. ..	.. १ १/२ मील
कौड़िया से पैड़ी बरा, जमथरा होते हुए लछमनपुर तक	..	.. ५ मील
ग्राम सभा कलेना में	.. ..	.. २ फर्लांग
ग्राम जूड़ी कुइयां में	.. ..	.. १ मील
शिवपुरा	.. ..	.. १ मील
रानीगंज बाजार से मनकापुर कोट तक	..	.. १ १/२ मील
ग्राम सभा चकसेनियां में	.. ..	.. ६ फर्लांग
सरैंया में ..	.. ..	.. ५० गज
ग्राम जिगिनियां में	.. ..	.. ३ मील
ग्राम सभा कुड़ासन में	.. ..	.. ३ फर्लांग
ग्राम बभनी कानूनगो से स्टेशन उतरौला रोड	..	.. ६ फर्लांग
खमरिया बुजुर्ग में	.. ..	.. ३०० गज
लछमनपुर से लालनगर कलहंस तक	..	.. ४ मील
धुसवा पंचायत अदालत के अन्दर	..	.. १३२० गज
ग्राम सभा ऐलनपुर व जगन्नाथपुर में	..	.. १/२ मील
ग्राम सभा गढ़वा (इमिलिया) ..	..	.. १५० गज
ग्राम सभा बिजुलिया से पकड़ी पटोहां तक	..	.. ३०० गज
योग ..		.. १२२ मील ३ फर्लांग ७५ गज

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१७८ एल० ए०—१९५६—७९६ ।